खण्ड-257, अंक-8
गुरूवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1887
(29 अप्रैल, 1965 ई0)

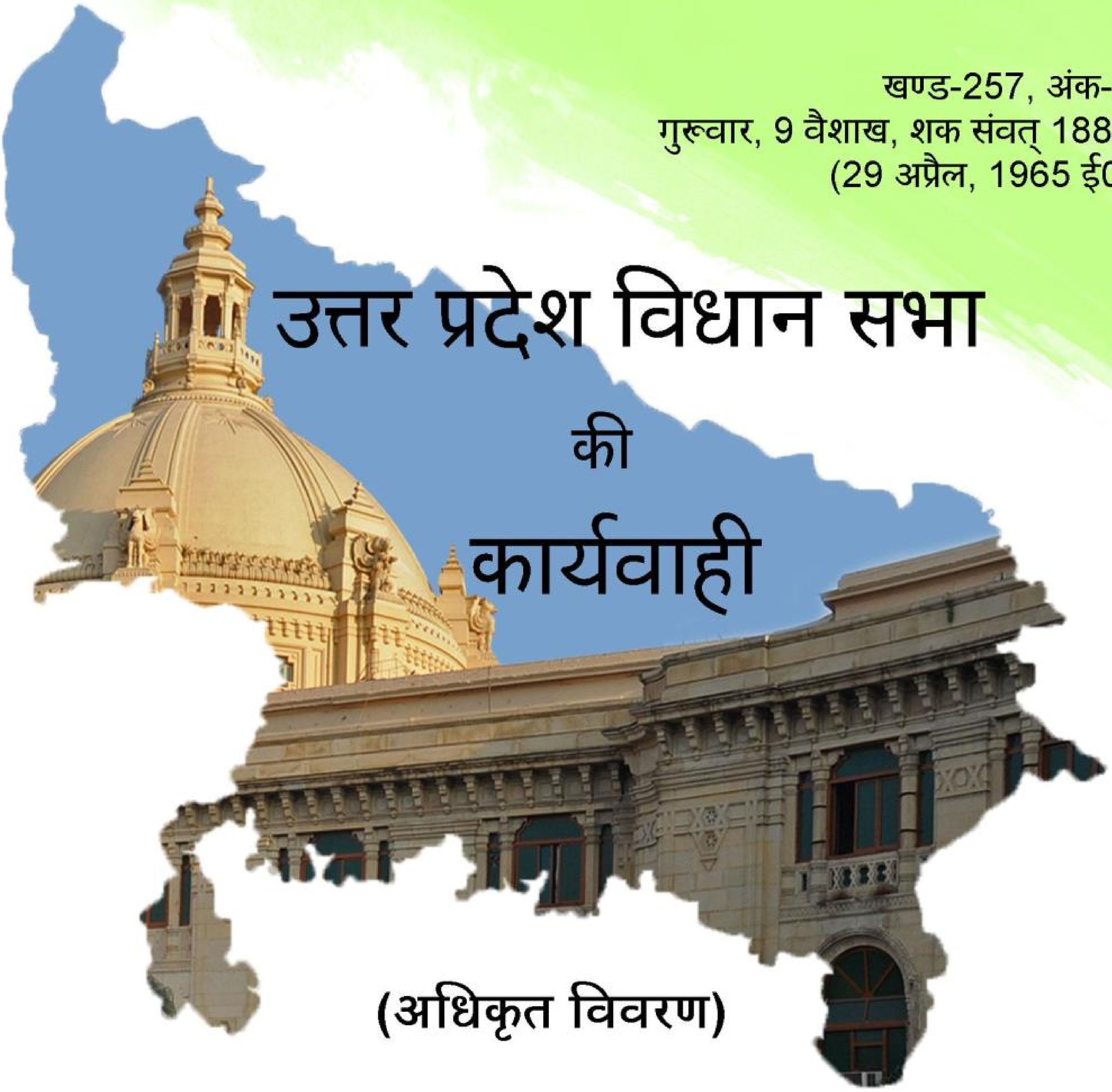

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८५७–८६१
प्रश्नोत्तर	८६१–९०५
"कौमी आवाज" में छपे शीर्षक पर आपत्ति	९०५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	९०५–९०६
विधान सभा के स्वतंत्र दल के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना ..	९०६
देवरिया जिले में गन्ने का बकाया न मिलने पर आपत्ति	९०६
पाकिस्तान द्वारा भारत सीमा पर किये गये अतिक्रमण में हुये शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने से सम्बद्ध संकल्प के विषय में जानकारी ..	९०६–९०७
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—पारित)	९०८–९६५
थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा टाउन एरिया के चेयरमैन को थाने में बन्द करके पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	९६५–९७१
नत्थियां	९७२–९८९

विधान परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरू)
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरन्जीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीननारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उप मंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

श्री जियाराम को सतर्कता निदेशक के पद से हटाना

*१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग, १९६५ के सम्बन्ध में जो विशेष पुलिस के निदेशक के पद के लिये पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त की घोषणा की थी उसको पूरा करने के लिये क्या कदम उठाया है ?

*२—क्या यह सही है कि उक्त घोषणा के विरुद्ध उप पुलिस महानिरीक्षक क्यों रक्खा गया है और मौजूदा आई० जी० श्री शान्ति प्रसाद जी के अधीन यह पद क्यों रक्खा गया है जब सरकार श्री जियाराम पुलिस महानिरीक्षक को घोषणानुसार निदेशक नियुक्त कर कामले रही थी ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

सतर्कता निदेशक के पद पर श्री जियाराम को, जो पुलिस विभाग में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे नियुक्त किया गया था तथा उनको पुलिस महानिरीक्षक के पद का वेतन भी दिया गया। बाद में सतर्कता निदेशक के पद पर श्री एन० एस० सक्सेना, उप पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई और उन्होंने २८ अप्रैल, १९६५ से कार्यभार सम्भाल लिया है। यद्यपि श्री सक्सेना को पुलिस महानिरीक्षक के पद का वेतन नहीं दिया गया है तथापि उनकी जिम्मेदारी में कोई अन्तर नहीं आता। सतर्कता निदेशक के पद के धारक (Incumbent) की नियुक्ति सर्विस की उपेक्षा (Exigencies of Service) के लिहाज से की जाती है तथा सतर्कता निदेशक महानिरीक्षक के अधीन नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री जियाराम जिनको पुलिस महानिरीक्षक के पद का वेतन दिया गया था और जो निदेशक नियुक्त हुये थे उनको उस पद से हटाने का कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो यह बताया कि सरकार ने यह उचित समझा कि सर्विसेज के लिहाज से उनकी सर्विसेज से कहीं और जगह फायदा उठावें।

श्री कमलासिंह यादव—

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५ के पैरा ४ में दिया हुआ है कि जो निदेशक होगा वह महानिरीक्षक के पद का होगा, तो एक बार जब जियाराम जी को महानिरीक्षक बना दिया गया तो दूसरे डी० आई० जी० को यानी उप-महानिरीक्षक को उस पद पर रखने का कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह आवश्यक समझा गया कि उप-महानिरीक्षक को एक तजुर्बे के तौर पर उस पद पर रखा जाय और उनको क्या अलाउंस वगैरह दिया जायगा इसके बारे में सोच रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐक्ट के अन्तर्गत यह है कि कोई भी डी० आई० डी० नहीं रखा जा सकता, आई० जी० ही उस पद पर रखा जायगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि डी० आई० जी० को उस स्थान पर रखने का कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चाहे डी० आई० जी० रहें या आई० जी०, काम में तो फर्क होगा नहीं, न वह आई० जी० के अधीन रहेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सतर्कता आयोग के पदाधिकारी जो हैं उनसे सरकार का ताल-मेल न होने के कारण उनकी रद्दी बदल हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सत्य से बहुत दूर है, सही नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह देखते हुये कि विधान में सतर्कता आयोग के निर्देशक के पद को पुलिस महा अधीक्षक के पद वाले व्यक्ति की तरफ संकेत किया गया है तो जिस किसी भी व्यक्ति को निर्देशक बनाया जाता उसको पुलिस महा अधीक्षक का पद देने पर विचार करेंगे मंत्री जी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि यह पद जरूर जिम्मेदारी का है, लेकिन चूंकि हम एक तजुर्बा करने लगे हैं तो बहुत सी जगह लोअर रैंक के लोग को भी रखते है जो आफिशिएट करते है और अच्छा काम करते हैं जहां तक काम को बात है वह उसमें स्वतंत्र हैं और सीधा गवर्नमेंट से संबंध है, पुलिस के महा अधीक्षक के अन्तर्गत वह नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जियाराम जी किस पद पर काम कर रहे हैं और क्या वेतन पा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जिस समय इनको सतर्कता आयोग में रखा गया तब इनकी डी० आई० जी० से आई० जी० के स्थान पर पदोन्नति हुई। अब इनको जब सतर्कता आयोग से हटाया गया तो इनको पदअवनति कर दी गयी है इसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पद अवनति का क्या सवाल है, उनकी सर्विसेज की जहां आवश्यकता थी उनको वहां भेजा गया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जियाराम जी को हटाने का क्या कारण यह भी था कि वे स्वतंत्रता पूर्वक काम करते थे, और ऐसे आदेश निकाले गये थे कि वे चीफ सेक्रेटरी के मातहत रहेंगे जिसको उन्होंने पसन्द नहीं किया ? (व्यवधान)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सत्य से परे है ।

श्री कमलासिंह यादव--

चूंकि जियाराम जी इन्डेपेन्डेंट वर्कर थे और कामराज प्लान में सरकार जिन अपने आदमियों को बचाने की कोशिश करती थी वह नहीं बचा पाती थी, इसलिये उनको पुनः डी० आई० जी० के पद पर पदअवनति करके भेज दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मालूम होता है कि काम राज का भूत आपके ऊपर सवार हो गया है। जो आपने कहा ऐसी बात नहीं है। जहां उनकी सर्विसेज की जरूरत थी वहां उनको भेजा गया है। इस समय जो काम कर रहे हैं वे भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

सतर्कता आयोग के बनने के समय क्या यह विचार नहीं किया गया था कि वही व्यक्ति निर्भीकता से काम कर सकेगा जो वहां स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके ? क्या सरकार इस पर प्रकाश डालेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो ध्यान में रखा ही गया था। इसीलिये इस पद को आई० जी० के अन्तर्गत नहीं रखा गया।

कुंवर श्रीपालसिंह--

कई बार श्रीमन्, जियाराम जी की तारीफ स्वयं इस सरकार ने की थी। तो अब क्या कारण है कि उनको आई० जी० के बराबर पद से हटाकर डी० आई० जी० बनाया गया है ? क्या उनकी योग्यता सक्सेना जी से कम थी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि उनकी आवश्यकता दूसरी जगह थी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

१९६४ में जब नन्दा जी गृह मंत्री हुये थे तो उन्होंने यह कहा था कि विजीलेन्स कमीशन में जो आफिशियल्स रखे जायेंगे वे फिर लौटकर प्रोमोशन पर या दूसरी जगह नहीं भेजे जायेंगे ताकि उनके ऊपर डेपुटेशन आदि का कोई प्रभाव न हो। तो इस समय एक आफिसर को विजिलेन्स कमीशन में रख कर, फिर हटा कर, जो काम किया है उससे इस सरकार की नीति से और नन्दा जी की नीति में कोई भेद नहीं प्रतीत होता ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

नन्दा जी की क्या नीति थी, उसकी मुझे सूचना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय समय पर यह भी करना पड़ता है कि जहां जिस आदमी की आवश्यकता होती है, वहां रखना पड़ता है। इसीलिये यह तब्दीली की गई।

देवरिया जिले में गन्ने की पेराई

*३--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में हजारों एकड़ गन्ना पेरने की व्यवस्था न हो पाने की हालत पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सच है कि १५-२० दिनों के अन्दर अन्दर यदि गन्ने के पेरने की व्यवस्था न हुई तो गन्ने की खड़ी हजारों एकड़ फसलें जलानी पड़ेंगी ? यदि हां, तो उपरोक्त गन्ने की फसलों को पेरवाने हेतु तत्काल कौन सा कदम उठाया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वर्तमान सीजन में देवरिया जिले की १४ चीनी मिलों में से ५ चीनी मिलें अर्थात् बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया, भटनी और परताबपुर चीनी मिलें अपने क्षेत्रों के समस्त उपलब्ध गन्ने की पेराई समाप्त करके सीजन १९६४-६५ के लिये १४ अप्रैल, १९६५ तक बन्द हो चुकी है। इस जिले की जिन मिल क्षेत्रों में गन्ने की अधिकाई थी उस अधिक (सरप्लस) गन्ने की पेराई के लिये अन्य पड़ोसी जिलों को दे दिया गया है और इस विषय में की गई व्यवस्था के बाबत जो १५-४-१९६५ की स्थिति थी उसका जिलावार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। आशा की जाती है कि इस जिले की चीनी मिलें समस्त उपलब्ध गन्ने की पेराई मई, १९६५ के अन्त तक निर्धारित सीजन में समाप्त कर सकेंगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९७२ पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया जिले की जो पांच चीनी मिलें १४ अप्रैल से पहिले ही बन्द हो गई हैं। उनको सीवरही और घाटमपुर बगैरह का गन्ना दिया जा चुका था और अगर वह गन्ना उनको पहिले की तरह से दिया गया हो तो शायद सभी मिलें अप्रैल के अन्त में बन्द हो जातीं और मई में जो परेशानी हो रही है वह नहीं होती। पहिले जो सीवरही वगैरह का जो गन्ना दिया गया था उसके रोकने का क्या कारण था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इन मिलों में जितना गन्ना पेरने की क्षमता थी, वह दिया गया था। जहां जा सकता था, वह हमने भेज दिया।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि देवरिया मिलों में सीवरही का गन्ना गया था। श्रीमन्, सीवरही में गन्ना अब भी पर्याप्त पड़ा हुआ है। वह गन्ना सूख जायेगा। सीवरही का डेढ़ लाख मन गन्ना बैतालपुर को दिया गया था। इस तरह से यह जो वापस ले लिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वापस ले लेने की बात के लिये मुझे नोटिस चाहिये। लेकिन यह सूचना है कि सीवरही ने २१ लाख क्विन्टल आफर किया था और १७ लाख क्विन्टल के करीब १५ अप्रैल तक पेर लिया था और इसके बाद बाकी २ लाख ७० हजार के करीब था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया में जहां इतना गन्ना भी मौजूद है, सरकार ने चीनी के भाव को देखते हुये मिलों को आदेश क्यों नहीं जारी किये कि जब तक तमाम गन्ना खत्म न हो जाय तब तक मिलें बन्द न हों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आपने मेरा जवाब ही नहीं सुना। पूरा का पूरा गन्ना पेरकर वे मिलें बन्द हो गई हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब पहिले निश्चित था कि इन मिलों के पास अधिक गन्ना है तो वह गन्ना दूसरे मिलों को क्यों नहीं सुपुर्द किया गया जहां गन्ने की कमी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हर गन्ना हर मिल में नहीं जा सकता। लखीमपुर में इतना भारी गन्ना है और यहां मेरठ की गन्ना मिलों में गन्ने की कमी आ गई, तो लखीमपुर का गन्ना वहां जा नहीं सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, गन्ना मिलों का यह तय रहता है उनका गन्ना इतना टन और इतना मन रहेगा। तो जिस मिल की पैराई खत्म हो गई है वहां गन्ना क्यों नहीं दिया गया। जहां गन्ना ज्यादा तादाद में था, बचता था, और अब भी लाखों मन गन्ना बेकार जा रहा है, सूख जावेगा, वहां यह गन्ना क्यों नहीं भेजा जाता। श्रीमन्, यह अव्यवस्था का परिणाम है।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

वाराणसी के रेशम उद्योग को सहायता

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वाराणसी साड़ियों के व्यवसाय पर आये संकट से सभी करघों के मालिकों और बुनकरों ने जापानी रेशम के कोटे के संकट तथा उसके भाव में बेतहाशा वृद्धि और चांदी के तार में दुगने से ज्यादा वृद्धि और उत्पादित माल की खपत में आयी बन्दी को लेकर सारा कारोबार ३१ मार्च, से २ अप्रैल तक के लिये बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह उप मंत्री (श्री शिव प्रसाद गुप्ता)—

इस वर्ष गर्मियों में विशेष विवाह लग्न न होने से एवं विदेशों की मांग घटने से वाराणसी में रेशम की साड़ियों की मांग में कमी आ गई है । रेशम के बाजार भाव में गत वर्ष से इस समय लगभग १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । और चांदी के तार के भाव में लगभग ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । करघा उद्योग वालों ने अपना काम व्यवसाय में मंदी को दूर करने के लिये भगवान से प्रार्थना करने के लिये ३ दिन बन्द कर दिया था । रेशम उद्योग को सहायता देने के लिये सरकार बुनकरों को यू० पी० इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसिएशन के माध्यम से इस समय बिक्री कर सहित १३५ रु० २० न० पै० प्रति किलों के भाव से आयातित जापानी रेशम वितरित कर रही है, जो स्थानीय बाजार भाव से सस्ता है । ३१ मार्च से २ अप्रैल तक एसोसियेशन द्वारा जापानी रेशम बराबर वितरित होता रहा और बुनकरों ने अपनी पारी के अनुसार जापानी रेशम खरीदा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई इस तरह का सर्वे हुआ है कि बनारस में कितने करघे वाले हैं और उनको रेशम की प्रति वर्ष कितनी खपत है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे कि रेशम की खपत मालूम कराके उसके अनुपात से भारत सरकार को सिफारिश करे कि इतना रेशम दिया जाय ताकि यह संकट फिर न पैदा हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जापानी रेशम की कमी इस समय नहीं हुई है । तैयार माल की बिक्री कम हो गई तो उन्होंने रेशम खरीदा नहीं । रेशम हमारे पास उपलब्ध है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्रीजी जांच करावेंगे कि सही बुनकरों को रेशम न मिल कर कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वे रेशम लेकर बाजार में बेचते हैं और क्या सरकार उनके लाइसेंस कैंसिल करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिनको रेशम नहीं मिलता है वे हमसे कहें या माननीय सदस्य बतायें, हां जरूर जांच करा लेंगे ।

पलिया थाने में संदिग्ध गोपाल बहादुर से पूछ ताछ

*५---श्री बांकेलाल, (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १५ मार्च, १९६५ को भारत-नैपाल सीमा पर ग्राम गौरीफाटा, थाना पलिया, लखीमपुर खीरी में थाना इंचार्ज नें एक संदिग्ध नैपाली व्यक्ति को कुतुबनुमा हेडसाइड तथा सीमा के कई चित्रों के साथ पकड़ कर थाने में ३ दिन तक बन्द रखा ? यदि हां, तो इसका संक्षिप्त विवरण क्या मंत्री सदन की मेज पर रखेंगे ?

*६---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में उन्होंने अब तक कौन सी कार्यवाही की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७३ पर)

सहारनपुर जिले में एस० पी० व डी० पी० ओ० की नियुक्ति

*७---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि जिला सहारनपुर में १ दिसम्बर, १९६४ से आज तक न कोई मुस्तकिल एस० पी० है और न डी० पी० ओ० है ? यदि हां, तो क्या कारण है और यह नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जहां तक एस० पी० सहारनपुर की नियुक्ति का सम्बन्ध है स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी । प्रशासकीय कारणों से स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं हो पायी । अब नियुक्ति के आदेश जारी हो गये हैं और आशा की जाती है कि उक्त अधिकारी वहां शीघ्र ही कार्य भार ग्रहण कर लेगा ।

प्रशासकीय कारणों से डी० पी० ओ० के पद पर २८ जनवरी, १९६५ से स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं हो पायी। अब नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं और आशा की जाती है कि उक्त अधिकारी वहां शीघ्र ही कार्य भार ग्रहण कर लेगा ।

श्री जयगोपाल---

क्या सराकर बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर में कौन एस० पी० मुकर्रर किये गये हैं और वे कब चार्ज लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

श्री के० बी० शर्मा, आई० पी० एस० पहुंच गये होंगे या जाते होंगे ।

श्री जयगोपाल---

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि डी० पी० ओ० की जगह के लिये श्री बाजपेयी को नियुक्त किया गया था मगर सहारनपुर पहुंचने पर उन्हें चार्ज नहीं दिया गया और उनकी जगह कोई दूसरे साहब नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

श्री बाजपेयी नहीं, श्री बी० एन० पी० सिंह नैनीताल से वहां जा रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

यह देखते हुए कि नियुक्ति विभाग स्थायी नियुक्तियां करने में बहुत ढील करता है, सरकार उसे आदेश देगी कि वह स्थान ज्यादा दिन रिक्त न रखा करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

साधारणतया तो यही होता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

डी० पी० ओ० की नियुक्ति दिसम्बर ६४ में हुई और उन्हें १५ दिन बाद हरिद्वार भेज दिया गया । तब से यह स्थान रिक्त रहा । एस पी० वहां के कुम्भ में स्पेशल ड्यूटी पर गये, तब से वह स्थान रिक्त है । सरदार भगतसिंह एस० डी० एम० के तौर पर गये, उन्हें चार्ज लेने के दूसरे दिन आदेश आ कि पहले ही श्री अताऊल्ला वहीं रहेंगे और तीन महीने से सरदार भगत सिंह को छुटपुट कार्य दिये जा रहे हैं और अब उन्हें रुड़की में नियुक्त किया गया है । क्या सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर में नियुक्तियां करते समय किसी पार्टी विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर नियुक्तियां करने की कृपा किया करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सरदार भगत सिंह साहेब की मेरे पास कोई सूचना नहीं है । सरकार का काम तो जारी रहता ही है ।

[२९ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिश्रपुर को ऋण

*१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी मिश्रपुर, पोस्ट महाराजगंज को पावर लूम के लिये सरकार ने कितना ऋण तथा सहायता दी है और उसका कैसे उपयोग हो रहा है ?

*२--क्या मंत्री जी उल्लिखित सोसाइटी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की एक सूची मय पते के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*३--क्या यह सच है कि उल्लिखित पावर लूम कोई व्यापार किराये पर चला रहा है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास प्रश्न ८-३-६५ को भेजे गये, जिसे लगभग २ महीने हो गये, किस कारण से देर हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्रश्न में सूचना बहुत विस्तृत मांगी गई है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उपनेता सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे नियमों के अनुसार १५ दिन का समय सरकार के लिये पर्याप्त समझा गया कि सूचनायें एकत्रित कर लें । १, २ महीनें तक सूचनायें एकत्रित नहीं हो पाती हैं, यह विषय ऐसा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

में मिसाल तो नहीं देता, लेकिन लोक सभा में इतना समय नहीं देते हैं, और इंगलैंड में केवल २ दिन का समय देते हैं। वहां तीसरे दिन जवाब आ जाता है। शायद यह आवश्यक है कि सरकार जिलाधिकारियों और दूसरे संबंधित अधिकारियों को प्रश्नों के सम्बन्ध में जागरूक करें।

गाजीपुर जिले के होम गार्ड्स संघटन के सम्बन्ध में शिकायतें

*४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के होमगार्ड संगठन के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें १९६४ में या उसके बाद उसे मिली हैं? यदि हां, तो उस पर कौन अधिकारी जांच के लिये गया था और उसकी रिपोर्ट क्या है? क्या सरकार उन शिकायतों तथा जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

गाजीपुर जिले के होम गार्ड्स संगठन सम्बन्धित दो शिकायतें सन् १९६४ में तथा एक शिकायत सन् १९६५ में कमान्डेंन्ट जनरल होम गार्ड्स को जांच के लिये नियोजन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया। यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। शिकायतों की †प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है। सन् १९६५ में प्राप्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६४ में जो दरख्वास्त दी गई उसके पैरा ७ में डी० पी० ओ० और डी० एम० के खिलाफ भी शिकायत है तो डी० एम० और डी० पी० ओ० को फिर इसकी जांच करने के लिए क्यों दिया गया?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

चूंकि होम गार्ड्स अभी तक डी० पी० ओ० और जिलाधीश के अंडर में थे इसलिए जितनी शिकायत होगी उसकी जांच उन्हीं के द्वारा होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा खयाल है कि इसमें डी० पी० ओ०, और डी० एम० के खिलाफ भी चार्ज है और उसमें लिखा है—

"That Sri Hari Kishor Ojha the accountent is the nephew of the Distt. Information Officier Ghazipur, Sri Rameshwar Ojha who wields a great influence upon the Distt. Magistrate Ghazipur."

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि डी० पी० ओ०, और डी० एम० के खिलाफ भी यह कहा गया है कि इनका असर है तो इनको जांच क्यों दी गई? कमांडेंट जनरल ने खुद इसकी जांच क्यों नहीं की?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो अभी तक जांच का तरीका है वह डी० पी० ओ० और डी० एम० के जरिये ही है। अगर कोई यह कह दे कि हम डी० पी० ओ० और डी० एम० के खिलाफ शिकायत कर देंगे तो वह जांच नहीं करेंगे तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

जो एम्बैजिलमेंट हुआ है रुपयों का और जो कागजात बदल दिये गए हैं उनके बारे में किसके द्वारा जांच करा रहे हैं?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह जो अनियमिततायें हुई हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है लेकिन वह सन्तोषपूर्ण नहीं था, इसलिए फिर भेजा गया है कि उसकी जांच करके भेजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

रुपये के गोलमाल की शिकायत भी उसमें है और जांच भी शायद उसकी हो गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपये के गोलमाल की रिपोर्ट है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अभी यह आंकड़े नहीं आये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह अपना तरीका बदलने की कृपा करेंगे कि जिसके खिलाफ शिकायतें हैं उसी से जांच करा रहे हैं, बजाय उसके किसी दूसरे से जांच कराया करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई स्पेसिफिक शिकायत उनके खिलाफ नहीं है और यदि केवल यह कह दें कि उनके खिलाफ भी शिकायतें हैं, तो इसी पर यह बात नहीं मानी जा सकती है कि उससे जांच न करायी जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर कब तक रखेंगे ? यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पहले रिपोर्ट आ जाय तभी उसके बारे में यह प्रश्न उठता है कि जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय या नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह देखते हुए कि इन शिकायतों में यह शिकायत भी है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कैम्प वगैरह चलाने के लिए दी गई वह कैम्प नहीं चलाये गए लेकिन रुपयों का उपयोग दिखा दिया गया, तो इसमें कोई सरकार सस्पेंड करने या ट्रांसफर करने का कदम भी उठा रही है या जांच पर ही छोड़ देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने अर्ज किया कि जांच की रिपोर्ट जब आ जायगी तब उस पर कदम अवश्य उठाया जायगा।

जरीफनगर थाने में अपराध

*५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं के थाना जरीफ नगर में वर्ष १९६४–६५ में कितनी डकैती, कत्ल व चोरी की घटनाएं घटीं, कितने जुवां पकड़े गये एवं उनमें कितना-कितना धन बरामद हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना जरीफनगर, बदायूं में सन् १९६४ व ६५ में हुए इन अपराधों के बारे में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९७४ पर)

*६—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना जरीफनगर (जिला बदायूं) में काम करने वाले थाना इन्चार्ज सहायक दरोगा, हेड कानिसटेबिल और सिपाहियों के विरुद्ध १९६४–६५ में कितनी शिकायतें जिला अधिकारियों के माध्यम से शासन को मिली तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई शिकायती पत्र नहीं भेजा गया ।

*७—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २८ जनवरी, १९६५ को बदायूं जिले के जरीफनगर थाना के थाना इन्चार्ज द्वारा किसी शराब के ठेके का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या वस्तुयें बरामद की गईं ? तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि ग्राम दहगवां थाना जरीफनगर में २८–१–६५ को थानाध्यक्ष जरीफनगर द्वारा शराब के ठेके की दूकान का निरीक्षण किया गया । उसमें कोई नाजायज वस्तु नहीं बरामद हुई कुछ अनियमितताएं अवश्य पाई गईं जिसकी रिपोर्ट जिले के आबकारी अधिकारी को कर दी गई है ।

चमोली जिले में असिक्त भूमि

*८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि उत्तराखंड के चमोली जिले में अनेक बड़ी नदियां, झरनों व नालों के होते हुए भी उस जिले में नदी घाटियों में स्थित वह समतल जमीनें जो बहुत अच्छी उपज दे सकती हैं बिना सिंचाई के ऊसर भूमि के रूप में पड़ी हुई हैं और उनसे वह लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जो सिंचाई वाली कृषि के द्वारा हो सकते हैं ?

*९—क्या सरकार को यह भी पता है कि चमोली जिले में अलकनन्दा, पिण्डर नदी, रामगंगा नन्दाकिनी व मन्दाकिनी नदियों की घाटियों में नदियों की सतह नीची होने के कारण व लम्बी नहरों व गूलों में टूट-फूट के खतरों के कारण सिंचित भूमि कम है ? क्या सरकार ऐसी भूमि की उपरोक्त नदी घाटियों में जांच करवाने की कृपा करेगी ? कि ऐसी भूमि कितने परिमाण में है जिस पर सिंचाई रहित कृषि की जाती है और जो ऊसर पड़ी है और जो सिंचाई योग्य कृषि के उपयुक्त बनाई जा सकती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये प्रश्न इतने ब्योरे के हैं कि उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में जितना समय व धन व्यय होगा उसके अनुपात में प्राप्त सूचना उतनी लाभदायक न होगी । यदि माननीय सदस्य किसी एक स्थान के बारे में सूचना चाहें तो उसे मंगवा दिया जायगा ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस उत्तर से ऐसा लगा कि शायद यह विवरण माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारियों से मांगा होगा और वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनकी कोई दिलचस्पी चमोली के विकास से नहीं है, फिर भी मैं संकेत कर देता हूं कि बद्रीनाथ घाटी में मेठाणा जो एक मील लम्बा चौड़ा....

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या बतला रहे हैं ?

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी--

मैं प्रश्न कर रहा हूं। उत्तर में कहा है कि....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा है कि अगर आप चाहें तो मंत्री जी से मिल लें या एक विशेष स्थान के बारे में पूछ लें।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बद्रीनाथ घाटी में मैठ णा एक स्थान है और पिन्डर नदी की घाटी में नौली और डिम्मर के बीच लगभग ३ मील लम्बा एक मैदान है, जहां पर पम्पिंग सेट से सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है। तो क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर पम्पिंग सेट या दूसरे साधनों से सिंचाई का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना मांग ली जायगी।

कटेहर क्षेत्र में हरिजनों को गृह-निर्माणार्थ सहायता

*१०--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्डों में अलग-अलग कितना रुपया हरिजनों के आवास निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में स्वीकृत हुआ था और उसमें कितना-कितना खर्च किया जा सका ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

विकास खंड	स्वीकृत धन	खर्च
	रु०	रु०
१--चिरई गांव	७५०	७५०
२--चोलापुर	१,५००	..

श्री रघुनाथसिंह--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि हरिजनों के आवास निर्माण के लिए जो धन स्वीकृत होता है, वह आवेदन-पत्रों के आधार पर होता है ? यदि हां, तो क्या कारण है जिले पर विकास खंड का सारा धन ज्यों का त्यों खर्च किये बिना पड़ा रह गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो भी धन स्वीकृत होता है वह विकास क्षेत्र की समितियों में आवेदन-पत्र होने पर ही होता है। एक धनराशि व्यय हो गई, दूसरी धनराशि अभी विकास खंड के लेखे में पड़ी हुई है। हो सकता है कि जो आवेदक है, उसको मेटीरियल वगैरह न मिला हो, इसलिए विलम्ब हो रहा हो।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी ने अभी बताया कि मैटीरियल वगैरह न मिला हो । ठीक-ठीक जांच और ठीक-ठीक उत्तर न मिलना कर्मठता नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि उन विकास समितियों में जो कल्याण समिति है उसकी कोई बैठक हुई कि नहीं, और प्रार्थना-पत्र आये थे कि नहीं इसकी सूचना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ठीक उत्तर माननीय सदस्य को स्वतः मिल जाता यदि विकास समिति में वे जाते । क्योंकि उसमें तथा जिला परिषद् में सभी विधायक सदस्य हैं जहां से यह धनराशि वितरित की जाती है । उसके बाद जिला स्तर से विकास स्तर पर जाती है । क्षेत्रीय समिति से जो सूचना आई है, उससे यह विदित हुआ है कि यह धनराशि उसके लेखे में पड़ी हुई है जो इस वर्ष जरूर व्यय हो जायगी ।

श्री रघुनाथसिंह--

श्रीमन्, प्रश्न केवल सूचनाएं मांगने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि शासन जो सूचनाएं देता है उससे विभागीय त्रुटियों की भी जानकारी सरकार को होती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री रघुनाथसिंह--

मैं जानना चाहता हूं जैसा कि अभी आपने इस प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में देखा, सारा का सारा स्वीकृत धन ज्यों का त्यों पड़ा रह गया । तो मैं आपकी जानकारी में यह एक कारण बताना चाहता हूं कि जो गैर-हरिजन अधिकारी, सभापति-क्षेत्र प्रमुख हैं, वे हरिजनों के मामलों में बेहद उदासीनता दिखाते हैं । जो पिछड़े हुए लोग हैं, हरिजन हैं, वे नहीं जानते कि किस तरह से धन का उपयोग करें । हमारे किन-किन कामों के लिये धन मिलता है । तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि जो हरिजन कल्याण का कार्य आपका है, उसमें इन सारी स्थितियों को देखते हुए कुछ संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप सुझाव दे दीजिएगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि जो प्रमुख महोदय हैं, वह पार्टीबाजी में लगे हैं, एक भी मीटिंग नहीं हुई और न लोगों से कोई आवेदन-पत्र मांगा गया है । तो सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी जिसमें लोगों से आवेदन-पत्र मांगे जा सकेंगे और जिस मद के लिये रुपया दिया गया है, वह जल्द से जल्द उपयोग किया जा सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना के आधार पर मैं यह नहीं समझती हूं कि मीटिंग नहीं हुई है । अगर मीटिंग न हुई होती तो यह आवेदन-पत्रों के आधार पर धनराशि.....

श्री अध्यक्ष--

आपके पास कोई सूचना नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो जिला स्तर पर धनराशि एक योजना में मंजूर होती है वह मीटिंग होने पर ही मंजूर होती है । इसलिये कैसे मानूं कि मीटिंग नहीं हुई ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं कह रहा हूं, कि इसकी जांच करायेंगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

जैसा प्रतिवर्ष देखा जा रहा है, हरिजनों के उत्थान संबंधी धन प्रतिवर्ष अवशेष रह जाता है और इनके उत्थान के कार्यों के बारे में कोई प्रचार नहीं किया जाता है और न ही कोई अन्य सुविधा के कार्य होते हैं । अतः मन्त्री जी हरिजन उत्थान के विषय को राष्ट्रीय विषय समझकर प्रत्येक ब्लाक में एक हरिजन सहायक बी० डी० ओ० नियुक्त करके इस कार्य को पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

एक हरिजन सहायक बी० डी० ओ० की नियुक्ति पर कोई विचार नहीं हुआ है और न हो सकता है । केवल जाति के आधार पर योजनाओं को कार्यान्वित करने की जो भावना है, यह उचित भावना नहीं प्रतीत होती । जहां तक इसके संशोधन का कार्य है, अभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में समाज कल्याण निदेशक के द्वारा जिला स्तर की समितियों के द्वारा इस प्रकार का धन व्यय हो यह आदेश जा चुका है ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह धन जिला कमेटी से न बंट कर ब्लाक समिति से बंटता है । तो जिला समिति से इस धन को बंटवाने की व्यवस्था कब तक की जा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी इस प्रश्न के उत्तर की गम्भीरता को देखते हुए यह आदेश निकालने की कृपा करेंगे कि जो अनुदान हरिजनों के आवास और दूसरे उत्थान कार्यों के लिये आवे, उसका विज्ञापन हो, काफी प्रचार हो और हर ब्लाक में एक समिति हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासेज की ही बना दी जाय और वह इसका प्रचार करे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि यह आदेश जा चुके हैं कि जिला स्तर की समिति द्वारा ही अब धन खर्च हुआ करेगा ।

हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद

*११---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के सचिवालय से संबंधित समस्त विभागों के पास कितने टाइपराइटर हैं और उनमें कितने हिन्दी के और कितने अंग्रेजी के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सचिवालय के विभिन्न विभागों के उपयोग में इस समय ७३८ अंग्रेजी और ३७४ हिन्दी के टाइपराइटर हैं ।

*१२---श्री गुप्तारसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सन् १९६५-६६ के बजट में कितने टाइपराइटर खरीद जा रहे हैं उनमें कितने हिन्दी के हैं और कितने अंग्रेजी के ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सन् १९६५-६६ के बजट में ५० हजार रुपयों का प्राविधान टाइपराइटरों, डुप्लीकेटरों, कैल्कुलेटिंग मशीन आदि की खरीद एवं मरम्मत के लिये किया गया है। इस प्राविधान में से करीब ४० टाइपराइटर खरीदने का विचार है। सरकारी नीति के अनुसार केवल हिन्दी के ही टाइपराइटर खरीद जायेंगे। अंग्रेजी के टाइपराइटर तभी खरीदे जायेंगे जब उनकी नितान्त आवश्यकता हो।

श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताएगी कि टाइपराइटर जो खरीदे जा रहे हैं, वह किस कम्पनी के खरीदे जा रहे हैं और क्या उसका की बोर्ड सरकार ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किस कम्पनी के खरीदे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

४० टाइपराइटर हैं या ४०० हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

४० हैं।

श्री गुप्तारसिंह--

मंत्री जी बताएंगे कि १९६५-६६ के बजट में जो ५० हजार रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें करीब ४० टाइप राइटर खरीदने का विचार है, तो यह केवल सचिवालय के लिये खरीदने का विचार है या प्रान्त के सभी जिलों के अधिकारियों के कार्यालयों को भी इसी में से दिये जायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह प्रश्न तो सचिवालय से ही संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न तो सरकार के सचिवालय से ही संबंधित है।

श्री गुप्तारसिंह--

जबकि अंग्रेजी टाइपराटर ७३८ हैं और हिन्दी के कुल ३७५ हैं और इनमें भी कुछ खराब होंगे तो क्या केवल ४० टाइपराइटर ही खरीदने से सरकार का सब काम हिन्दी में भली प्रकार से हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

४० तो इसी साल खरीदे जायेंगे अगले साल और भी खरीदे जायेंगे।

गन्ना कामदारों का टी० ए०

*१३--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय गन्ना कामदारों को कितना निश्चित यात्रा व्यय मासिक फिक्स टी० ए० दिया जाता है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

गन्ना विभाग के राजकीय कामदार को ३ रुपया महीना फिक्स टी० ए० दिया जाता है।

*१४—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस फिक्सड टी० ए० को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

सचिवालय के अस्थायी कर्मचारी

*१५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में सचिवालय कर्मचारियों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा जो क्वालीफाइंग परीक्षा हुई थी उसमें उत्तीर्ण प्रत्याशियों में से कितने १५ जनवरी, १९६५ तक स्थाई किये जा चुके हैं और शेष को अभी तक स्थाई न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कथित प्रत्याशियों में से २४०, १५ जनवरी, १९६५ तक स्थायी किये जा चुके हैं । शेष का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों (vacancies) के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

*१६—श्री बेदराम—

जो सहायक अभी तक प्रश्न १५ के उत्तर के अनुसार स्थायी नहीं किये गये हैं क्या उनको स्थायी करने के लिये सरकार कोई अन्तिम तिथि निर्धारित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शेष सहायकों में से ११९ सहायकों की स्थायी नियुक्ति के आदेश जल्दी ही जारी हो पायेंगे । अवशिष्ट सहायकों का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों (vacancies) के उपलब्ध होने पर निर्भर होगा । अतः इसके लिये किसी अंतिम तिथि का निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री बेदराम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९६२ में क्या कोई क्वालीफाइंग परीक्षा हुई ? अगर हुई, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९५७ में हुई थी, जिसमें ८९२ लोग लिये गये थे । इस बीच में और हुई, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुए कि कुछ लोग १५–१५ वर्ष से नौकरी कर रहे हैं परन्तु अभी तक क्वालीफाई नहीं हो पाये हैं, तो क्या उनको लोअर ग्रेड में स्थायी करने का प्राविधान करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सब तो नियमों के अनुसार ही होता है ।

हरिजन अनुदान की बची धनराशि

*१७—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि हरिजनों के अनुदान की धनराशि १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में खर्च करन से काफी बच गई ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मंगलदेव--

श्रीमन्, आप देखेंगे कि १३ मार्च को ये प्रश्न आपके पास भेजे गये थे। मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ? कितने-कितने खत भेजे गये, कितने सरक्युलर भेजे गये ? यह सारी सूचना या तो माननीय मंत्री जी से दफ्तर से मिल सकती है या जिले के दफ्तर से मिल सकती है। अगर डेढ़ महीने के बाद भी हमें इस प्रकार की सूचना न मिल सकेगी तो हम लोग अपने प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, इसमें क्या दिक्कत हो रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे प्रदेश के समस्त ग्रामों से संबंध रखता है, इसलिये ग्रामों के स्तर से सूचना मंगवाई गयी है, इसलिये इतने थोड़े समय में उत्तर दे सकना सम्भव नहीं हो सका है ।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का उद्देश्य यह होता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर कोई विशिष्ट परेशानी हो तो उसका निवारण हो सके और उसका उत्तर मिल सके। यह प्रश्न पूरे हरिजन अनुदान से संबंध रखता है। अगर इसको किसी विशेष अनुदान या मांग, जैसे आवास या कुओं के बारे में पूछ लिया जाता तो अधिक अच्छा होता ।

अब हरिजनों के अनुदार की बची धनराशि इतने दिनों की कितनी है इसमें जरा दिक्कत होती है.....

श्री मंगलदेव--

जो बच जाती है...

श्री अध्यक्ष--

और प्रश्न करें ।

श्री मंगलदेव--

श्रीमन्, हर बार जो यह रकम बच जाती है उसकी सूचना जिलों से यहां आती रहती हैं । जरा भी मेहनत होती तो सूचना मिल सकती थी, लेकिन क्या अब सरकार जल्द से जल्द सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

अब आगे तो वह आ ही जायगी ।

सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन न होना

*१८--श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल चल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश के लिये रिजर्वेशन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस समय उत्तर प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल लखनऊ में चल रहा है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश के लिये रिजर्वेशन नहीं है । इसलिये कि इस स्कूल का उद्देश्य नेशनल डिफैन्स अकेडेमी में प्रवेश के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सफल होने के लिये तैयार करना है और उपरोक्त अकेडेमी में प्रवेश के लिये इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

आपने अभी बताया कि नेशनल डिफेंस अकेडेमी में रिजर्वेशन नहीं है और इसीलिये सैनिक स्कूल में भी वह नहीं रखा, तो इसका कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमारा एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यह केन्द्र का विषय है और वहां आगे जाकर कोई रिजर्वेशन नहीं है कि जो पढ़कर कम्पीटिशन में बिना बैठे या रिजर्वेशन से वह ले लिया जाय, इसीलिये हमने भी नहीं रखा ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी जो आपने बताया कि सैनिक छात्रों की स्कूल में ट्रेनिंग के बाद लोकसेवा आयोग की परीक्षा अकेडेमी के लिये होती है तो जब पी० सी० एस० और आई० ए० एस० में रिजर्वेशन है तो इस इतनी आवश्यक सेवा में रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्या हरिजनों को कमजोर समझा जाता है उसके लिये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो केन्द्र वाले ही बता सकते हैं ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लड़के अकेडेमिकली क्वालिफाइड हैं और जिनके पेरेन्ट्स पर पढ़ाने के लिये पैसा नहीं है उनको वह स्कालरशिप देने को तैयार हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह इसमें कहां से आ गया ?

श्री दीपनारायणसिंह--

या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब राष्ट्र के संकटकाल में नेशनल इन्टेग्रेशन की अति आवश्यकता है और उस स्कूल के लिये जो हरिजनों को प्रिफ्रेन्स देने में समझा जाता है कि वह योग्य नहीं हैं और उनको कम रखा जाता है तो क्या आगे वह उनका कोई अनुपात रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, प्रश्न केवल यह है कि हरिजनों का रिजर्वेशन हो, मंत्री जी ने कहा कि हम इस संबंध में रिजर्वेशन नहीं रखते क्योंकि यह नीति केन्द्र द्वारा संचालित होती है और यह कार्यवाही ऐसी है कि जिसका संबंध सारे देश की सुरक्षा से है इसलिये यहां रिजर्वेशन का प्रश्न नहीं हो सकता, वह केन्द्र में ही हो सकता है ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

जो छात्र निर्धारित परीक्षा पास कर लें उनके लिये आप प्रवेश की व्यवस्था करेंगे ? दूसरी बात यह कि जिस प्रकार दूसरे छात्रों को वहां फायनेन्शियल फेसिलिटी मिलती है तो उसके अतिरिक्त कोई हरिजन छात्र अपनी योग्यता से वहां प्रवेश पा जाय तो हरिजन डिपार्टमेन्ट से भी उसे सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यहां पर जो प्रवेश पा जायेंगे उनके लिये सुविधायें एक सी हैं, लेकिन सूचना के लिये मैं यह बतला दूं कि एक सैनिक स्कूल और खोलने जा रहे हैं जिसमें रिज़र्वेशन रखा गया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है सामान्यतया, तो क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि कोई भी रिज़र्वेशन सैनिक स्कूल में न रखा जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस स्कूल में तो रिज़र्वेशन है ही नहीं ।

*१९-२१--श्री बालोजी अग्रवाल--

[हटा दिये गये ।]

गोरखपुर तथा बस्ती जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*२२--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोरखपुर और बस्ती में गत वर्ष (सन् १९६४) में जितने लोगों को फायर आर्म्स का लाइसेंन्स दिया गया और किन-किन की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं ? क्या दिसम्बर, १९६४ में कोई शिकायत लाइसेन्स देने में भेद-भाव के संबंध में की गई ? यदि हां, तो उसकी जांच का क्या फल हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सन् १९६४ में जिला गोरखपुर में ७६३ व्यक्तियों को तथा जिला बस्ती में १७३ व्यक्तियों को फायर आर्म्स के लाइसेंस दिये गये । उक्त अवधि में जिला गोरखपुर में २३३ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तथा जिला बस्ती में ३१ व्यक्तियों के फायर आर्म्स के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये । जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये, उनकी सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य जिस समय चाहें आकर देख सकते हैं । दिसम्बर सन् १९६४ में लाइसेंस देने में भेदभाव संबंधी शिकायत गोरखपुर अथवा बस्ती जिले में नहीं प्राप्त हुई ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री महोदय को इस बात की सूचना है कि तत्कालीन कमिश्नर के यहां कोई ऐसी शिकायत की गयी थी कि अल्प संख्यक वर्ग को विशेष रूप से लाइसेन्स दिया जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने उत्तर दिया कि कोई शिकायत ऐसी नहीं आई थी । एक अपील जरूर कमिश्नर के यहां की गयी थी रिवाल्वर के लाइसेन्स के संबंध में और उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी थी ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

बस्ती और गोरखपुर बार्डर पर स्थित हैं और वहां पर एक विशेष वर्ग को विशेष तौर पर लाइसेन्स दिये जा रहे हैं और बहुत बड़ा भेदभाव बरता जा रहा है, क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

लाइसेन्स मिलने में अपील की व्यवस्था है । ५ अपीलें की गयीं जिनमें दो स्वीकृत हुईं । बस्ती तथा गोरखपुर में कोई अपील नहीं हुई, इससे मालूम होता है कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और न हमारे पास ऐसी कोई शिकायत ही आई ।

सैदपुर–गाजीपुर सड़क पर लाश मिलना

*२३––श्री झिलमिटराम तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर से वाराणसी जाने वाली सड़क पर सैदपुर-गाजीपुर के बीच में तारीख २१ जनवरी, १९६५ को एक नवयुवक की लाश खेत में कत्ल करके फेंक दी गई थी ? यदि हां, तो इस कत्ल के संबंध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की और उपरोक्त कत्ल के सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट की गई या नहीं ? अगर की गई, तो अब तक कितने कातिलों को गिरफ्तार किया गया और कत्ल का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त––

गाजीपुर से वाराणसी जाने वाली सड़क पर सैदपुर व गाजीपुर के बीच दिनांक ३१–१–६५ को एक नवयुवक की लाश खेत में मिली थी। इस संबंध में उसी दिन थाना कोतवाली पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में इस समय अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच हो रही है। अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कत्ल का कारण जांच समाप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

श्री झिलमिट राम––

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उक्त नवयुवक की लाश किसी जीप अथवा कार द्वारा उपरोक्त स्थान पर छोड़ी गयी ? यदि हां, तो कार अथवा जीप के साथ कत्ल करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त––

एक टैक्सी थी ५०१८ नम्बर की। वह कानपुर में खड़ी हुई मिली है और उसको किसी ने क्लेम भी नहीं किया है। भीतर प्लेट दूसरी लगी हुई है और वह गाड़ी कब्जे में ले ली गयी है। सी० आई० डी० जांच कर रही है। कानपुर, इलाहाबाद और कई जगह की सूचनायें इसमें हैं।

श्री रघुवीर––

माननीय मंत्री ने कहा कि कोतवाली में रिपोर्ट की गयी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि किस व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त––

श्री रामसूरत राम, सभापति, ग्राम हेतमपुर।

श्री कमलासिंह यादव––

क्या यह सही है कि वे किसी गाड़ी के ड्राइवर थे और उस गाड़ी को किराये पर लाये थे। उसे ले गये और जब उनको मार डाला गया तब वे गाड़ी ले कर भाग गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त––

ये बनारस के रहने वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर थे।

श्री कमलासिंह यादव––

आधा तो रह ही गया, श्रीमन्, मैंने यह पूछा है कि क्या उनको भाड़े पर गाड़ी ले कर ले जाया गया और मार डाला गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त––

यही मालूम होता कि कौन ले गये तो हम उनको गिरफ्तार ही न कर लेते।

होम गार्ड्स स्टाफ अफसरों के लिए विज्ञापन

*२४—श्री होरीलाल यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ जुलाई, सन् १९६४ को डाइरेक्टर सिविल डिफेन्स, उत्तर प्रदेश द्वारा होम गार्ड्स के स्टाफ अफसरों के लिये कोई विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उनके लिये कितने प्रार्थना-पत्र जिलावार आये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

विज्ञापन कुछ प्रमुख पत्रों में एक दिन के लिये ३ जुलाई, से ७ जुलाई ६४ को प्रकाशित हुआ था। कुल १८१७ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये जिनकी जिलेवार सूची मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९७५–९७६ पर)

श्री होरीलाल यादव—

उस विज्ञापन में शैक्षिक और शारीरिक योग्यता क्या रखी गयी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकारी कर्मचारियों के लिये इंटरमीडियेट और अन्य लोगों के लिये ग्रेजुयेट शैक्षिक योग्यता थी।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको विज्ञापन द्वारा ही मालूम हो गया होगा।

श्री होरीलाल यादव—

क्या फर्रुखाबाद से जो २७ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं उसमें रामाधार चतुर्वेदी का प्रार्थना-पत्र भी था ?

श्री अध्यक्ष—

इससे क्या मतलब है ?

श्री होरीलाल यादव—

मैं यह इसलिये जानना चाहता हूं कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपके पास फर्रुखाबाद के प्रार्थना-पत्रों की फेहरिस्त है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास यही है कि २७ प्रार्थना-पत्र आये थे, लेकिन प्रार्थियों के नाम क्या-क्या थे इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

पिथौरागढ़ जिले में जुगलकिशोर कान्स्टेबिल की औरत गायब होना

*२५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगुल किशोर, कानिस्टेबिल, पुलिस चौकी जौल जीवी, जिला पिथौरागढ़ ने अपनी चौकी पर दिनांक २० दिसम्बर, १९६४ को अपनी औरत को गायब किये जाने की रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें कहा गया है कि दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४ को वह सरकारी डाक लेकर पिथौरागढ़ गया था और लौटकर आने पर औरत गायब मिली ? यदि हां, तो सरकार पूरी रिपोर्ट सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, २०-१२-६४ को चेकपोस्ट, जौला जीवी, जिला पिथौरागढ़ के कांस्टेबिल श्री जुगुल किशोर ने अपनी चौकी पर उक्त आशय की रिपोर्ट लिखाई थी । रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. ९७७ पर)

*२६—श्री महरामसिंह (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि जुगुल किशोर की औरत श्रीमती शकुंतला देवी के हाथ की तहरीर बतौर रिपोर्ट के मिली है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पति की अनुपस्थिति में परेशान करने की बात लिखी है ? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, श्रीमती शकुंतला देवी के हाथ की तहरीरी रिपोर्ट मिलने की बात कां० जुगुल किशोर ने अपनी रिपोर्ट में कही है और उसकी नकल भी अपनी रिपोर्ट में दी है । कां० जुगुल किशोर की रिपोर्ट के आधार पर धारा ४५४/३८०/५०६/५०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट अंकित की गई । श्रीमती शकुंतला देवी की खोज की गई किन्तु अभी तक उनका पता नहीं चल सका है । उनका पता लगाने के लिये भरसक कोशिश की जा रही है । मामले में जांच जारी है ।

जसपुर थानान्तर्गत मक्के से लदी ट्रक की गिरफ्तारी

*२७—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १६ नवम्बर, १९६४ को नैनीताल जिला के अन्तर्गत जसपुर थाना में मक्के से लदी हुई दो ट्रकें भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत पकड़ी गई ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस संबंध में थाने पर अभियोग कायम किया गया और जांच के पश्चात् चार्जशीट प्रेषित की गई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२८—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में जो ड्राइवर और ट्रक पर लोग पकड़े गये उसमें एक लल्लू सिंह नामक व्यक्ति से १,२५५ रुपये बरामद किये गये और यह बरामदगी पुलिस रपट में नहीं दिखाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस संबंध में एक आरोप-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*२९—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस सारी घटना की जांच में पुलिस कप्तान नैनीताल ने क्या किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई और पुलिस अधीक्षक ने उक्त शिकायत की जांच शीघ्र करने का आदेश दिया था ।

जी० आर० पी०, गोंडा कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*३०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जी० आर० पी०, गोंडा के कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी० आर० पी० गोंडा के ३ सब-इंस्पेक्टर, १ असिस्टेंट पब्लिक प्राजीक्यूटर, ४ हेड कान्स्टेबिल और ३५ कान्स्टेबिलों में से आवास की व्यवस्था इस समय २ सब-इंस्पेक्टर, ३ हेड कान्स्टेबिल और २५ कान्स्टेबिलों के लिये हैं। बचे हुये कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*३१—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री उक्त जी० आर० पी० गोंडा के सिपाहियों को जब तक आवास का प्रबन्ध न कर लें किराया देने का आदेश देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी० आर० पी०, गोंडा के जिन सिपाहियों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है उनको हर मास किराया मकान दिया जाता है ।

कसया थाने में कुमारी लालती द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट

*३२—श्री कृष्णा (जिला देवरिया) तथा श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के थाना कसया में दिनांक ४ फरवरी, १९६५ के लगभग कोई बलात्कार की रिपोर्ट की गई है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक ३ फरवरी, १९६५ को थाना कसया पर ग्राम डिवनी बंजरवा, थाना तरयासुजान, जिला देवरिया की कुमारी लालती ने धारा ३६३/३६६ भा० दं० वि० की एक रिपोर्ट अंकित कराई । बाद में कुमारी लालती ने अपने बयान में जो सूचना दी उसके आधार पर मूल मुकदमे की धाराओं में धारा ३७६ भा० दं० वि० (बलात्कार) भी बढ़ा दी गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९७८ पर)—

श्री कृष्णा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे ब्लाक के क्वार्टर में रहे तब क्या उन पर कोई जुर्म कायम हुआ और अब जेल में हैं या बाहर ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उन्होंने पहले से ही गलत पता दिया था । इन्होंने लिखाया था कि ये छपरा के रहने वाले हैं । बाप का नाम भी गलत लिखा है । बाद में जब रिपोर्ट लिखाया तब दुरुस्त कराया । ए० डी० ओ० मुअत्तल हुआ । वह जेल में चले गय हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरिजन महिला गायब होने की दोहरीघाट से शिकायत

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से दिनांक १९ जनवरी, १९६५ का लिखित प्रार्थना-पत्र उनके अलावा जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ तथा आई० जी० पुलिस आदि को प्राप्त हुआ है ? जिसमें एक हरिजन महिला को गायब हो जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी से कराई गई और क्या शिकायत करने वालों से भी पूछ-तांछ की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसे प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया ।

गायब हुई महिला की मां द्वारा भेजा गया १९-१-६५ का प्रार्थना-पत्र प्रधान पुलिस निरीक्षक को प्राप्त हुआ था जिस पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है । अब तक प्राप्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत करने वालों से पूछ-तांछ की गई है या नहीं, इस संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यवाही करेगा ।

बाम पंथी साम्यवादियों की नजरबन्दी

*३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार प्रदेश में बामपंथी साम्यवादी दल के गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध खुली अदालतों में मुकदमा चलाने एवं उन्हें अभियोग-पत्र प्रदान करने की ओर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन व्यक्तियों को डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स, १९६२ के नियम ३० के उपनियम (१) के खन्ड (बी) के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है । ऐसी हालत में उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाने तथा उन्हें अभियोग प्रपत्र प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पटेल जांच समिति के अन्तर्गत व्यय की सिफारिश

*३५—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल जांच आयोग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये जो सेम्पुल सर्वे किया था उसके अनुसार प्रत्येक जिले में कितना-कितना खर्च किया जायगा और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल जांच समिति देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर के विकास कार्य क्रम को तीव्र करने के लिये जो धनराशियां व्यय करने की थीं वह संलग्न तालिका में दिखाई गई हैं । ३१ मार्च, १९६५ के व्यय की जिलेवार सूचना एकत्र की जा रही है । अगले वर्षों का व्यय आवश्यकतानुसार तथा साधनों के अनुसार किया जायगा और वह अभी बताना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७९ पर)

*३६—श्री कैलाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के प्रत्येक विकास खण्ड में कितना-कितना खर्च किया जायगा और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल जांच समिति ने विकास खंडों के लिये अलग-अलग सिफारिश नहीं की और न ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम को छोड़कर, अलग-अलग प्राविधान किया जाता है ।

*३७—श्री कैलाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो विकास खंड जिले में सबसे पिछड़े हुये हैं उनमें क्या अधिक से अधिक कार्य पहले शुरू किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

देवरिया जिला पूरा ही पिछड़ा हुआ है और समस्त जिले में ही विकास कार्यक्रम को तीव्र कर दिया गया है ।

जलेसर थाने में लड़की गायब होने की कथित घटना

*३८—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एटा, थाना जलेसर के ग्राम ऊंचागांव में दिनांक १५ फरवरी, १९६५ से १९ फरवरी, १९६५ के बीच एक लड़की को कुछ गुण्डे जबरन पकड़ ले गये तथा उसे गायब कर दिया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम ऊंचागांव, थाना जलेसर, एटा में दिनांक १५-२-६५ से १९-२-६५ के बीच गुन्डों द्वारा जबरन किसी लड़की को पकड़ने तथा गायब करने की कोई घटना नहीं हुई और थाने पर ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

गोंडा जिले में महाराजा देवीबक्ससिंह की गढ़ी

*३९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जनपद में भारतीय आजादी की लड़ाई में सन् १८५७ ई० के वीर सेनानी महाराज देवीबक्स सिंह की गढ़ी वन ककिया कोट, जिगना कोट एवं गोण्डा कोट जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं ? यदि हां, तो सरकार इनको सुरक्षित स्थान घोषित करने तथा उनके संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

महाराजा देवीबक्स सिंह की गढ़ी, बनककिया कोट, जिगना कोट एवं गोंडा कोट जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थान कहे जा सकते हैं । परन्तु यहां पर कोई ऐसी इमारत नहीं है जो १०० वर्ष पुरानी हो । इसलिए इस स्थान को पुरातत्व के महत्व का नहीं माना जा सकता अतः इसे संरक्षण में लेना सम्भव नहीं ।

*४०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जनपद में अब तक वीर सेनानी महाराजा देवीबक्श सिंह का स्मारक उनकी पुण्यस्मृति में बनाया गया है या बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और उसका ध्येय क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

सरकार ने कोई स्मारक नहीं बनवाया है न भविष्य में बनवाने के प्रश्न पर कोई विचार किया है ।

जिला टेहरी-गढ़वाल की विकास प्रगति

*४१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या उन्हें इस बात की सूचना है कि जिला टेहरी गढ़वाल के जन-प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मन्डल पिछली २० फरवरी को योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता को मिला था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगी कि इस मुलाकात का आशय क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । जिला टिहरी-गढ़वाल के द्रुतगामी विकास की ओर नियोजन आयोग का ध्यान आकर्षित करना ।

*४२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उन्हें मालूम है कि उक्त शिष्ट-मन्डल ने जो प्रतिवेदन योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दिया है उसमें शिकायत की गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिला टिहरी गढ़वाल के द्रुतगामी विकास जैसी विलय की शर्त का निर्वाह नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक प्रतिवेदन तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को अवश्य दिया गया था पर इस सरकार को यह सूचना नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है ।

*४३—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

[हटा दिया गया ।]

देवरिया जिले में उद्योग

*४४—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री कैलाश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन विकास खण्डों में उद्योग की योजना चल रही हैं और इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिये क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

*४५—उपरोक्त जिले के सन् १९६२ से १९६४ तक उद्योग के लिये किन-किन विकास खंडों में कितना-कितना रुपया दिया गया है और उसमें किस किस ने कार्य शुरू किया है और किस-किस ने कार्य शुरू नहीं किया है ? कार्य शुरू न करने का कारण क्या है ?

*४६—उपरोक्त जिले के विकास खण्डों में भाटपाररानी, बनकटा में क्या हल्दी व रूई की पैदावार अधिक होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां हल्दी का मिल और हैन्डलूम का कपड़ा बनाने का कार्य शुरू करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

चिनहट में पालीटेक्निक स्कूल के छात्रों द्वारा करामत हुसैन गर्ल्स कालेज की छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार

*४७—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत रविवार दिनांक २१ फरवरी, १९६५ को लखनऊ के करामत गर्ल्स कालेज की लगभग ३ दर्जन छात्रायें जो पिकनिक के लिये चिनहट गई थीं, उनके साथ वहां लगभग ४ दर्जन गुन्डों ने अत्यन्त अभद्र, असाननीय एवं अशिष्ट व्यवहार किया, शील भंग के प्रयास किये और उनके पास जो कुछ था, सब छीन लिया और भाग गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २०-२-६५ को थाना मड़ियांव की पुलिस चौकी चिनहट पर शाम को साढ़े चार बजे इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि २५-३० लड़कियां पिकनिक के लिये चिनहट गई हुई थीं। १५-२० लड़कों ने आकर उन्हें घेर लिया और गन्दी-गन्दी बातें कहीं। लड़कों की नियत खराब देखकर वादी ने शोर मचाया जिसे सुनकर पुलिस के २ सिप ही तथा ४-५ अन्य व्यक्ति आ गये और उन्होंने ६ लड़कों को पकड़ लिया। शेष लड़के भाग गये। भागदौड़ में लड़कियों का कुछ सामान तथा रुपये गिर गये जो तलाश करने पर नहीं मिले लड़कियां करामत गर्ल्स कालेज की छात्रायें थीं।

*४८—श्री झारखण्डेराय—

यदि हां, तो गृह मंत्री जी ने इस भयंकर कांड पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना के संबंध में पुलिस चौकी चिनहट पर धारा १४७/१४९/४४०/३२३/२९४/३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया। घटनास्थल पर पकड़े गये ६ लड़के जेल भेज दिये गये। पुलिस ने ४ अन्य लड़कों को बाद में गिरफ्तार किया। ९ लड़कों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष ३ लड़कों के विरुद्ध जो फरार हैं धारा ८७ ८८ दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गई है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। यह सब लड़के पालीटेकनिक स्कूल, लखनऊ के छात्र हैं। मामले में जांच हो रही है।

भटनी चीनी मिल पर बकाया

*४९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, बेल्थरा रोड एवं किड़िहड़ापुर, जिला बलिया का गन्ना कीमत, सूद तथा कमीशन का कितना-कितना रुपया चीनी मिल, भटनी, जिला देवरिया के जिले सन् १९७० से चालू सीजन तक बाकी है और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहकारी गन्ना विकास लिमिटेड बेल्थरा रोड तथा किड़िहरापुर, जिला बलिया का निर्दिष्ट मदों के अन्तर्गत भटनी चीनी मिल पर जितनी रकम सन् १९६० से चालू सीजन में ३१-३-१९६० तक बकाया है वह इस प्रकार है :—

	रु०
गन्ने का मूल्य	२५,९६५.९५
सूद	२३,१६०.७६
कमीशन	२७,७११.५२
योग ..	७६,८३८.२३

इस बकाया का कारण मिल की असंतोषजनक आर्थिक दशा है। अब तक यह मिल अधराइज्ड कंटोलर के नियंत्रण में है।

इलाहाबाद में पुरामुफ्ती के थानेदार, सरदार हरभजनसिंह द्वारा आत्महत्या

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मुफ्ती थाने के थानेदार की हत्या गोली मार कर दिनांक २२/२३ फरवरी को कर दी गई ? यदि हां, तो यह थानेदार की हत्या क्या थी तथा अब तक कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२२/२३ फरवरी, १९६५ की रात्रि में इलाहाबाद जिले के पुरामुफ्ती थाने के थानेदार की हत्या नहीं की गई बल्कि उन्होंने स्वयं गोली मारकर आत्म हत्या कर ली। अतः किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल—

क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद के सूरजकुंड पुलिस नाके के समीप रेलवे लाइन पर सरदार हरभजन सिंह इलाहाबाद निवासी की हत्या कर फरवरी, १९६५ को फेंक दिया गया था ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी और इससे संबंधित पुलिस ने अब तक कौन-सी कार्यवाही की ? यदि न हीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरदार हरभजन सिंह ने रेल से कटकर आत्म हत्या की। जांच उनकी मृत्यु के बारे में कोई संदेहजनक बात नहीं पाई गई अतः पंचायत नामा भरकर उनका शव सेक्रेटरी गुरूद्वारा इलाहाबाद को उचित क्रिया कर्म के लिये दे दिया गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा चालित सदनों की भोजन मद

*५२—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निकट की महंगाई तथा खाद्यान्न संकट को दृष्टि में रख कर समाज कल्याण विभाग द्वारा चालित प्रदेश के सदनों की भोजन मद में कोई बढ़ोत्तरी की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भोजन मद में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

भोजन मद में अभी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

थाना शाहाबाद में डाकुओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चन्द्रशेखर का पत्र

*५३—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १० फरवरी, १९६५ को चन्द्रशेखर, पुत्र राम स्वरूप, वासित नगर निवासी, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई ने एक डकैती का गिरोह गांव के आदमियों की सहायता से जब ये डकैती डाल कर वापस जा रहे थे पकड़ा और उन डकैतों को पुलिस को थाने में सूचना देकर थाने में ले गये ? यदि हां, इन डकैतों के पास क्या-क्या सामान मिला तथा कितने असलहे मिले ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दनांक १०-२-६५ को कुछ डकैत गिरफ्तार किये गये थे। श्री चन्द्रशेखर का कथन है कि इन डकैतों को उन्होंने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। शाहाबाद पुलिस का कहना है कि

वे डकैत एक मुखबिर की सूचना पर जनता के कुछ लोगों, जिनमें श्री चन्द्र शेखर भी एक थे, की सहायता से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः इस संबंध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

डकैतों के पास से हिमायूंपुर की डकैती का लूटा हुआ नकद, गहने और कपड़े इत्यादि तथा ४ देशी बन्दूक, ३ देशी पिस्तौल, काफी कारतूस और डकैतों का अपना निजी सामान बरामद हुआ था।

*५४—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चन्द्रशेखर ने डी० आई० जी० पुलिस, कप्तान पुलिस तथा जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र २२/२३ फरवरी को दिया? यदि हां, तो उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या लिखीं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री चन्द्रशेखर का एक प्रार्थना-पत्र डी० आई० जी०, लखनऊ रेन्ज को २३-२-६५ को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने बताया कि उसने १०-२-६५ को कुछ डाकुओं को लूट के सामान के साथ पकड़ कर शाहाबाद पुलिस के हवाले किया परन्तु इस गिरोह को पकड़वाने में उसका नाम न लेकर पुलिस केवल अपनी नामवरी करने की फिकर में है जब कि प्रार्थी को अपनी जान माल की रक्षा करना कठिन हो गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही और सही जांच करके उचित पुरस्कार दिये जाने तथा अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की।

प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई।

*५५—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त मामले की जांच करने के मौके पर कप्तान पुलिस अथवा डिप्टी कप्तान गये? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट हैं, और चन्द्रशेखर ने जो लिखित शिकायत की है क्या वह उससे भिन्न है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उप-पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जाकर जांच की थी।

मामला अदालत के विचाराधीन होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

कासगंज में घंटा घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने का प्रयास

*५६—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी आदि—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि २६ जनवरी, को गणतन्त्र दिवस पर नागरिकों को जो अपील जिलाधीश, एटा के द्वारा प्रसारित की गई उस पर राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर कांग्रेस पार्टी का झन्डा छापा गया? यदि हां, तो क्यों?

*५७—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि कासगंज, जिला एटा में घंटाघर पर राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हेतु कासगंज के नागरिकों ने अत्यधिक प्रयास किया तथा जिलाधीश एटा से भी इस संबंध में व्यवस्था हेतु मिले? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवकली ग्राम की कथित डकैती

*५८—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम देवकली, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया में फरवरी के प्रथम पक्ष में कोई डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम देवकली, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया में फरवरी, १९६५ प्रथम पक्ष में कोई डकैती की घटना नहीं हुई। ७-२-६५ को श्री सिंगासन निवासी ग्राम देवकली द्वारा थाने पर चोरी की एक रिपोर्ट लिखाई गई जिसमें लगभग २७२ रु० के सामान के चोरी जाने की सूचना दी गई थी। आवश्यक जांच के बाद पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई।

लाइसेन्स देने का अधिकार क्षेत्र

*५९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया इस पर विचार करेगी कि हाकिम परगना जो केवल जिले भर के लिये बन्दूक का लाइसेन्स देते हैं तो उन्हें कम से कम प्रान्त भर के लाइसेन्स देने के अधिकार दिये जांय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। हाकिम परगना का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिये नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी जो केवल भारत सरकार ही कर सकती है।

कौलिया थाने में मड़ारी की डकैती में प्रयोग किये गये हथियार

*६०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में थाना कौलया में ग्राम मड़ारी में डकैती पड़ी, उसमें डाकुओं के चलाये हुये कुछ कारतूस बरामद हुये ? यदि हां, तो वह किस बोर के थे और किस प्रकार की राइफल से प्रयोग में लाये गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, मौके पर जो कारतूस मिले उनमें ३०३ बोर का एक तथा १२ बोर के दो खाली कारतूस थे। इस बात की जांच की जा रही है कि इस घटना में किन हथियारों का प्रयोग किया गया।

*६१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त ग्राम मड़ारी की डकैती में कितने व्यक्ति हताहत हुये और मरे हुये व्यक्तियों को सरकार की ओर से क्या क्षति पूर्ति की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम मड़ारी की इस डकैती में दो व्यक्ति मारे गये जिनमें एक व्यक्ति बशीर पुत्र नत्थू शीशगर ग्राम नहलों, थाना सेबड़ा, भिन्ड का था जो यह कहा जाता है कि गैंग के साथ आया था और जो डकैतों की गोली से मारा गया। दूसरा व्यक्ति छोटे लाल उर्फ बड़कइया पुत्र माता-दीन कुर्मी, ग्राम मड़ारी, थाना कैलिया का था। सरकार के पास मृतक को क्षतिपूर्ति के लिये कोई प्रस्ताव नहीं आया है अतएव सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त ग्राम मड़ारी में कितने लाइसेन्स बन्दूकों के हैं और वहां के कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि उन्हें सुरक्षा हेतु अविलम्ब बन्दूकों के लाइसेंस दिये जांय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय ग्राम मड़ारी में बन्दूकों का कोई लाइसेन्स नहीं है। उक्त डकैती के बाद १४ व्यक्तियों ने लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

शाहजहांपुर जिले में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*६३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में जनवरी, सन् १९६४ से १५ फरवरी, सन् १९६५ तक कितनी शिकायतें जिला भ्रष्टाचार निवारण समिति को प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी शिकायतों पर निर्णय लिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

६६ शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से २४ शिकायतों पर निर्णय लिये गये।

खादी उद्योग

*६४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में खादी उद्योग वह कितना सरकारी धन व्यय करती है और इस उद्योग में आय क्या है ? यदि आय नहीं है, तो हानि क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार खादी उद्योग में कोई व्यापार नहीं करती, बल्कि इसे प्रशिक्षण तथा उत्पादन योजना के रूप में चलाती है। इस योजना में वाणिज्य दृष्टिकोण न होने के कारण लाभ का प्रश्न नहीं उठता। खादी योजना के अन्तर्गत शासन ने वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रु० ६७,१७,५९४ व्यय किया तथा १९६४–६५ में रु० ८५,८०,८०० व्यय किया जाना स्वीकार किया।

*६५—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार अब सरकारी धन को इस उद्योग पर में न लगा कर उसे अब अपने पैर पर खड़ा होने पर बल देगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

*६६—श्री मतोलासिंह—

[११ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गन्ना विभाग में कामदार

*६७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३१ जनवरी, १९६५ को कुल कितने गन्ना विभाग में राजकीय कामदार काम कर रहे थे ? इन कामदारों में से कितने कामदार स्थायी हैं और वे किस आधार पर स्थायी किये गये ?

डाक्टर सीताराम—

३१–१–६५ को गन्ना विभाग में कुल ३१५६ राजकीय कामदार काम कर रहे थे और १५९० पद स्थायी थे। उक्त तिथि तक इन कामदारों में से ८५० स्थायी कर दिये गये थे तथा शेष ७४० पदों पर स्थायी करना था।

कामदारों की ज्येष्ठता एवं आयोग्य तिरस्कृत के आधार पर स्थायी किया गया है।

इलाहाबाद में श्री बी० डी० मुकर्जी द्वारा कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट

*६८—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २७ नवम्बर, १९६२ को श्री बी० डी० मुकर्जी द्वारा ४२० तथा १२०बी, ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत थाना कर्नेलगंज इलाहाबाद, में कोई लिखित सूचना दी गई थी? यदि हां, तो वह सूचना क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही कीगयी तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अब क्या कार्यवाही की स्थिति है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, २७–११–६२ को श्री बी० डी० मुकर्जी, निवासी कर्नलगंज, इलाहाबाद ने थाना कर्नलगंज पर एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश, श्री श्रीपत नारायण सिंह एडवोकेट तथा उनकी पत्नी श्रीमती रामा देवी के विरूद्ध एक बंगले के बेचने में गड़बड़ी करने और उन्हें धारा ४२० भा० दं० विधान के मामले में फंसाने को कहने के आरोप लगाये थे। यह पत्र श्री मुकर्जी के विरूद्ध श्री श्रीपत नारायण सिंह की २०–११–६२ की रिपोर्ट के आधार पर थाने पर दर्ज धारा ४२०/४०९/४०६/४६८/४७१/१२० (ब) भा० दं० विधान के मामले की जांच के दौरान प्राप्त हुआ था। अतः इसे श्री मुकर्जी का बयान मान लिया गया और इस पर अलग से कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया।

श्री मुकर्जी के विरूद्ध दर्ज मामले का पुलिस ने चलान किया। यह अभियोग जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया जहां वह विचाराधीन है।

नैनीताल जिले में जानवरों की चोरी

*६९—श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के थाना सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर के इलाके में पहली जनवरी, १९६५ से २४ फरवरी, १९६५ तक कितनी कैटिल लिफ्टिंग की वारदातें हुईं और कितने केसेस में मुल्जिमान पकड़े गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१–१–६५ से २०–२–६५ तक थाना सितारगंज में ३, रुद्रपर में १ व गदरपुर में ४ अपराध अंकित किये गये। इनमें से ५ केसों में मुल्जिमान पकड़े गये हैं।

*७०—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि इस इलाके में इस कदर ज्यादा कैटिल लिफ्टिंग के क्या-क्या कारण हैं और क्या यह सही है कि उन वारदातों में स्थायी पुलिस का हाथ रहता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना रुद्रपुर व गदरपुर में पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। थाना सितारगंज में कुछ वृद्धि हुई है। यह कहना सही नहीं है कि इन वारदातों में स्थानीय पुलिस का हाथ है।

थाना मुंगराबादशाहपुर में धारा ३२३/३२५ की रिपोर्ट

*७१—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ नवम्बर, १९६४ को थाना मुगराबाद-शाहपुर, जिला जौनपुर में भा० द० विधान की धारा ३२३ व ३२५ के अन्तर्गत कितनी रपटें लिखाई गई हैं और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ९ नवम्बर, १९६४ को थाना मुंगराबादशाहपुर में भा० दं० विधान की धारा ३२५/३२३ के अन्तर्गत एक रिपोर्ट लिखाई गई। मामले में विवेचना की जा रही है।

*७२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[११वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[११ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७४-७५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

किच्छा तहसील में चीनी मिल

*७६—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील किच्छा, जिला नैनीताल के अन्तर्गत गन्ना मिल बनाने के लिये किस व्यक्ति को और कब लाइसेंस और आज्ञा प्रदान की गई थी, और सरकार से उस पर अब तक कितना धन दिया गया है इसका संक्षिप्त विवरण सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत सरकार द्वारा श्री दानसिंह बिष्ट एंड संस को किच्छा, जिला नैनीताल में एक ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्टरी लगाने के लिये ८ मार्च, १९५६ को लाइसेंस दिया गया था। राज्य सरकार ने बिष्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन को उक्त प्रयोजन के लिये ४० लाख रुपये का ऋण दो समान किस्तों में क्रमश १९५७ व १९५८ में दिया था।

*७७—श्री इन्द्रासनसिंह

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल को जिसकी इमारत वर्षों से बनी खड़ी है, अब उसे सरकार सहकारिता के आधार पर चलाना चाहती है ? यदि हां, तो वह मिल कब तक चल जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, क्योंकि सर्वश्री दानसिंह बिष्ट एंड संस ने श्री डब्लू० एल० कोहली फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली के सहयोग से मिल लगाने के लिये एक समझौता किया और वे इस मिल को शीघ्रातिशीघ्र लगाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

*७८—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर क्षेत्र, तहसील किछा, जिला नैनीताल क किसानों का गन्ना इस वर्ष सन् १९६४-६५ के सीजन में जो रजा बुलन्दशहर मिल, रामपुर ले रही थी कब और किन कारणों से गन्ना लेना बन्द कर दिया है और अब उक्त किसानों की गन्ना निकासी की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६४–६५ सीजन में रजा बुलन्द चीनी मिल रामपुर क्षेत्र में गन्ने की अधिकाई के कारण निर्दिष्ट क्षेत्र के किसानों का गन्ना जो उक्त मिलों के गेट पर सप्लाई कर रहे थे, धामपुर शुगर मिल, बिजनौर के गेट पर पूर्ति हेतु २१ जनवरी, १९६५ से किसानों के हित में सुरक्षित किया गया ।

*७९–८१—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[९ वें सोमवार के लिये प्रश्न १५–१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

*८२—श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ तक प्रान्त में जिलावार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में कितना कितना धन, जेवर, जमीन, इत्यादि प्राप्त हुआ था, उसको किस प्रकार इस्तेमाल किया गया और कुल हिसाब किताब क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य में अब तक सुरक्षा कोष में जो धन तथा स्वर्ण प्राप्त हुआ उसका जिलेवार विवरण संलग्न है । कुछ जिलों में भूमि भी दान में प्राप्त हुई जिसका नियम पूर्वक नीलाम हुआ तथा जो धन नीलाम द्वारा प्राप्त हुआ वह सुरक्षा कोष में जमा कर दिया गया ।

जिलों में सोना स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखाओं में जमा हुआ तथा वहां से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई को भेजा गया। सुरक्षा कोष में प्राप्त कुल ६,८३,९०,००३.२६ रुपये में से ५,२६,७४,७७२.४३ रु० केन्द्रीय सुरक्षा कोष, दिल्ली भेजा गया तथा १,५६,०९,७९२.१८ रु० जो कि दान दाताओं ने विशेष कार्यों के लिये रक्षित कराया था उन कार्यों पर व्यय किया गया १,०५,४३८.६५ रु० केन्द्रीय सुरक्षा कोष में भेजने के लिये शेष है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९८०–९८१ पर)

सहारनपुर जिले में चोरबाजारी के मामले

*८३—श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में दिनांक १ जनवरी, १९६५ के बाद गेहूं चीनी तथा सीमेंट की ब्लैक में बिक्री करने के कितने किस्से पुलिस ने दर्ज किये और अब तक उन में क्या हुआ ?

श्री रगोविन्दसिंह—

१–१–६५ से ३१–१–६५ तक जिला सहारनपुर में ब्लैक में बिक्री के सम्बन्ध में गेहूं के चार मामले, चीनी के दो मामले, तथा सीमेंट का एक मामला पुलिस ने दर्ज किया । सभी मामलों में जांच की गयी ।

गेहूं की चोरी के चारों मामलें न्यायालय के विचाराधीन हैं। चीनी के दो मामलों में से एक में किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया तथा दूसरा मामला न्यायालय के विचाराधीन है । सीमेंन्ट का एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

सचिवालय के शिक्षा विभाग में पुराने अधिकारी

*८४—श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने गतवर्ष कोई ऐसा निश्चय किया था कि संचिवालय में पदासीन विभागीय अधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक न रक्खा जाय ?

यदि हां, तो सचिवालय की शिक्षा सचिव की शाखा में जिन विभागीय अधिकारियों का कार्य काल तीन वर्ष से कहीं अधिक हो गया है, इनका स्थानान्तरण न किये जाने का कोई विशेष कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८५—श्री रामस्वरूप भारतीय—

क्या ऐसे अधिकारियों का सचिवालय में रक्खे जाने से शासन को कोई अतिरिक्त लाभ है ? यदि हां, तो वह क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा विभाग में सर्वश्री कैलाशनारायन मालवीय तथा ललित प्रसाद सिंह जो कि तीन वर्ष से अधिक से क्रमशः उप सचिव व अनुसचिव के पद पर नियुक्त हैं, शिक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण एवं जटिल अधिनियमों एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। उनके स्थानान्तरण से कार्य की प्रगति में भारी बाधा आ सकती है। अतः शासकीय कार्यहित में उन्हें उक्त पद पर रहने दिया गया है।

टांडा सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को रिबेट

*८६—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सन् १९६० से सन् १९६४ तक कितना-कितना रिबेट दिया गया है और उक्त सोसाइटी ने अपने अधीनस्थ सोसाइटियों को कितना कितना धन दिया है और कब-कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) इस अवधि में सोसाइटी को कुल ६८,९०७.७८ रुपया रिबेट का दिया गया जिसका वार्षिक ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपया
१९६०–६१	२७,७२९.२५
१९६१–६२	२२,१९१.२५
१९६२–६३	१६,९५८.४४
१९६३–६४	२,०२८.८४

(ख) हर सोसाइटी को उसके द्वारा विक्रय किए गए माल पर ही रिबेट मिलता है, किसी अन्य सोसाइटी को वितरित करने हेतु नहीं। अतः इस सोसाइटी द्वारा अपनी अधीनस्थ सोसाइटियों को रिबेट का धन देने का प्रश्न नहीं उठता।

डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के कोआपरेटिव सेक्शन के कर्मचारी

*८७—श्री कंधईलाल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के कोआपरेटिव सेक्शन में कितने अधीक्षक व क्लर्क्स ऐसे हैं जो तीन साल से ज्यादा से कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के कोआपरेटिव सेक्शन में एक अधीक्षक उत्पादन (नान-टैक्सटाइल) तथा ७ क्लर्क्स ऐसे हैं जो कि तीन साल से अधिक से इस अनुविभाग में काम कर रहे हैं।

*८८—श्री कंधईलाल—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि नवम्बर, १९६४ में उक्त कोआपरेटिव सेक्शन में जो तबादले किए गए थे उनकी तामील क्यों नहीं की गई या उन तबादलों को वापस क्यों नहीं लिया गया ? यदि तामील होगी, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अधीक्षक उत्पादन (नान-टैक्सटाइल) जो इस अनुविभाग में कार्य कर रहे हैं, के स्थानान्तरण का आदेश नवम्बर, सन् १९६४ में नहीं बल्कि नवम्बर, सन् १९६३ में हुआ था परन्तु उपर्युक्त कार्य के लिए कोई अन्य व्यक्ति न मिलने के कारण स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था ।

चिकन उद्योग के लिये अनुदान

*८९—श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो वर्षों में चिकन का काम करने वालों के कितने प्रार्थना-पत्र लोन और ग्रांट के लिए आए और उनमें से कितने स्वीकृत हुए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

२४ प्रार्थना-पत्र ऋण के लिए और १० प्रार्थना-पत्र अनुदान के लिए आए । उनमें से ११ तथा १० प्रार्थना-पत्र क्रमशः ऋण तथा अनुदान के लिए स्वीकृत हुए ।

*९०—श्रीमती किश्वर आरा बेगम—

[हटा दिया गया ।]

जालौन जिले में छात्रों की गिरफ्तारी

*९१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ या ६ मार्च, १९६५ को जालौन जिले में अध्यापकों की मांग के समर्थन मे छात्रों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया तथा कुछ छात्र गिरफ्तार किए गए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । केवल २ छात्र गिरफ्तार किए गए । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९८२ पर)

बुनकर सहकारी समितियों को अनुदान

*९२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर और देवरिया जिलों के हथ करघा उद्योग के काम करने वाले बुनकरों के सहायतार्थ कारबारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) का कितना रुपया स्वीकृत हुआ है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९६४-६५ के बजट में कितना रुपया खर्च हुआ और कितने की व्यवस्था थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर तथा देवरिया की बुनकर सहकारी समितियों के बुनकरों के सहायतार्थ कारबारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) के लिए १९६४-६५ में १७.८८ लाख रुपया स्वीकृत हुआ ।

(ख) १९६४–६५ के आय-व्ययक में कथित समितियों की कारबारी पूंजी के लिए १७.८८ लाख रुपया का प्राविधान दूसरी अनुपूरक मांगों द्वारा कराया गया। यह समस्त धनराशि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक को इन समितियों को वितरण हेतु दे दी गई। यह बैंक अब इस धनराशि का वितरण करेगा।

*९३—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उपरोक्त चार जिलों में करघा उद्योग के विकास और उसमें लगे, बुनकरों के सहायतार्थ गत वर्ष में क्या काम हुए हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसार शासन ने गत वर्ष १७.८८ लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति उक्त जिलों की सहकारी समितियों की कारबारी पूंजी के लिए दी। अन्य सिफारिशों पर, जो विशेष कर निजी क्षेत्र से संबंधित हैं, अभी तक कुछ संभव नहीं हो सका है।

जिला जालौन में श्री गोविन्दनारायण तिवारी पर मुकदमा

*९४—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में श्री गोविंदनारायण तिवारी पर दफा १८८ ताजीरात हिंद में कोई मुकदमा चल रहा था और जिस पर सरकार ने फैसला रोकवा दिया है और स्टे आर्डर जारी किया गया है ?

*९५—यदि हां, तो यह स्टे आदेश किसके प्रार्थना-पत्र पर जारी किया गया है और किसके द्वारा जारी किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*९६—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या यह बात सत्य है कि श्री गोविंदनारायण तिवारी पर अन्य कई फौजदारी के मुकदमें भी चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा ४६७ / ४७१/ ४२० के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री राजबख्शसिंह, थाना इंचार्ज, चौक, लखनऊ

*९७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

११ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न १० के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंसपेक्टर इंचार्ज चौक, श्री राजबक्श सिंह की कुल सर्विस कितनी है और उनको लखनऊ में १२ वर्ष तक रखने और दुबारा नियुक्त करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इंसपेक्टर इंचार्ज, थाना चौक, लखनऊ, श्री राजबक्शसिंह की कुल सेवा अवधि १५ वर्ष से कुछ अधिक है। यह पहले लखनऊ में लगभग १० वर्ष रहे हैं। इनकी पुनः नियुक्ति साधारण स्थानान्तरण एवं पदोन्नति द्वारा हुई है।

मुख्य सचिव की शाखा में हरिजन अधिकारी

*९८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे गुरुवार, दिनांक १८ फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न ४० के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के मुख्य सचिव शाखा में कुल कितने-कितने अधीक्षक, सहायक अधीक्षक तथा अधिकारी हैं और उनमें जो एक ही हरिजन अधिकारी हैं उसका प्रतिशत क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुख्य सचिव की शाखा के १५ अधीक्षक, २३ सहायक अधीक्षक तथा २८ अन्य अधिकारी हैं। एक हरिजन अधिकारी, कुल अधिकारियों की संख्या १.५ प्रतिशत है।

*९९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १८ फरवरी, १९६५ के प्रश्न संख्या ४० के ही उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव शाखा के हर प्रकार के स्थानों पर १८ प्रतिशत हरिजन संरक्षण, जो १७ वर्षों से ना के बराबर हैं, कब तक पूरा किए जाने की आशा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हरिजनों के लिए १८ प्रतिशत रिजर्वेशन किसी शाखा के आधार पर नहीं वरन् सेवाओं के आधार पर, जहां कहीं रिजर्वेशन आवश्यक है, किया जाता है। वांछित सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले में बन्दूक व पिस्तौल के लाइसेन्स

*१००—श्री दयाराम शाक्य—

क्या गृह मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ४, दिनांक २५ फरवरी, १९६५ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ११ व्यक्तियों का आर्थिक तथा सामाजिक स्तर क्या है तथा जिनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए उनके स्तर क्या हैं तथा अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त ११ व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर के बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हैं तथा उसके प्राप्त करने में जो समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा। असलहे के लाइसेंस देना लाइसेंसिंग अधिकारी के स्वविवेक पर है। जिनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुए उनके बारे में जांच कराने के पश्चात् जिलाधीश ने उनको लाइसेंस देना उचित नहीं समझा, अतः उनके लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिए। इन व्यक्तियों के लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र इसलिए अस्वीकार किए गए कि कारण जांच कराने के पश्चात् इनमें से कुछ लोगों की असलहे की आवश्यकता वास्तविक नहीं पाई गई, किसी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट थी तथा किसी की आर्थिक स्थिति नाकाफी थी। इन लोगों के भी सामाजिक तथा आर्थिक स्तर के बारे में सूचना एकत्र करने में जो समय लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

*१०१-१०३—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१०४-१०६—श्री खयालीराम (जिला लखनऊ) तथा श्री मंगलदेव—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी चीनी मिलों की क्षमता

*१०७—श्री जयगोपाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव चीनी मिल 'सरसावा' जिला सहारनपुर, 'बागपत' जिला मेरठ, बाजपुर, जिला नैनीताल में एक टन चीनी तैयार करने पर क्या खर्च आ रहा है और हर एक मिल को माल पैदा करने की क्या क्षमता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान सीजन में निर्दिष्ट सहकारी चीनी मिलों में एक टन चीनी तैयार करने पर जो व्यय का अनुमान है तथा उनकी पेराई की जो क्षमता है, उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९८३ पर)

*१०८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

[११वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में मैनेजर, सुदर्शन टाकीज पर हमला

*१०९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६५ मास में सुदर्शन टाकीज, चारबाग, लखनऊ के मैनेजर पर गुन्डों द्वारा हमले की कितनी घटनायें हुईं तथा सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

माह फरवरी, १९६५ में सुदर्शन टाकीज । चारबाग के मैनेजर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने की केवल एक घटना दिनांक २३-२-६५ की रात्रि में घटित हुई । इस संबंध में थाना आलमबाग पर धारा ३५२/५०६/४२६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट अंकित की गई । चूंकि मामला अहस्तक्षेप्य (नान-कागनिजेबुल) था अतः पुलिस द्वारा इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । फिर भी संबंधित व्यक्तियों को भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गई और तब से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है ।

*११०—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले में हथियारों के लाइसेन्स

*१११—श्री रामस्वरूप भारतीय तथा श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६४ ई० से लेकर फरवरी, सन् १९६५ ई० तक किन-किन लोगों ने असलहों की बाबत लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये और और किन-किन लोगों को जिला धीश, प्रतापगढ़ ने लाइसेन्स मन्जूर किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिलाधीश, प्रतापगढ़ के पास जनवरी, १९६४ से लेकर फरवरी, १९६५ तक बन्दूक के निमित्त ५६६, पिस्तौल के निमित्त १४, रिवाल्वर के निमित्त २५ और रायफल के निमित्त १२, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से बन्दूक के ३०६, पिस्तौल का १, रिवाल्वर के ६ और रायफल के ९ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये । जिन लोगों ने लाइसेंस के लिये उक्त प्रार्थना-पत्र दिये तथा जिन्हें लाइसेन्स स्वीकार किये गये, उनकी सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, माननीय सदस्य जिस समय चाहें आकर देख सकते हैं ।

*११२--११३--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

चीनी मिल, बिसवां

*११४--श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या यह सही है कि बिसवां शुगर मिल में काश्तकारों का भुगतान यूनियन बड़ी देर में कर रही है जिससे कि काश्तकारों को बड़ी परेशानी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

*११५--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिसवां मिल में कांटों पर गन्ना कम तौलने की शिकायतें हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतएव उस पर किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*११६--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या यह भी सही है कि उक्त मिल बहुत कम रेट पर गन्ना ले रही है जिससे कि काश्तकारों को काफी असन्तोष है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

वाराणसी जिले में उद्योग ऋण

*११७--श्री ऊदल तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ लघु उद्योगों के लिये वाराणसी में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना रुपया कर्ज दिया गया है और उनके पते क्या हैं ? क्या उनमें एक शारदा पांडेय, गांव सराय शेषलाई, ब्लाक पिंडरा को भी १० हजार रुपया दिया गया है जिनके ऊपर सरकारी कर्ज बकाया है ? यदि हां, तो १० हजार रुपया का कर्जा क्यों और कैसे दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम, पते तथा ऋण की धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

उन व्यक्तियों में से श्री शारदानन्द पांडेय, गांव सरांय शेषलाई, ब्लाक पिंडरा नाम का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सन् १९६४ में कोई ऋण दिया गया हो । अतः अन्य विवरण का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९८४-९८६ पर ।)

*११८--श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

[१२वें बुधवार के लिये प्रश्न ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*११९—श्री शिवचरण—

[११ वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२०—श्री शिवचरण—

[वापस लिया गया ।]

*१२१—१२२—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गुन्नौर थाने में प्यारेलाल के कत्ल की रिपोर्ट

*१२३—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के अन्तर्गत थाना गुन्नौर में प्यारेलाल निवासी बबराला के कत्ल के सम्बन्ध में दिनांक ५ जून, १९६३ को कोई रिपोर्ट लिखाई गई ? यदि हां, तो उसमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस आशय की रिपोर्ट गश्ती सिपाही द्वारा थाना गुन्नौर पर दर्ज कराई गई थी ।

पुलिस द्वारा जांच की गई, पर अभियुक्तों का कोई पता न चलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

नैनीताल जिले में केन क्रशर्स के लाइसेन्स

*१२४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६४ में जिला नैनीताल में केन क्रशरों के लिये नये लाइसेन्स दिये गये ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । जिन लोगों को लाइसेन्स दिया गया उनकी नामावली संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९८७ पर)

*१२५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि एसकोर्ट के मैनेजर और ऊदलपुर (जिला नैनीताल) के नाम ६४ में नये क्रशरों को लाइसेन्स दिये गये क्रशर मिल के कितने फासले पर हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सर्वश्री एसकोर्ट्स फार्म, जिला नैनीताल के नाम लाइसेंसिंग वर्ष १९६४–६५ में दो पावर क्रशर्स ग्राम घौरी वकील में चलाने के लिये लाइसेंस दिया गया । यह इकाई काशीपुर चीनी मिल से ६ मील की दूरी पर स्थित है ।

ऊदलपुर के नाम तथा इस नाम के ग्राम के लिये १९६४ में पावर क्रशर का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया ।

*१२६—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

ए० पी० पी० तथा सब-इन्स्पेक्टर पुलिस का वेतन-क्रम

१—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के ए० पी० पी० और सब-इंस्पेक्टर पुलिस के अलग-अलग वेतन-क्रम क्या है और उनको अलग-अलग मकान किराया क्या दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१—सब-इंस्पेक्टर का वेतन क्रम रु० १५०—५—१७५ द० रो०—५—२००—द० रो०—१० २५० और ए० पी० पी० का वेतन क्रम रु० २००—८—२३२—द० रो०—८—२७२—द० रो०—८—२८०—१०—३०० है । इनके मकान किराये की दर निम्नलिखित है ।

सब-इंस्पेक्टर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ में रु० ३० प्रति मास । मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, झांसी, फैजाबाद, देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, तथा गोरखपुर, में रु० २२.५० प्रतिमास । अन्य स्थानों पर रु० १८.७५ पैसा तक प्रति मास ।

ए० पी० पी०—

रु० १८.७५ पैसा प्रति मास सभी स्थानों पर ।

फतेहपुर जिले में औद्योगिक अभियान

२—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिले में वर्ष १९६४ में श्री जे० डी० शुक्ला, आयुक्त, इलाहाबाद मन्डल द्वारा कोई औद्योगिक अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो इस अभियान में कुल कितनी इकाइयां कहां-कहां किस-किस कार्य की किसने स्थापित की और उसमें कौन-कौन सी इकाइयां नियमतः अपना कार्य कर रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, फतेहपुर जिले में श्री जे० डी० शुक्ला, आयुक्त, इलाहाबाद मंडल द्वारा वर्ष १९६४ में एक औद्योगिक अभियान चलाया गया था । इसमें कुल १४३ इकाइयों जिला फतेहपुर में स्थापित की गई जिनका विस्तृत विवरण तालिका† "अ" पर संलग्न है ।

३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थापित की गई उक्त औद्योगिक इकाइयों में से प्रत्येक ने कितनी धनराशि तथा किस प्रकार के कच्चे पक्के माल तथा मशीनरी की मांग की और उसमें किन-किन को क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

औद्योगिक कार्य क्रम में सम्मिलित की गई इकाइयों की योजना पहले ही बना ली गई थी । प्रत्येक इकाई को या तो उसी योजना के अनुसार या उद्योगपति की हैसियत के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है जो कि तालिका† "अ" के कालम ४ पर अंकित है ।

---

†छापी नहीं गई ।

कच्चे माल की कुल १५ व्यक्तियों ने मांग की और उनमें से ५ व्यक्तियों को सहायता दी गई। कच्चे माल में अधिकांश मांग जी० पी० शीट तथा बी० पी० शीट की थी जिसका कि प्रदेश में विशेष अभाव है इसी कारण अन्य उद्योगपतियों को कच्चे माल की व्यवस्था न की जा सकी।

मशीनरी के लिये कोई मांग प्रेषित नहीं की गई थी।

४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या इस बात का भी प्रयत्न औद्योगिक इकाई स्थापित करने के पूर्व किया जाता है कि जिस प्रकार की इकाई स्थापित की जा रही है यदि उसे नियन्त्रित वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो दी जा सकेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थापित औद्योगिक इकाइयों में अब तक किस-किस को किस भांति नियमित वस्तु की कितनी मात्रा में और कब सहायता दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

साधारणतया प्रयास यह किया जाता है कि जिनको कच्चा माल सरलता से प्राप्त हो सके वही उद्योग स्थापित किये जायें। उद्योगपतियों को कच्चा माल देने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता है। जिन व्यक्तियों को जितना कोटा स्वीकृत किया गया उसका विवरण तालिका "ब" में संलग्न है।

मधुबन थानाध्यक्ष के विरुद्ध मोती अहीर की शिकायत

५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक २३ दिसम्बर, १९६४ को भेजी रजिस्टरी मिली है कि जिसमें शिकायत है कि आजमगढ़ जिला के मधुबन थाना के दरोगा बनवारी सिंह ने उसी थाने के धर्मपुर ग्रामवासी मोती अहीर को दिनांक १९ दिसम्बर, १९६४ को बुरी तरह पीट-कर थाने में बन्द कर दिया था और दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ को छोड़ा, जिसकी डाक्टरी मुलाहिजा दोहरीघाट के डाक्टर ने दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ को की? यदि हां, तो क्या उस दरख्वास्त की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि उस दरोगा को मुअत्तल कर ऐसे गम्भीर आरोप की निष्पक्ष जांच अभी तक क्यों नहीं करायी ? अब भी क्या मुअत्तल कर निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र, जिसे श्री मोती अहीर ने भेजा था, शासन को प्राप्त हुआ था और उसे प्रधान, पुलिस निरीक्षक के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

श्री मोती अहीर की खोज वस्तुतः एक कत्ल के केस के संबंध में की जा रही थी और वह १९ दिसम्बर, १९६४ को पकड़ा गया था। उसे न मारा पीटा गया, न थाने में ही बन्द किया गया। मधुबन थाने के दरोगा के विरुद्ध कथित व्यक्तियों के शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की थी और श्री मोती से अपनी चोटों की डाक्टरी रिपोर्ट को दिखाने के लिए कहा था जिसे उन्होंने नहीं दिखाया। अतः आरोप सिद्ध नहीं हुए।

प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

छापी नहीं गई।

प्रेस मान्यता समिति

६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति इस समय किस स्थिति में है जिसने अपनी गत बैठक में समिति को समाप्त कर देने का निश्चय किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति भंग हो चुकी है और अब उसको पुर्नगठित करने के कार्यवाही की जा रही है ।

७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

गत वर्ष इस समिति के विरुद्ध प्रकाशित अनेक समाचारों तथा पत्रकारों के असन्तोष को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस समिति की बुराइयों को दूर करने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि प्रेस मान्यता समिति भंग हो चुकी है अतएव इसका प्रश्न नहीं उठता ।

८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार को पता है कि इस समिति के एक सदस्य का लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से स्थानान्तरण हो गया और दूसरे सदस्य आजकल पत्रकारिता से पृथक हैं ? यदि हां, तो इनके स्थान पर दो नये पत्रकार प्रतिनिधियों को रखने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि प्रेस मान्यता समिति भंग हो चुकी है अतएव इसका प्रश्न नहीं उठता ।

९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया ।]

मैनपुरी जिले में अपराध

१०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना करहल व थाना कुररा, जिला मैनपुरी में १९६४–६५ में कितनी डकैती व कितनी राहजनी व कितनी चोरियां हुईं और कितने आदमियों को दन्ड दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९८८–९८९ पर)

नये थाने

११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नये थाने इस वर्ष किन-किन जिलों में खोले जायेंगे तथा उनकी देख रेख करने हेतु किन-किन पदों के पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस वर्ष किन-किन जिलों में नये थाने खोले जायेंगे यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा पुलिस महानिरीक्षक से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये हैं । इन नये थानों में वर्तमान थानों की तरह सब-इंस्पेक्टरों, हैड कांस्टेबिलों तथा कांस्टेबिलों की नियुक्ति की जायेगी ।

१२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद की कोतवाली को दूसरे स्थान पर बनाने की योजना बहुत वर्षों से चल रही है ? यदि हां, तो दूसरी कोतवाली बनाने में कौन-सी बाधा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इलाहाबाद की कोतवाली को दूसरे स्थान पर बनाने की कोई योजना इस समय नहीं चल रही है ?

एस० डी० ओ०, महोबा के विचाराधीन बन्दूक के लाइसेन्स

१३--श्री मदनपालसिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महोबा सब-डिवीजन, जिला हमीरपुर के एस० डी० ओ० की अदालत में कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जो बन्दूक के लाइसेंस के प्राप्त करने की विषय में थे जिनको दिये हुये एक वर्ष हो चुके अभी तक फैसला नहीं हुआ जबकि कानूनी सम्बन्धित सारी कार्यवाही हो चुकी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इतनी अधिक देरी का कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

एस० डी० ओ०, महोबा के कार्यालय में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र एक वर्ष पुराना आदेश के लिये शेष नहीं है जिसमें कि अब कार्यवाही पूरी हो चुकी है । केवल वही प्रार्थना-पत्र शेष हैं जिसमें कि अभी जांच रिपोर्ट तहसीलदार अथवा थानाध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुई है ।

"कौमी आवाज" में छपे शीर्षक पर आपत्ति

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, कौमी आवाज में यह हेडिंग छपी है कि "मुसलिम यूनिवर्सिटी में मुल्क दुश्मन सरगर्मियां" "मर्कजी हकूमत से रुजू करने का वादा", इस हेडिंग । के नीचे तस्वीर भी छपी है चीफ मिनिस्टर की कि चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही, हालांकि चीफ मिनिस्टर ने यह नहीं कहा। इससे भ्रम पैदा होता है । इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजियेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास नियम ५२ की एक सूचना आयी है जिसको मैं उचित कार्यवाही के लिए माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, जितनी सूचना आप माननीय मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजते हैं उसका न तो कोई उत्तर आता है कि उस पर क्या कार्यवाही हुई, न उसकी सूचना आती है और न माननीय सदस्य के पास कोई सूचना आती है। आप यह डाइरेक्शन उनको दे दें कि आप के पास इसकी सूचना आजाय कि जो आपने उनके पास उचित कार्यवाही के लिये भेजा था उसमें उन्होंने क्या किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी कह दूंगा, लेकिन आदरणीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वह भी इस मामले को परसू करें।

विधान सभा के स्वतन्त्र दल के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास माननीय भानुप्रताप सिंह ने यह सूचना भेजी है कि स्वतंत्र दल के निम्न पदाधिकारी हैं :--

नेता--	श्री भानुप्रतापसिंह
उपनेता	श्री चैतन्यराज सिंह
मुख्य सचेतक	श्री राम अधार कनौजिया
सचेतक	श्री मुन्नू सिंह
कोषाध्यक्ष	श्री काशीनाथ बहादुर पाल
मंत्री--	श्री बलवीर सिंह

देवरिया जिले में गन्ने का बकाया न मिलने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी आप ने देखा कि चन्द्रबली सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देवरिया जिले में कई हजार मन गन्ना सूखने वाला है। हमारे गांव के पास बिलथरा रोड, जिला बलिया में एक सोसाइटी है। उस अकेली सोसाइटी के ऊपर गन्ने का ७६ हजार रुपया बकाया है। हम को यह भी जानकारी हुई है कि लाखों रुपया किसानों का गन्ने की कीमत का मिल मालिकों के यहां जमा है। आजकल किसानों को मालगुजारी अदा करना है और उन के यहां विवाह शादी का भी समय है लेकिन उनको रुपया नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस रुपये को दिलाने का प्रयत्न किया जाय। सरकार इस तरफ अपनी तवज्जह नहीं कर रही है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं आप सरकार को सलाह दें कि वह हम लोगों के प्रार्थना को स्वीकार करें और जो गन्ने की कीमत मिल मालिकों पर बकाया है उसको ७ दिन के अन्दर मिलना चाहिये।

विद्युत उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

कीमत का जितना भी रुपया बाकी है उसको दिलाने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ आप यह भी देखेंगे कि ९६ हजार रुपया कमीशन का बाकी है। यह भी मैं आप को बताऊं कि यह जो मिल है यह अथराइज्ड कंट्रोलर के हाथ में है। यह कोई प्राइवेट मिल नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत सीमा पर किये गये अतिक्रमण में हुए शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने से सम्बद्ध संकल्प के विषय में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, हमने एक प्रस्ताव दिया था पाकिस्तान के आक्रमण के सम्बन्ध में....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

वह प्रस्ताव मैंने दिया था.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं कि ऐसे संकल्प जिनके द्वारा राज्य के संकल्पों का द्रढ़ संकल्पों की घोषणा की जाती है उन्हें विशेष रूप से सब पार्टियों के नेताओं से बात चीत कर के, सबकी सहमति से यहां लाया जाना चाहिये, नेता सदन से बातचीत होने के पश्चात् यहां आने चाहिये। आज नेता सदन इत्तफाक से हैं नहीं और उन की अनुपस्थिति में मैं वह नहीं लूंगा। अब वह कल होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, कल आप ने मुझे आज्ञा दी थी तो मैंने नेता सदन से बात की थी और उन्होंने मुझे यह कहा था कि आप उस संकल्प को उनके सचेतक, नवलकिशोर जी को दिखला लीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह आज हैं नहीं, बाहर गयी हुई हैं। शाम तक आ जायंगी। तो आशा है कि कल इसमें दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कि वैसे आप का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब सरकार अपने कर्त्तव्यों का पालन न कर सके तो इधर के लोगों का कर्त्तव्य है कि उसे मार्ग दिखावें और कल जब यह प्रस्ताव आप के पास पेश किया गया था तो कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था। उनका कर्त्तव्य था कि वह उपनेता सदन से कह कर जातीं कि वह इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष---

कर्त्तव्य आप का है और उनका नहीं है। यह तो कोई जवाब नहीं है। मैं कहता हूं कि जब नेता सदन आ जायं तो आप डिस्कशन में कह दीजियेगा कि आप अपना कर्त्तव्य नहीं समझतीं इसलिये हमने इसको रखा है। अब आप बैठ जायं।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह बिसेन)---

आज मुझसे मेरे भाई माधव प्रसाद त्रिपाठी ने बात की थी और हमने आपस में बातचीत की थी। कुंवर श्रीपाल जी ने मुख्य मंत्री जी से क्या बात की। इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग करीब-करीब सब सहमत हैं। कल वह आ जायं और उनसे राय ले लें तो यह हो जायगा और गवर्नमेन्ट अपना कर्त्तव्य पालन करती है या नहीं करती है इसका फैसला रामसुन्दर पांडेय नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठ जायं।

एक सदस्य---

माननीय मुख्य मंत्री गोंडा गयी है। वह कल तक नहीं आ सकेंगी। इसलिये इस पर बात कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठे।

†उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ (क्रमागत)*

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैंने कल इस विधेयक की धारा २१ और २२ के बारे में चर्चा की थी। श्रीमन्, इस विधेयक की इन धाराओं को देखने के बाद कुछ भ्रम सा इधर उधर के माननीय सदस्यों को हो सकता है जैसे मीटिंग में कुछ सदस्य मौजूद नहीं हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने वोटिंग में भाग ले लिया जो मेम्बर भी नहीं है, तो इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है कि वह वोट में मेम्बर न होते हुए भी अगर हिस्सा ले लेता है तो उस को वैध मान लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था में आमूल सुधार की जरूरत है। इसी तरह से २२ में भी अगर देखा जाय तो इसी तरह की व्यवस्था कर दी गयी है। यदि गुड फेथ में कोई काम किया जाय तो बाद में कोई अनियमितता होने पर भी तो परिषद् उस को माफ कर देगी। मैं समझता हूं कि इस भावना से एक तरह का भ्रम पैदा हो सकता है। यह जो दो मूल धारायें हमारे सामने हैं उन पर जिस समय क्लाजवाइज डिस्कशन होगा, मैं विस्तृत तरीके से विचार करूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से सुपरवाइजरी स्टाफ के बारे में जो....

(व्यवधान)

जो प्राविजन किया गया है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इन धाराओं को देखें तो ज्ञात होगा कि इनकी वजह से इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम सा उत्पन्न हो सकता है। सुपरवाइजरी ग्रेड जो रखा गया है वह ४०० रुपया तक का है और जो कर्मचारी ४०० रु० तक वेतन ड्रा करेंगे उनको परिषद् में रख दिया गया है। इससे ऐसी भावना पैदा हो सकती है कि उसमें कहा जा सकता है कि किसी संस्थान के, मिल के मालिक किसी तरीके से अपने आदमियों को ले आकर के जो सुपरवाइजरी ग्रेड के हैं उनमें कोई अपना हित साध सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी व्यवस्थाएं की गयी हैं वह ऐसी हैं जिन को अगर सुधारा जाय तो जिस मकसद के अन्तर्गत यह विधेयक लिया गया है, वह पूरा हो सकता है। यह विधेयक जो साफ तरीके से वेलफ़ेयर के लिए है इसमें आप जानते हैं कि मजदूर तीन दिन तक अगर गैर-हाजिर होता है तो उस की मजदूरी कट जाती है।

(इस समय १२ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद, पीठासीन हुईं।)

अगर एक मजदूर काम करता हुआ मौत के घाट उतर जाता है और उस की तनख्वाह बाकी होती है तो लोग सालों तक उसके सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जज और मजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं तब वह पा सकते हैं और जितना धन उसका बाकी है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सी व्यवस्थाओं के अन्दर मजदूरों का पैसा मिल-मालिक अपने हित में देता था और यह शिकायत की थी कि मिल-मालिक एक फर्जी यूनियन कायम कर रहे हैं, इस विधेयक के आने के बाद सारा धन, फंड, आज एक विधेयक के अन्तर्गत श्रम-कल्याण के अन्तर्गत खर्च होगा, यह अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हम को समाजवादी प्रगति की ओर ले जायगा, इसके ऐक्ट बन जाने से हमारे मजदूरों के हित के लिए जो आज सरकार ने कदम उठाया है। उसका स्वागत होगा और मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि इधर और उधर के लोगों को इसे बिना किसी हुज्जत के पास कर देना चाहिए और इसकी भावनाओं का स्वागत करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†२६ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*२८ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् ५६ में जो विधेयक लाया गया था वह इस तरह का विधेयक था जो बाम्बे की गवर्नमेंट ने बनाया था, कुछ न्यायिक कठिनाइयों की वजह से वह कार्यान्वित नहीं हो सका, लेकिन जो फैसला उच्च न्यायालय से हुआ वह सन् १९६१ में जब हो चुका था तब फिर इस विधेयक को सन् १९६२, १९६३, १९६४, १९६५ में यानी आज से पहले ही आ जाना चाहिए था। काफी देर में यह लाया गया, लेकिन देर आया, सबेर आया, आ गया, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मुझे यह कहना है कि सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि नियमों द्वारा तय किया जायगा कि कितने सदस्य मजदूरों के होंगे, कितने मिल-मालिकों के होंगे। ज्यादा अच्छा होता कि सदस्यों की संख्या इसमें बता दी गयी होती कि इतने मजदूरों के और इतने मिल मालिकों के होंगे। हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित हुई हैं और उस के साथ औद्योगिक क्षेत्र में जो हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा नारा है कि गांव में भी उद्योग-धंधों को फैलायेंगे और आज जब कि हमारे गांव में बिजली जाना शुरू हो गयी तो उद्योग धंधे भी खुलेंगे। छोटे उद्योग धंधे भी खुलेंगे और बड़े भी खुलेंगे। कुछ ऐसे भी बड़े उद्योग धंधे खुलेंगे जिनमें मजदूरों की संख्या बहुत अधिक होगी। इसके साथ ही कुछ कृषि फार्म्स भी है जिन पर काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं। सहकारिता के आधार पर भी फार्म्स खुलते जा रहे हैं। इन सब को मिलाकर काफी संख्या मजदूरों की गांवों में होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि जो श्रम कल्याण परिषद् बनेगी उसमें उन लोगों का भी प्रतिनिधि हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को भी इससे लाभ पहुंच सके।

श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुरलीधर कुरील—

जब भी माननीय मंत्री जी नियम आदि बनायें, उस वक्त यह ध्यान रखा जाय कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का भी प्रतिनिधि उस परिषद् में हो। नियम बनाते वक्त उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाय। वैसे यह विधेयक सभी बातों में पूर्ण है और इसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। मैं समझता हूं कि सदन इस विधेयक का स्वागत करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं खुशी का इजहार करता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री जी ये लेबर वेलफेयर बिल लाये हैं। इसके बारे में मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूं। पहिली बात यह है कि मिलों के अन्दर जो लेबर का प्राविडेन्ट फन्ड है, जब कोई लेबर मर जाता है तो बास को तो प्राविडेन्ड फण्ड नहीं मिलता है और बास को बाद में बड़ी तकलीफ से मिलता है। प्राविडन्ट में गोलमाल भी हो जाता है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि इस प्राविडेन्ड फन्ड को सरकार अपने कब्जे में लेकर इसको लेबर के वेलफेयर में ही इस्तेमाल करावे। या जो बेवा औरतें हैं, उनके हस्बैंड या बच्चे की मृत्यु हो गयी है, सरकार को उस फंड से उन की मदद करनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९६३ में मैंने अपनी तकरीर हाउसिंग के बारे में की थी कि २५ हजार क्वाटर्स मजदूरों के लिये बनाये गये हैं। उनके निर्माण के हिसाब किताब का गोलमाल था। वह गोलमाल निकला, पर मुझे तो सरकार ने खबर नहीं दी। लेकिन सुना है कि हजारों की गोलमाल थी। इस हाउसिंग स्कीम के जो भी क्वार्टर लेते हैं दो माह का किराया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

पेशगी देते हैं। उन्हें लेबर के दफ्तर में किसी किस्म की राहत नहीं मिलती। वहां एम्बेजलमेन्ट होता है। सरकार को यह ख्याल करना चाहिये कि जो मजदूर का पैसा हो उसमें गोलमाल न हो और वह पैसा मजदूरों के ही वेलफेयर में आवे। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों के नाम पर जो मनोरंजन होता है, उसमें मिल मालिक और मजदूर चन्दा देते हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। कई जगहों में नहीं रहा। मैंने उस वक्त भी तकरीर में कहा था कि यह हिसाब किताब नहीं रहता है। इसका हिसाब किताब रक्खें। हर जिले में मनोरंजन होते हैं लेकिन उन मनोरंजन में मजदूरों को हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता है। बाहर के आर्टिस्ट उसमें हिस्सा लेते हैं और बताया यह जाता है कि यहां के मजदूर हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से गेम्स में भी मजदूरों के नाम पर और ही लोग खेलते हैं और नाम मजदूरों का कर दिया जाता है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों के बच्चों की एजूकेशन और हेल्थ के बारे में अभी भी हमारी सरकार इतना बन्दोबस्त नहीं कर सकी कि मजदूरों के बच्चों को आला तालीम मिल सके। मैं यह चाहता हूं कि जिस जगह भी रुपया जमा हो उससे मजदूरों के बच्चों की तालीम में मदद करनी चाहिये। ये मेरे कुछ सुझाव हैं, सरकार इनकी तरफ ध्यान दे।

मजदूरों के लिये हमारे यहां जो हास्पिटल्स भी खुले हैं वहां उनका इलाज बड़ी लापरवाही से किया जाता है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में मजदूर टी० बी० से सफर कर रहे हैं और वहां टी० बी० का हास्पिटल है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो रुपया आवे वह उनके वेलफेयर, बीमारी के इलाज में खर्च होवे। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जो हास्पिटल है उसमें मजदूरों के बजाय अधिकारियों की ज्यादा परवाह होती है। यह मैं अपनी नालेज से कह रहा हूं। ये मेरे सुझाव हैं। सरकार इनकी तरफ ध्यान करे। मैं इस विधेयक की ताईद कर रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्रम कल्याण निधि विधेयक का स्वागत करती हूं। आज इस समय सदन में जो वातावरण है उससे यह स्पष्ट है कि इस बिल का स्वागत इस सदन का प्रत्यक माननीय सदस्य कर रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में जितने भी बिल आये उनमें कोई ऐसा बिल नहीं आया जिसका कि विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों ने किसी न किसी बहाने को लाकर के विरोध न किया हो। लेकिन यह एक ऐसा बिल है जिसका सदन में सब ओर से स्वागत किया जा रहा है। मैं यह समझती हूं कि जनकल्याणकारी राज्य में इस प्रकार के अधिनियम का औचित्य है और यह बिल जो इतने दिन बाद आ रहा है इसको बहुत पहले आना चाहिए था। जैसा कि बतलाया गया है कि सन् १९५६ में यह बिल आया था लेकिन बम्बई का भी कुछ इसी से मिलता जुलता बिल था जिसका कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कुछ उसके ऊपर आबजेक्शंस थे इसलिए सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि उस अधिनियम को जिसमें कुछ क्लाजेज बम्बई के अधिनियम की भांति ही थे, उस समय लागू करती। उस की प्रतीक्षा की गई और इसीलिए यह बिल अब आ रहा है और उसमें संशोधन न कर के यह एक नये बिल के रूप में ही रखा गया है।

इस बिल की जो भावना है जिसके द्वारा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि की स्थापना करने की योजना बनायी है, वह बहुत ही उचित भावना है और इस भावना का मैं स्वागत करती हूं। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहती हूं कि इस का जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है अर्थात् इस निधि के द्वारा जिन श्रम कल्याणकारी कार्यों को उठाने का दायित्व सरकार अपने ऊपर ले रही है और अपने नियमों के द्वारा उन सब औद्योगिक कारखानों में जो कि मिल के मालिक हैं, उन को करने के लिए एक रास्ता दिखा रही है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और जब इस निधि को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनायें जायं तो उन नियमों को बनाते समय विशेष कर इन बातों का ख्याल रखा जाय कि इसका उचित उपयोग, समुचित ढंग से श्रमिकों

के हित में हो सके क्योंकि इस बिल में जो निधि की स्थापना है उसमें जो धन आयेगा वह धन, सब से पहले मजदूरों को दी जाने वाली वह सब रकमें जो कि अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष पूर्व और बाद तक नहीं जा सकी हैं, वह इस निधि में ट्रांसफर कर देंगे। मैं यह समझती हूं कि यह एक अच्छी बात है कि ऐसा धन जो मजदूरों की गाढ़ी कमाई का है उसको मजदूरों के काम में लगाने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक खतरा यह भी है कि जैसा कि पूंजीपतियों का एक ढंग होता है अगर किसी मजदूर के ऊपर फाइन किया गया है और वह किसी कारण से ....

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रही थी कि इस निधि को बनाने के लिए जो सब से पहला क्लाज रखा गया है कि इसमें कर्मचारियों से वसूल किया हुआ अथवा उनके द्वारा देय सभी अर्थदण्ड होगा, तो इसमें इस बात की सतर्कता बर्तने की जरूरत है कि जो फाइन या जो एसी रकम मजदूरों को अगर तीन वर्ष तक नहीं दी गई या उनसे वसूल करने के बाद पूंजीपतियों द्वारा रख दी गयी, तो कहीं पर मजदूरों को परेशान करने के लिये अगर ऐसा होता है, कई ऐसे मामले होते हैं, जिनमें कि उस को कुछ दिनों तक टाल दिया जाता है, जानबूझ कर के, और फिर बाद में उनका निर्णय होता है। कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष पूर्व तक की जो रकम पड़ी होगी, वह इसमें आयेगी। ऐसे मजदूरों को या ऐसे लोग जो मजदूर आन्दोलन में हिस्सा लेते हैं या उनको परेशान करने के लिए मिल मालिकों से इस चीज को देर तक रखा जा सकता है, या कभी-कभी ऐसा निर्णय जिसको वह जल्दी कर सकते हैं, उनको परेशान करने के लिए बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्लाज है कि अगर दावेदार का दावा साबित हो जायगा तो परिषद् के अधिकारियों को अधिकार होगा कि वह उस को वापस कर देंगे, इसमें प्रोटेक्शन आ जाता है। इस अधिनियम के बनने के बाद जो अलग-अलग किस्म की रकमें इसमें आने की बात है, मैंने देखा कि कोई निश्चित रकम किस रूप में आयेगी यह बात इसमें नहीं आती है। सारी ही बातें स्वेच्छा पर छोड़ दी गई हैं। यहां पर राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान और किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से किया गया दान या अंशदान और इसी तरह से कोई अन्य धनराशि जो निधि को भुगतान की गई हो अथवा भुगतान योग्य हो। इसके माने यह हुए कि कोई निश्चित तरीका इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दिखाई पड़ता जिसके द्वारा यह निधि बन सके। लगता ऐसा है कि जो फाइन है या अर्थदंड है जो मजदूरों का मिल मालिकों के पास पड़ा रहता है, उससे तो कुछ हो जायगा लेकिन मुझे सन्देह है कि ऐसी रकम कोई बहुत बड़ी होगी जिसके द्वारा श्रम-कल्याण निधि की स्थापना हो सकेगी, जिसका प्रदेश भर के जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, जो प्रदेश भर की मजदूर शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके कल्याण के लिये परिषद् कुछ खर्च करने में सफल हो पायेगी। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि सरकार की जो नीति है, और जब समाजवाद को मानते हैं और उस को लाने में प्रयत्नशील हैं और उसी दिशा में हमारा प्रत्येक नियम और कानून बनता है, उसके अनुसार हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो श्रम कल्याण निधि हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी मजदूर आन्दोलन की तरफ से बहुत बड़ी मांग थी, इस निधि को इस रूप में बनायें, इसके पीछे इतनी शक्ति हो इसके पास इतना धन हो कि वह कुछ थोड़े अंश में हमारे प्रदेश में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, जोकि फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूर आते हैं, जहां पर लेबर वेलफेयर सेंटर्स स्थापित करते हैं, उनके द्वारा हम इसको सुचारुरूप से चलाने के लिये उनको हम पर्याप्त धन इस परिषद् के द्वारा दिला सकें। अगर इसमें आ सकता है, तो नियम बनाते वक्त हम यह कर दें। मैं तो एक सुझाव देना चाहती हूं कि जो कारखाने में

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

प्राफिट होता है, हर साल उसका कुछ एक निश्चित अंश इस कल्याणकारी निधि में आना चाहिये। हम कहते हैं कि फैक्ट्री में पार्टनर-शिप हो। समाजवाद का जो आने वाला नक्शा है, उसमें फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों को भी प्राफिट में कुछ अंश मिलने का बात होगी। तो ऐसी हालत में हमें इस अधिनियम के अन्तर्गत इस नियम में कुछ ऐसा प्राविधान करना चाहिये था जिससे कि मजदूरों के कल्याण के लिये जो अपना पसीना बहाकर, साल भर मेहनत करके कारखाने के लाभ को बढ़ाते हैं, और जिनके द्वारा कारखाने वालों को अधिक मुनाफा होता है, बोनस का सवाल तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके हाथ इस निधि में भी कुछ हिस्सा आना चाहिये, यह मेरा निश्चित मत है। मैं यह समझती हूं कि केवल किसी की स्वेच्छा पर छोड़ देने से इस निधि का निर्माण संतोषजनक नहीं हो पायेगा। क्योंकि आज जिस तरह के पूंजीवादी कल कारखाने हैं जहां कैपिटलिस्ट अपने लाभ को देखकर चलता है, जब तक उनके साथ हम थोड़ा कम्पल्शन नहीं रखते हैं, कोई भी स्वेच्छा से दान देने वाला नहीं है। इसलिये जरूरी है कि नियम बनाते समय इस बात का भी ख्याल किया जाय कि किस अंश तक वह इसमें सहयोग दे सकते है।

तीसरा सुझाव मेरा यह भी है कि जिन कल्याणकारी कार्यों के लिये इस निधि का पैसा खर्च होने वाला है, उनका जो व्यवहारिक रूप होगा उसको करने के लिये जहां तक एक ओर आपने एक कल्याणकारी निधि की स्थापना की है, प्रदेश के लिये तो जो कारखाने की अलग-अलग इकाइयां हैं, उनमें भी किस रूप में वह धन जाया करेगा और किस प्रकार से उससे अलग-अलग कारखाने के मजदूरों को फायदा होगा, इसका भी नियम बनाते समय ध्यान रखना चाहिये। अगर इसको कुछ ज्यादा डिसेंट्रलाइज करके इस पर अमल किया जायगा, तब तो मजदूरों तक फायदा पहुंचेगा, अन्यथा यह कुछ थोड़े ही स्थानों तक सीमित रह जायगा। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि इसमें यह साफ कर दिया जाय कि श्रम कल्याण निधि का इस्तेमाल किस प्रकार से होगा। क्या इसको मजदूरों के अनुपात से बांटा जायगा या अलग-अलग जिस कारखाने में धन एकत्रित होता है, वह उसी कारखाने में दे दिया जायगा ? उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, यह इस बिल में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

इस श्रम कल्याणकारी राज्य में बहुत अच्छे-अच्छे कानून पास होते हैं लेकिन जब उनके अमल में लाने की बात आती है, वेस्टेड इन्टरेस्ट्स पर जब कोई आंच आती है, तो वे लोग उसको निष्प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें सरकार ने जो प्राविधान रखा है, उससे मुझे कुछ एसा लगता ह कि कुछ ऐसी बातें थीं जो इसमें चाहिये थीं, और नहीं आ पायी है। मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी बातों को इसमें छोड़ दिया गया है जो नियमों में बाद को ले आयी जायेंगी। मैं आशा करती हूं कि जिन श्रम कल्याणकारी कार्यों के लिये यह बिल रखा गया है और जिन कल्याणकारी कार्यों के लिये निधि का पैसा खर्च किया जायगा, वह बहुत अच्छी तरह स होगा, और वे गरीब लोग अपनी छोटी सी कमाई में जिन कार्यों को नहीं कर सकते हैं, वे इस निधि के द्वारा पूरे कर सकेंगे।

इसमें महिलाओं, बालकों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिये एक विशेष क्लाज रखा गया है। मैं इसका दिल से स्वागत करती हूं। क्योंकि मजदूरों की हालत खराब है, वे गरीब हैं उनको कम तनख्वाह मिलती है, उसका नतीजा यह होता है कि उनके बच्चे पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। महिलाओं की शिक्षा तो होती ही नहीं। इस निधि के द्वारा जो महिलाओं, प्रौढ़ और बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है, उससे उन लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा, उनके घर का वातावरण अच्छा होगा, हमें शिक्षित मजदूर बालक मिल सकेंगे, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देकर अच्छे कामों पर लगाया जा सकेगा और उनके यहां का जो गंदगी का वातावरण होता है उसमें भी सुधार हो सकेगा। इसमें १४ क्लाज रखे गये हैं जिनके अनुसार यह निधि खर्च की जायगी अगर उनका कार्यान्वियन अच्छा हुआ तो सभी क्लाज अच्छे हैं।

इसके साथ ही साथ इस बिल में यह लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्णय अंति होगा, जबतक उसकी अपील आदि नहीं हो जाती है । कार्य को शीघ्रता से चालू करने के लि इसम जो यह लिख दिया गया है, वह बहुत अच्छा है क्योंकि जिले का जिलाधीश वहां की सब बात को जानता है, इसलिये उस स्थान के बारे में वह ठीक निर्णय लेने में समर्थ हो सकता है । किसी निर्णय को बहुत अर्से तक रोक रखने से काम बनने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करती हूं और सेलेक्ट कमेटी वाले प्रस्ताव का विरोध करती हूं क्योंकि उससे एक अच्छा काम और आगे के लिये टल जायगा ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, यह जो श्रम कल्याण निधि विधेयक आया है, इसकी मूल भावना का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छी चीज है । लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस में जो खराबियां रह गई हैं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया उन की वजह से कठिनाइयां आ सकती हैं क्योंकि अभी तक होता यह रहा है कि बहुत से मजदूर जो बुढ़ापे में काम छोड़ कर चले जाते थे या किन्हीं कारणों से अपने पैसे क्लेम नहीं कर सकते थे वेतन के या फंड के या दूसरी मदों में जो उन का पैसा होता था, वह क्लेम नहीं कर पाते थे और वह सब पैसा मिलमालिकों के यहां पड़ा रहता था । जब कोई आवश्यकता पड़ती थी और वेलफेयर के कामों में पैसा देने के लिये उन से कहा जाता था तो वह थोड़ा बहुत पैसा अपनी मरजी से दे देते थे । अब सरकार ने इस बिल के द्वारा जो यह कोशिश की है कि इस तरह के जो फंड्स मिलमालिकों के पास पड़े रह जाते हैं और जिन का ठीक प्रयोग नहीं होता था उसको श्रम कल्याण निधि का बोर्ड बनाकर इकट्ठा किया जायगा और वह मजदरों, महिलाओं और उन के बालकों के कल्याण के लाभ में खर्च होगा । यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मुश्किल यह है कि यह रुपया जो अनक्लेम्ड होगा वह सब मजदूरों का हो जाता है । उसमें मिलमालिकों का कोई भाग नहीं है जोकि इस बिल से जाहिर है हालांकि उन्हें लाखों और करोड़ों का लाभ होता है । अगर सचमुच सरकार को मजदूरों की तरक्की तथा उनके आराम क लिय व्यवस्था करना है तो सरकार को इसमें प्राविधान करना चाहिये कि वह अपने मुनाफे में से जो भी हो थोड़ा पैसा दें और वह इस निधि में आये । उस के लिये नियमों में या बिल में भी जहां मुनासिब हो प्राविधान करना चाहिये था । नहीं तो होगा यह कि सरकार की भावना ऊंची होते हुये भी ज्यादा पैसा इस निधि में नहीं आयेगा और सरकार की मन्शा अधूरी रह जायगी ।

दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह बिल पास हो जायगा तो उसके बाद इन मजदूरों के बचे हुए पैसे को लेने के लिये यह कानून कब से लागू होगा । यह भी इस में साफ नहीं कहा गया है उस को लागू करने के लिये सरकार को कोई अवधि रखना चाहिये कि इतने दिन तक अगर यह रुपया जमा नहीं करेंगे तो उन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी । यह ज्यादा से ज्यादा समय ३ मास का होना चाहिये और उसके बाद मिलमालिकों के ऊपर फौरन कानूनी कार्यवाही होना चाहिय । उन पर जुर्माना और सजा दोनों का प्राविधान किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । इसमें एक प्रश्न और पैदा होता है जो बोर्ड बनेगा उसमें सरकार अपनी ओर से नामिनेशन करेगी, यह उचित न होगा । इसमें बदनामी होने का डर है । मैं चाहता हूं कि यह जो बोर्ड बने उसमें जहां तक हो मान्यता-प्राप्त संगठन के प्रतिनिधियों को रहना चाहिये और उन से नाम मांग लेना चाहिए । उसमें किसी दलगत भावना से लोगों को नहीं रखना चाहिए । मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि भी इस प्रकार वेलफेयर बोर्ड में आ जायंगे । सरकार कुछ अपना हिस्सा रखना चाहती है तो वह भी अपना थोड़ा नामिनेशन कर दे, हमको कोई एतराज नहीं होगा । लेकिन सारे के सारे लोगों को सरकार नामिनेट करे तो यह मुनासिब नहीं होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ऊदल]

इसमें महिलाओं के कल्याण की बात रखी गयी है । मजदूरों के बोनस का सवाल है । सफाई का इसमें सवाल है । बच्चों के स्तर को ऊंचा करने, बाल कल्याण तथा महिला कल्याण के सवाल इसमें आते हैं । इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर इसके जरिये सहायता की जा सकती है अगर सचमुच सरकार सहायता करना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि सरकार दो तीन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करे । सरकार का मंशा केवल यह है कि जो पैसा मजदूरों का रह जाता है उसी को वह इस निधि में लेना चाहती है । यह कोई अच्छा कदम नहीं है । मालिकों को जो मुनाफा होता है उसमें से भी कुछ हिस्सा इस निधि में मिलना चाहिये । यह कोई मालिकों के साथ ज्यादती नहीं होगी । दूसरे स्थानों पर भी जैसे बम्बई, अहमदाबाद आदि जगहों पर भी इस तरह की व्यवस्था है । उसी तरह से यहां भी आप कर दें । जो कुछ मुनाफे का स्टेटमेंट आपके पास आये उसमें से कुछ हिस्सा आप तय कर दें श्रम कल्याण निधि के लिये, तभी मजदूरों को सरकार फायदा पहुंचा सकती है । फिर सरकार देखे कि ज्यादातर मजदूर क्लेम कर लेते हैं और कितने मजदूर ऐसे होते हैं जो क्लेम नहीं करते । रात दिन लोग क्लेम करते रहते हैं । इस तरह का प्राविधान होगा तो ज्यादा फायदा उससे नहीं होगा । इसके अलावा जो पैसे को जमा नहीं करते हैं उनके लिये भी नियमों में प्राविधान होना चाहिये कि उनके खिलाफ तीन महीने के अन्दर कार्यवाही होगी और उन पर जुर्माना होगा और सजा होगी । इसके अलावा मुनाफे में से कुछ हिस्सा भी इस निधि के लिये तय किया जायगा । बोर्ड में सब लोगों को सरकार ही नामिनेट न करे बल्कि जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनके प्रतिनिधि भी लिये जावें ताकि जन भावना से प्रेरित हो कर बोर्ड बन सके और मजदूरों को सहायता पहुंचाने का जो मंशा है वह पूरा हो सके । इन सुझावों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं कमला सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । पहले यह श्रम कल्याण निधि विधेयक १९५६ में पास हुआ था । ९ वर्ष बीत गये और हमारी सरकार बराबर सोती रही और उसको लागू नहीं किया । इस विधेयक में भी यह लिखा है "यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे ।" यह नहीं कहा कि महीने भर में लागू हो जायगा यहां से पास होने के बाद, फिर यह ८ साल तक पड़ा रहेगा । कोई निश्चित तिथि इसमें रखना चाहिये कि कितने दिन के अन्दर आप इसको लागू करेंगे ।

इसके अतिरिक्त जो मिलमालिकों पर धन पड़ा है उसके लिये आपको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना चाहिये ।

दूसरा सुझाव मेरा यह होगा कि आपने नामनिर्दिष्ट सदस्यों की बात कही है । अगर आप श्रमिकों के कल्याण के लिये संस्था बनाते हैं तो उसमें चुने हुये व्यक्ति होने चाहिये । नामनिर्देशन से तो वही बुराइयां पैदा होंगी जिसके कारण आप वही व्यक्ति लेंगे जो श्रमिकों के लिये शायद हितकर न सिद्ध हों । चुनाव करना नामनिर्देशन से अच्छा है । अगर आप चुनाव करेंगे तो चुने हुये लोग श्रमिकों के हित की बात सोचेंगे ।

तीसरी बात यह है कि आपने सेवायोजकों का अनुपात श्रमिकों के बराबर रखा है । मैं पूछता हूं कि किसका कल्याण आप करने जा रहे हैं ? तो फिर श्रमिकों के प्रतिनिधि ज्यादा होने चाहिये । अगर बराबर रखेंगे तो उनका हित दब जायगा और वे सेवायोजकों के प्रतिनिधि श्रमिकों का लाभ नहीं करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौथे, इसमें वाइस चेयरमैन की कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है । चेयरमैन है लेकिन वाइस चेयरमैन नहीं । चेयरमैन अगर बाहर चला गया या उसने काम नहीं किया तो बहुत संभव है कि परिषद् की मीटिंग ही न हो । तो वाइस चेयरमैन का रखना आवश्यक है ।

पांचवें, आपने इसमें यह भी नहीं रखा है कि परिषद् की मीटिंग कितने दिनों में होगी । इसका प्राविधान रखना आवश्यक है ।

इसके अलावा आपने कोई पीनल क्लाज नहीं रखा है कि अगर सेवायोजक के पास कोई धन रह जाता है और मिलमालिक नहीं देता है तो उस पर क्या पिनाल्टी होगी । यह तो नहीं होगा कि मिलमालिकों के पास अगर कोई निधि पड़ी है तो वह स्वयं दे दे । यह आशा नहीं रखना चाहिये कि जो किसी पर बकिया पड़ी है तो वह आपको सूचित कर देगा कि हमारे यहां पैसा पड़ा है और वह हम निधि में देना चाहते हैं । और अगर नहीं देता है तो उसके लिये पीनल क्लाज होना ही चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको प्रवरसमिति में भेजने से देर लगेगी । ऐसे ही ९ साल बीत गये हैं और कितने दिन आगे होगा, यह कहना कठिन है । तो अगर एक महीने तक ठहर कर प्रवर समिति में लोगों के विचारों से संशोधित करके लावें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

माननीया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

वोटिंग तो २ बजे के पहले नहीं हो पायेगा । पहले हरीशकुमार जी को बोल लेने दीजिये ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय । मेरा कहना यह है कि इस संबंध में जो कानून बनाया गया था १९५६ में उसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट में चूंकि एक कानून और इस किस्म का पड़ा हुआ था उस पर निर्णय होने वाला था इसलिये हमने इसको लागू नहीं किया । तो मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि अब कोई ऐसा कानून तो नहीं पड़ा हुआ है जो इस प्रकार का हो और जो हाईकोर्ट के निर्णय के मातहत हो चाहे आप फिर वही बहाना लें और इसको लागू न करें । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि हाईकोर्ट में किसी और राज्य के इसी प्रकार के ऐक्ट का झगड़ा हो तो इसको हमारे यहां लागू करने में क्या कठिनाई है । अगर उसमें कोई कठिनाई हो तो यह हाईकोर्ट के निर्णय के साथ ठीक की जा सकती है । अगर इस प्रकार का झगड़ा कहीं था तो उन धाराओं को ठीक कर सकते थे और उसमें संशोधन कर सकते थे । बहरहाल उसको ८,९ साल तक रोके रखना और झगड़ा पड़ने की वजह से लागू न करना कोई उचित नहीं मालूम पड़ा । अब तक यह परम्परा रही है कि बाहर यदि इस प्रकार का ऐक्ट बनाया गया है और वह झगड़े में पड़ा भी है तो यहां पर उसका कार्यान्वयन रुका नहीं । हां यह जरूर है कि हो सकता है कि हमारे माननीय बनारसीदास को कुछ विशेष प्रेम हो गया हो और वह वास्तव में सद्भावना के साथ अब श्रमिकों के लिये कुछ करना चाहते हों तो मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं कि वह अब इसको जल्द लागू करेंगे यद्यपि इसकी तिथि निश्चित नहीं है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो कम्पोजीशन इसमें दिया हुआ है वह प्रजातंत्र की प्रणाली के विरुद्ध मालूम होता है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा कौन सा इन्टरेस्ट है, ऐसा कौन सा लाभ है जो हमको मिलमालिकों से प्राप्त होने वाला है और जिसके कारण उन मिलमालिकों का बराबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

प्रतिनिधित्व रखा गया है । यह हो सकता था कि उनके १,२ आदमी रख लिये जाते लेकिन बराबर की संख्या में मजदूरों को और मिल मालिकों को प्रतिनिधित्व देना यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । होता यह है कि जब मजदूर, उनके प्रतिनिधि और उनके सामने मिलमालिक बैठते हैं बराबर की संख्या में तो निश्चय ही डाउट करना जरूरी है । ऐसी स्थिति में मैं यह चाहता था कि जहां तक मिलमालिकों का संबंध है उन मिलमालिकों की संख्या बराबर न रखकर कुछ १,२ निश्चित कर दी जाय उससे अधिक न हो वरना मिलमालिक इस कम्पोजीशन में अपना रोल इस्तेमाल करेगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने एक निधि की स्थापना की । निधि की स्थापना करना ठीक है लेकिन देखना यह है कि उस निधि में किस प्रकार से पैसा आयेगा । वह निधि ऐसा न हो कि डिफंक्ट रह जाय और उसमें कोई पैसा न आये । तो आपका जो यह विधेयक है इसको आप होशियारी के साथ जनता में यह भावना पैदा करने के लिये कि हम श्रमिकों के कल्याण के लिये लाये हैं, धरा रह जायगा । इसके कारण और उद्देश्यों में भी लिखा हुआ है कि "प्रस्तावित श्रम कल्याण निधि की पूंजी श्रमिकों की अप्रदत्त मजदूरी तथा उनसे वसूल किये गये अर्थ दंड की धनराशि आदि से जो सेवायोजकों के पास बिना किसी लाभकारी कार्य में उपयुक्त हुये पड़ी रहती है निर्मित की जायगी" । इसी प्रकार से इसमें यह भी दिया हुआ है कि बाहर से जो रुपया मिलेगा वह भी इस निधि में शामिल कर लिया जायगा । यह सब बहुत वेग है । यह कोई निश्चित बात नहीं हुई कि इतना पैसा इसमें आ ही जायगा । हमारे सामने कोई टारगेट होना चाहिए कुछ उद्देश्य होना चाहिये कि इतना पैसा हम इसमें इकट्ठा कर ही लेंगे और इससे कल्याण करेंगे । मैं तो आप को यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को यही ज्ञात न होगा कि कितना अप्रदत्त धन अभी तक पड़ा हुआ है और वह अप्रदत्त धन कितनी कम संख्या में है । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अप्रदत्त धन बहुत कम संख्या में है और उस में भी बड़े झगड़े हैं । तब तक वह तय न हो जाय वह अप्रदत्त धन इस में आ नहीं सकता । तो जो बड़ी धनराशि मिलने की बात आप सोच रहे हैं वह केवल नाम मात्र को है और इसलिये मैं इस सुझाव सब बिलकुल मुत्तफिक हूं कि जब आप उसको एक सही रूप देना चाहते हैं तो मिल मालिकों से भी कहें कि वह अपने मुनाफे का कुछ भाग आपको दें । यह भी हो सकता है कि वह यह कह दें कि हम को मुनाफा नहीं हुआ, या बहुत कम हुआ । तो यही सही तरीके से वह कार्य करें इसके लिये आवश्यक है कि आप मुनाफे का एक, आध परसेंट उन से हासिल करें और तभी यह बात सार्थक होगी कि मिल मालिकों से मदद ली जाय । अन्यथा पैसा तो मजदूर का लिया जा रहा है और ऐसी स्थिति में मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में रखने की आवश्यकता ही क्या है ? यह एक औचित्य हो सकता है उनको लाने का और यह उसी हालत में होना चाहिये कि जब वह अपने मुनाफे में से कुछ पैसा दें और उन की तरफ से कुछ धनराशि इसमें इकट्ठा की जाय और साथ ही साथ सरकार भी कुछ निश्चित करे कि हम कितना धन इसमें देंगे । अभी तक ऐसा होता है कि जो प्राविडेंट फंड होता है मजदूरों का वह उन से इकट्ठा किया जाता है और उसमें मिल मालिकों का हिस्सा जमा नहीं होता जबकि मजदूर के धन के साथ साथ मिल मालिक का हिस्सा भी तुरन्त का तुरन्त जमा होना चाहिये । वह जमा नहीं होता और उस के झगड़े और मसले गवर्नमेंट को सुलझाने पड़ते हैं । तो ऐसी स्थिति में यह देखते हुए कि मिल मालिकों जो उन की तरफ ड्यू है उसको भी समय से जमा नहीं करते, वह कैसे यह अप्रदत्त धन सही तरीके से इस में दे पायेंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पहली निधि है श्रमिकों की कल्याण निधि के नाम से, उस के द्वारा आपने गेस्ट हाउस आदि बनवा दिये हैं और उनका उपयोग हो रहा है । बहुत सा धानी के बाद उस निधि के १५,२० प्रतिशत का सही उपयोग हुआ है वरना उसमें वी०आई० पी० ठहरते हैं, मिनिस्टर लोग ठहरते हैं और उन को वहां दावतें दी जाती हैं और मजदूरों का सारा पैसा उस कल्याण निधि का उन पर खर्च कराया जाता है । मिल मालिक इतना

होशियार हैं कि वेलफेयर निधि का पैसा ही वह अपने मेहमानों आदि पर, अपनी चाटुकारिता करने वालों पर खर्च करता है और उन को तफरीह करवाता है तो कैसे वह अपना पैसा बिना किसी कारण के, दबाव के, दे देगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें कोई ऐसा क्लाज भी लायें कि जिससे मिल मालिकों का परसेंटेज फिक्स हो जो उन्हें देना है। इस प्रकार से इसमें कहीं पर भी कोई पेनल क्लाज फिक्स नहीं है। यह कहीं भी नहीं लिखा है कि अप्रदत्त धनराशि जो है वह अगर न दे तो उस स्थिति में उस पर क्या पैनाल्टी आप लगायेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिल मालिक पर कोई पैनाल्टी लगाने से पहले आपको कई दफा सोचना पड़ेगा। आप डर जाते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ वसूली करने के लिये आपने पिछले दिनों कुछ मिलों में बन्दी करा दी और फिर आपने उनको खुलवा दिया। तो इसमें आपको कुछ पैनल क्लाज रखने चाहिये जिससे वास्तव में अप्रदत्त राशियां जमा करायी जा सकें। अगर वह जमा न करें तो उन पर बड़ा भारी जुर्माना लागू किया जाय। अप्रदत्त धनराशि बहुत कम होती है और वर्षों झगड़ा करने के बाद कहीं थोड़ा पैसा उसमें आ पाता है। उससे श्रमिकों का कल्याण होने वाला नहीं है। या फिर मंत्री जी घोषित करें कि इतने लाख या करोड़ रुपया उनके हित के लिये इसमें रखने वाले हैं। आपने जो पायस प्रिंसिपल्स इसमें रख दिये हैं वह सब धरे के धरे रह जायेंगे, इसलिये इनफोर्समेंट का तरीका निकालिये कि कौनसा सेक्शन होगा, दबाव होगा जिससे उनको मनवाया जाय। मिल-मालिक बिना दबाव के काम करता नहीं है। सम्पूर्णानन्द अवार्ड हुआ। ३-३ वर्ष कानपुर में जे० के० काटन और म्योर मिल में पैसा ही नहीं दिया गया। वह इस बात का सूचक है कि जो बात आप यहां पर करते हैं वह सिवाय पवित्र वादे के और कुछ नहीं होता, कभी आप उसको लागू नहीं कर पाते। इसी तरीके से फैक्ट्री वर्कर्स के हित के लिये जहां कहीं भी ऐसे नियम बनाये हैं वहां ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि मिल को भी उसमें पैसा देना होगा। यह चीज जरूर आनी चाहिये।

मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दें। कोई बहुत दिन की बात नहीं है, १०-५ दिन में रिपोर्ट आ जायगी, ताकि जो खामियां रह गयी हैं वह दूर हों। जैसे कि अभी क्लाज है कि "परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता यदि कोई हो, वही होगा जो नियत किया जाय"। आपने मीटिंग तो साल भर में २५-३० कर लीं और इसी निधि से सारा पैसा ले लिया, क्योंकि और कहां से लेंगे, तो वह सारी निधि तो भत्ते के लिये ही होगी, और श्रमिकों के लिये देय ही नहीं पायेगी। इस परिस्थिति में संशोधन होना चाहिये कि उनको पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट दे या किसी और तरीके से वसूल किया जाय। बहरहाल इस निधि से न काटा जाय। इसके भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

इसी तरीके से यह जो लिखा है कि किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है अगर वह ३ मीटिंगों में अनुपस्थित रहता है। होता यह है कि बहुत से लोगों को कमेटियों में रख दिया जाता है जिनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो ३ मीटिंग भी बहुत है, दो मीटिंग होनी चाहिये कि दो मीटिंग में न जाय तो हटा देना चाहिये। ऐसे बहुत से संशोधन हैं जो कि किसी प्रवर समिति के द्वारा ही तय हो सकते हैं। इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों को जो इधर से और उधर से मेरे संशोधन के समर्थन में बोले हैं धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी का ध्यान फिर इस तरफ खींचना चाहता हूं कि सभी सदस्यों ने तीन चीजों का जो मैंने आपके सामने रखीं उन सब ने समर्थन किया है। एक भी ऐसा नहीं बोला, चाहे कांग्रेस का ही हो जिसने विरोध किया हो। आपने उद्देश्य तो सही रखे लेकिन इसके फैसले का आप पक्का इन्तजाम करें। मंत्री जी कहते हैं कि इस क्लाज को अगर हम जोड़ देंगे तो यह सुप्रीम कोर्ट चला जायेगा। मगर ऐसी बात नहीं है। एक हिस्सा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

मालिक का होता है, एक मजदूर का होता है। इसी तरह से इन्श्योरेन्स में भी मालिक और मजदूर दोनों का हिस्सा होता है। आपके ऐक्ट ऐसे बने हुये हैं जिनमें कुछ पैसा मालिक से लिया जाता है वेलफेयर फंड के नाम से। इसलिये इस क्लाज को जोड़ने से वेलफेयर के लिये आपको कुछ पैसा मिलेगा और उससे आप बहुत कुछ काम श्रम कल्याण के लिये कर सकेंगे और आपकी जो योजना है वह सफल हो सकती है। उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। आप उस क्लाज को जोड़ दीजिये। मैंने आपके विभाग के लोगों से भी बात की है वे सब कहते हैं कि यह हो सकता है, इसलिये आप इस पर पुनः विचार कर लें और इसे रख दें।

मैं यह भी चाहता हूं कि एन्फोर्समेंट के बारे में मंत्री जी विचार करें। जो भी अभी तक आपके कानून बने हुये हैं उनको आपके मिल मालिक नहीं मानते हैं। ढाई साल से म्योर मिल ने पैसा नहीं दिया है, जब कि ९० दिन में दे देना चाहिये। टी० बी० पेशेन्ट्स के लिये फौरन पैसा देने के कानून हैं, मगर वह भी नहीं मिलता है। कोई कायदे कानून का पालन नहीं करते। अनक्लेम्ड वेजेज का कितना ही पैसा पड़ा हुआ है। इसलिये आप इस तरफ भी ध्यान दें।

श्रीमन्, मेरी बातों को सभी कांग्रेस वालों ने सपोर्ट किया है। एक बात और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। इन्फोर्समेंट की जो मशीनरी है उसको आप यह पावर्स दें कि वे मिल के अन्दर जाकर रजिस्टर आदि को देख सकें और चेक कर सकें और यह पता लगा सकें कि कितना पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है।

इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सेट अप देना चाहिये। सरकार ही सब को नामिनेट करेगी, यह ठीक नहीं है। मजदूरों की भी मालिक सरकार है, मिल मालिकों की भी मालिक सरकार बनती है, यह ठीक नहीं है। जो आपकी संस्थायें हैं, जैसे आई० एन० टी० यू० सी० वगैरह, इनके कुछ अधिक प्रतिनिधियों को आप रखिये।

मुझे आशा है माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीया अधिष्ठाता जी, इस विधेयक के संबंध में जो प्रवर समिति को भेजने का आज प्रस्ताव रक्खा गया है, यद्यपि वह श्रमिकों के हित में बताया गया है और इस बात की शिकायत की गई है कि आठ-नौ साल से जो सन् ५६ का अधिनियम था, उसको लागू नहीं किया गया तो फिर एक तरफ तो यह शिकायत कि सरकार ने इसको लागू नहीं किया और दूसरे हमसे यूसुफ साहब चाहते हैं कि इसके अन्दर देरी की जाय तथा यह प्रवर समिति को भेजा जाय। जब इस बिल के लक्ष्य और उद्देश्य से सब सहमत हैं तो प्रवर समिति को इसे भेजने का औचित्य नहीं मालूम पड़ता है। इसके अलावा बिल की कुछ धाराओं के संबंध में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। एक तो खास तौर पर प्रतिनिधित्व की बात की गई। उसके बारे में यह विचार करना है कि तमाम देश और प्रदेश के अन्दर मजदूरों का केवल एक संगठन नहीं है जिससे कि हम परामर्श कर सकें और फिर उसमें निश्चितता भी नहीं है। किसी फैक्टरी के अन्दर एक यूनियन की मान्यता है और कभी दूसरी यूनियन की मान्यता हो जाती है। फैक्टरीज भी बहुत सी हैं, उनके संगठन भी अलग-अलग हैं। तो क्या मजदूरों का एक चुनाव संघ बनाया जाय जिसके द्वारा निर्वाचन हो? निर्वाचन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारी ज्वाइंट एडवाइजरी कमेटी है। इसके साथ-साथ और कई कमेटियां हैं। इंडियन लेबर स्टैन्डिंग कमेटी हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर भी नामजदगियां ही होती हैं। वहां कभी यह शिकायत होती नहीं। जितनी भी शीर्षस्थ कमेटियां हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व होता है, उनमें मनोनीत ही किया जाता है। वहां भी ऐसी शिकायत नहीं है। उसमें कोशिश यही होती है कि जहां तक मजदूरों के हितों का सवाल है उसी को निपटाने का प्रयत्न किया जाय।

यह कहा गया कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, बराबर क्यों न हो? सेवायोजकों के प्रतिनिधित्व के ज्यादा होने की शिकायत की जाती है। हम तो यह चाहते हैं कि यदि सेवायोजकों का प्रतिनिधित्व इसके अन्दर हो, वे दिलचस्पी लें और स्वयं इस श्रम निधि के अन्दर अपनी तरफ से सहायता करें। तो यह समस्या हल हो सकती है। इसीलिये हमने इस विधेयक के अंदर एक धारा बना रक्खी है कि इसके अन्दर सेवायोजकों का हिस्सा भी रक्खा जाय। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती। लेकिन हमको अपनी मर्यादा के अन्दर रहना चाहिये कि यह जो कानकरेन्ट सब्जैक्ट है और साथ-साथ इसमें स्टेट की लिस्ट भी है। आप इसमें एक क्लाज को रख दें। जो मजदूर का रुपया रक्खा हुआ है उसको भी हम वसूल नहीं कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको बतला दूं कि जब १९५३ में बाम्बे में यह कानून बना था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध किया और जिस पर कमलासिंह जोर दे रहे थे उसमें मिल मालिकों की तरफ से आपत्ति थी कि मिल की सम्पत्ति का हिस्सा, उसका एक-दो का हिस्सा होता है और मजदूर अपना रुपया किसी भी वक्त वसूल कर सकता है कायदे के मुताबिक। इसलिय किसी निधि को अधिकार नहीं है चाहे वह मजदूरों की क्यों न हो, क्योंकि मजदूर तो एक प्रकार से मिल का क्रेडिटर हो जाता है। इस पर छागला साहब ने, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, यही राय दी कि यह अवैध मालूम होता है। इसलिये हमने इसमें संशोधन किया कि इसमें मिल मालिक किसी प्रकार आपत्ति नहीं कर सकते। हम अब तक अमल में नहीं लाये हैं। अगर हम अमल में लाते तो उसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता था। यह विधेयक परिषद् से तो पारित हो गया है। यहां पर पारित हो जाने पर इसे अमल में लाया जावेगा। जब यह अमल में लाया जावेगा तो उनके सन्देह दूर हो जावेंगे।

अभी एक साहब भाषण दे रहे थे। दो, तीन चीजों को उन्होंने मिला दिया। गंगवार साहब कह रहे थे कि प्राविडेंट फंड का रुपया मिल मालिक नहीं देते। पिछले महीने मैंने देखा, हमारे स्टेट के अन्दर औसतन तमाम साल भर में जितना रुपया होता है उसमें डेढ़ महीने के करीब का बकाया है, बाकी सब दिया जा चुका है। .... (व्यवधान) ..... मैंने कहा कि यूसुफ साहब जो कहते हैं तो आखिर कुल औसत निकालने का कोई तरीका तो होगा? उसमें अप्रैल तक जितना पैसा मिलना चाहिये साल भर का, उसमें केवल डेढ़ महीने का बकाया है क्योंकि उसके ऊपर तो एक बड़ा भारी पेनल क्लाज है और हम बराबर उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं जिसका सबूत यही है कि डेढ़ महीने से ज्यादा का बकाया नहीं है। एकाध फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और पेनल इन्टरेस्ट उनको देना पड़ेगा।

कुछ लोगों ने कहा कि बिना इसको पढ़े, बिना सोचे विचारे कि यह जो रुपया है यह तो चोरी है, डकैती है, गवर्नमेंट की यह अयोग्यता है कि गवर्नमेंट अभी तक वसूल नहीं कर सकी। अब आप बताइए कि आप अपनी सैलरी बिल का रुपया न लें तो गवर्नमेंट की यह अयोग्यता हो गई? कोई आदमी मर गया, मिल मालिक के पास उसका पैसा रह गया या ग्रेच्यूइटी का पैसा रह गया तो यह तो एक साधारण सी चीज है कि पेमेंट आफ वेजज ऐक्ट जो है उसके अन्दर कोई मजदूर शिकायत करता है वेजेज के न मिलनेकी तो उसको तो तुरन्त व्यवस्था पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर हो जाती है। यह निधि हम उस धन से बना रहेहैं कि जिस पैसे का कोई दावेदार ही न हो, जो अदा न किया जा सकता हो, जैसे कोई मजदूर कारखाना छोड़कर चला गया या किसी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार का एक रजिस्टर होता है पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार, इंसपेक्टर जाकर उस रजिस्टर का मुआयना कर सकता है।

[श्री बनारसीदास]

यह भी कहा गया कि मिल-मालिक देंगे कैसे, इसमें हमने कोई क्लाज नहीं रखा है। आप देखें कि इसकी धारा १७ में हमने वसूलयाबी का अधिकार लिया है। जैसे लैंड रेवेन्यू का एरियर वसूल किया जाता है वैसे ही यह रुपया भी वसूल किया जायगा। अगर इस धारणा से ही चला जाय कि सरकार वसूल नहीं करेगी, तो फिर तो अगर हम यह भी कह दें कि फांसी लगाकर वसूल करेंगे, तब भी नीयत का सवाल रह जाता है। नीयत पर शक करने का तो कोई इलाज ही नहीं है। वह तो किसी सूरत में भी किया जा सकता है। अगर हम लैंड रैवेन्यू के एरियर्स की तरह से वसूल नहीं करेंगे तो आपको अवसर होगा शिकायत करने का। असेम्बली में प्रश्न हो सकेगा कि यह पैसा लैन्ड रैवेन्यू की तरह से क्यों नहीं वसूल किया गया।

किसी भी बोर्ड या समिति की सदस्यता के लिये साधारणतया यह माना जाता है कि जहां तीन मीटिगों से ज्यादा कोई आदमी गैरहाजिर रहता है उसका नाम पृथक कर दिया जाता है। मेरी राय में यह बात इसके लिये काफी पाबन्दी रखने वाली होती है कि सदस्य मीटिगों में भाग लें।

कहा गया कि पैसा मिल-मालिकों से लें। लेकिन तमाम हिन्दुस्तान में ऐसे ही कानून हैं जैसा कि हम बना रहे हैं। कहीं पर कोई इस तरह का प्रावीज़न नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव रखा। मीटिगें होती हैं, वेज बोर्ड बैठते हैं, तब उनका फैसला अमल में लाया जाता है। तो इस तरह की कोई व्यवस्था करना कि मिल-मालिकों से ही लिया जाय, संविधान के अन्तर्गत उचित नहीं है।

यह भी कहा गया कि कितना पैसा इस फंड में आवेगा। पहले हमने इसका एक अन्दाज लगाया था, करीब २०० के कन्सर्न्स के, तो ३ साल के अन्दर ६/७ लाख रुपया की रकम होती थी। अब हमारे सूबे में ऐसे अधिष्ठानों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिये यह अन्दाजा है कि सालभर में लगभग ५, ६ लाख रुपया हो जायगा। उसके लिये हमने यह क्लाज रखा कि जहां मिलों के अपने लेबर वेलफेयर फन्ड्स हैं वहां के मिल-मालिकों को तैयार करें कि वह अपनी धनराशि हमारे फंड में ट्रांसफर कर दें। अगर इसके लिए कानूनी संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो हम वह अवश्य करेंगे। मैं इत्तफाक करता हूं कि लेबर वेलफेयर फंड में बड़ी धनराशि होनी चाहिये। हमने कहा है कि गवर्नमेंट भी इस फंड में अनुदान की शक्ल में रुपया देगी। तो यह अवसर माननीय सदस्यों को बजट के समय होगा। ऐक्ट में हम कोई ऐसी चीज नहीं रख सकते हैं कि इतना प्रतिशत केन्द्र से आवेगा और इतना प्रतिशत प्रदेशीय सरकार देगी। यह बात विधेयक से संबंधित नहीं है। यह बजट का हिस्सा है। इस पर प्रत्येक वर्ष बजट के समय विचार किया जायगा कि कितना पैसा इसमें दिया जा सकता है।

इस विधेयक के बारे में कोई मतभेद नहीं। इसके लक्ष्य से सभी लोग सहमत हैं। अगर सब लोग सहमत हैं और गवर्नमेंट की तरफ से किसी वजह से देरी हुई थी, तो और देरी क्यों करना चाहते हैं?

जहां तक बोर्ड का सवाल है, कम से कम लेबर में तो मैंने देखा कि कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। जितनी कमेटियां, जांच कमेटियां या बोनस कमीशन कभी बने, या किसी मसले पर विचार करने के लिये कमेटियां बनीं, तो जितनी भी विचार विमर्श करने या परामर्श करने के लिये कमेटियां होती हैं, सब जगह नामजदगी होती है। मिल-मालिकों का बहुमत होगा यह बात गलत है। आप लोगों ने कहा कि चेयरमैन की कोई क्वालीफिकेशन नहीं हैं। चेयरमैन तो मेम्बर होगा और जो मेम्बर की क्वालीफिकेशन हैं वही उसकी भी होंगी। आपने कहा कि वाइस-चेयरमैन नहीं हुआ। तो कौन सी ऐसी हालत है कि अगर चेयरमैन नहीं हुआ तो फंड ही नष्ट हो जायगा?

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

हर कमेटी में लेबर संस्थाओं को नुमाइन्दे भेजने के लिये लिखा जाता है।

श्री बनारसीदास---

वह तो एक कनवैंशन की बात है। किसी कानून के अन्दर यह नहीं है कि नामजदगी कैसे होंगी। जब हम जानते हैं कि हमें यूसूफ साहब का सहयोग लेना है तो जैसे सदन की कमेटियां बनती हैं, एक दूसरे से पूछ कर बनती हैं, वैसा ही करना एक परम्परा की बात है। चुनाव का कोई क्लाज इस बिल के जरिये से बनाना हास्यास्पद है डैमोक्रसी के लिये। कानपुर में रोजाना मान्यता के ऊपर झगड़े होते हैं, तमाम सूबे में झगड़े होते हैं। इंटरनल कमेटियों के चुनाव की मान्यता के बारे में विवाद होता है। तो एक बोर्ड के बनाने के बारे में जिसकी धनराशि हम निश्चित नहीं करते है या नहीं कर सकते हैं उसके लिये क्या कहा जाय? गवर्नमेंट तो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार है। गवर्नमेंट के जिम्मे अब भी लेबर वेलफेयर का काम है और लेबर वेलफैयर सैन्टर चलते हैं। गवर्नमेंट सदन के प्रति जिम्मेदार है। तो वह धनराशि जिसकी कि रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की है अगर उसके लिये वह फंड क्रिएट करें और सब दलों के प्रतिनिधि जो कि मजदूर संघों के अन्दर हों उनको नामजद किया जाय और उस पर आपत्ति की जाय तो यह उचित नहीं प्रतीत होता। अगर वेलफेयर फंड कमेटी उसका दुरुपयोग करेगी उसको हम बन्द कर सकते हैं, उसका नियम बनायेंगे। अब जो व्यक्ति नामजद होंगे वह अपने टी० ए० में ही सारा फंड खत्म कर देंगे यह तो मैं समझता हूं केवल कल्पना मात्र है। यह बिल ऐसा है जिसको सब स्वीकार करेंगे। १९५६ में यह बिल इसी सदन से पारित किया गया था। माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने अमल क्यों नहीं किया। १९५६ का विधेयक आपके सामने मौजूद है, ९ साल तक इस पर विचार किया गया। तो अब इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें इसमें कौन सा लाभ होने वाला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो प्रवर समिति के भेजने का प्रस्ताव आया है माननीय यूसुफ साहब स्वयं मानेंगे कि इसको वापस ले लेना चाहिये और मेरा उनसे अनुरोध भी है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) में जो यह दिया हुआ है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई धनराशि अलग रखी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह सेवायोजन के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से निधि को संक्रमित की जा सकती है। अगर मान लिया जाय कि सेवायोजक के पास १ लाख रुपया है और वह तैयार न हो देने के लिये, या सरकारको प्रार्थना न करे उस रुपये को ट्रांसफर करने के लिये तो पोजीशन क्या होगी? इसका मतलब यह है कि वह जैसे चाहे उसका दुरुपयोग करे।

श्री बनारसीदास--

अधिष्ठाता महोदय, मुश्किल यह है कि माननीय कमलासिंह जी सब चीजों को मिला देते हैं। यह तो जब क्लाजवाइज डिस्कशन होगा उस समय पूछा जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझती हूं कि दो बजे से पहले हम विभाजन नहीं कर सकते, इसलिये इस सदन को अब मैं दो बजे तक के लिये स्थगित करती हूं।

(इस समय १ बज कर ३८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष---

चूंकि सदन दो बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया था, इसलिये मैं अब प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन एक मास में प्रस्तुत कर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर दे और उस समिति को विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में--

परिभाषाएं

(१) "परिषद् " का तात्पर्य धारा ४ के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् से है ;

(२) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिये सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिये सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो ;

(३) "सेवायोजक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो अपनी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अधिष्ठान में एक या अधिक कर्मचारियों को सेवायोजित करता हो, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

एक्ट संख्या ६३, १९४८

(क) किसी कारखाने में, फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा ७ (१) (एफ) के अधीन प्रबन्धक कहलाने वाला कोई व्यक्ति ;

(ख) सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा इसके अधीन चलाये जाने वाले किसी अधिष्ठान में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो तो, संबद्ध विभाग का अध्यक्ष ;

(ग) किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये अथवा मजदूरी के भुगतान के लिये अधिष्ठान के स्वामी के प्रति के उत्तरदायी कोई व्यक्ति ;

(४) "अधिष्ठान" का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान जो (कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से है, जिसमें उससे संबद्ध अथवा उससे सहायक कोई व्यवसाय या व्यापार अथवा कोई कार्य किया जाता हो और जिसमें उतनी संख्या में, जो समय-समय पर नियत की जाये, व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाता हो अथवा पिछले बारह महीने में किसी कार्य-दिवस को सेवायोजित किया गया हो ;

(५) "कारखाने" का तात्पर्य फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ (एम) में यथा परिभाषित "Factory" से है ; ऐक्ट संख्या ६३, १९४८

(६) "निधि" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि से है ;

(७) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा ९ के अधीन नियुक्त निरीक्षक से है ;

(८) "श्रम कल्याण आयुक्त" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन नियुक्त श्रम कल्याण आयुक्त से है ;

(९) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१०) "विनियम" तथा "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये क्रमशः विनियमों तथा नियमों से है;

(११) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(१२) "अदत्त संचय" का तात्पर्य ऐसी समस्त धनराशियों से है जो कर्मचारियों को देय हों, किन्तु जिनका भुगतान देय होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् उन्हें न किया गया हो, और इसके अन्तर्गत सेवायोजक द्वारा उनको देय मजदूरी, उपदान तथा गृह-भत्ता, यदि कोई हो, भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इम्पलाइज प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९५२ के अधीन स्थापित भविष्य निधि में सेवायोजक द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि यदि कोई हो, नहीं है; और अधिनियम संख्या १९, १९५२

(१३) "मजदूरी" का तात्पर्य धनराशि के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है जो अभिव्यक्ति या अन्तर्निहित संविदा अथवा सेवायोजन की शर्तें पूरी की जाने की दशा में, किसी सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के अथवा ऐसे सेवायोजन में दिये गये कार्य के सम्बन्ध में देय होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है:—

(क) (१) किसी आवास स्थान, रोशनी, जल-सम्भरण अथवा चिकित्सा सुविधाओं; या

(२) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अपवर्जित किसी अन्य सुविधा या सेवा का मूल्य; या

(ख) किसी सेवायोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में अथवा सामाजिक--बीमा या किसी योजना के अन्तर्गत दिया गया कोई अंशदान; या

(ग) कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा सम्बन्धी रियायत; या

(घ) कोई धनराशि जो सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के कारण उस पर हुए विशेष व्ययों को पूरा करने के लिये भुगतान की गयी हो; या

(ङ) सेवोन्मुक्ति पर देय कोई उपदान ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उप खण्ड (२) की प्रथम पंक्ति में "जो किसी" के बाद "सरकारी या अन्य" रख दिया जाय ।

श्रीमन् खण्ड २ के उप खण्ड (२) में परिभाषा इस प्रकार दी हुई है: (२) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिये सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिये सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रतिमास से अधिक न हो ।"

मेरा "अधिष्ठान" से पहले "सरकारी या अन्य शब्द जोड़ने का मतलब यह है कि कर्मचारी की परिभाषा स्पष्ट हो जाय और मेरा मतलब यह भी है कि जो सरकारी संस्थान में काम करते हैं, वहां के भी मजदूरों को इसका बेनीफिट मिल सके । वैसे तो कर्मचारी की परिभाषा इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट तथा और बहुत सी जगहों पर समय समय पर कानून के रूप में साफ की गई है लेकिन मैं समझता हूं कि जब कोई अधिनियम बन रहा हो, तो यदि मंत्री जी उपयुक्त समझें और इसको मान लें तो मैं समझता हूं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि उसका रूप और स्पष्ट हो जायगा । इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर विचार करें और यदि मुनासिब समझें, तो स्वीकार कर लें ।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन् यह अनावश्यक है । क्योंकि इसी धारा २ की उपधारा (४) में जहां अधिष्ठान की व्यवस्था की गई है, उसमें वह सब आ जाता है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

यदि मंत्री जी समझते हैं कि अधिष्ठान की परिभाषा में आ जाता है, तो मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उप खंड (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत" और "ऐसा" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:

"खेतिहर मजदूर"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब मैं अधिष्ठान की परिभाषा पढ़ता हूं तो उसमें दिया हुआ है कि "अधिष्ठान" का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान (जो कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से है, जिसमें उससे संबद्ध अथवा उससे सहायक कोई व्यवसाय या व्यापार अथवा कोई कार्य किया जाता हो और जिसमें उतनी संख्या में, जो समय समय पर नियत की जाय, व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाता हो, अथवा पिछले १२ महीने में किसी कार्यदिवस को सेवायोजित किया गया हो। तो अधिष्ठान में केवल ऐसे अधिष्ठान हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाये जाते हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाते हैं, वही अधिष्ठान ऐसे हैं जिन पर यह विधेयक लागू होगा।

लेकिन खेती भी एक व्यवसाय है और उसमें भी काम करने के लिये मजदूरों को लगाया जाता है, उसमें सीजनल आदमी भी काम करते हैं। जितने भी आदमी वहां काम करते हैं, उनकी भी मजदूरी वहां निश्चित होने जा रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब सरकार के द्वारा ऐसा विधेयक बनाया जाता है जिसमें एग्रीकल्चरल लेबर की मजदूरी निश्चित कीजाती है तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिये ताकि उनके वेजेज के मुताल्लिक भी कुछ निश्चितता हो सके। अगर वे भी कर्मचारियों की डेफिनिशन में आ जायेंगे तो इस प्रकार का धन भी मिल सकेगा।

कान्स्टीट्यूशन की धारा ४३ का ताल्लुक एग्रीकल्चर लेबर और इन्डस्ट्रियल लेबर दोनों से है। वह धारा ४३ इस प्रकार से है--

"उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजूरी शिष्ट सुन्दर जीवन, तथा अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

तो इस संविधान की धारा के अन्तर्गत जो मजदूर दिया गया है उसमें कृषि, उद्योग और अन्य मजदूरों का जिक्र है। उसमें ऐसा प्राविधान किया गया है कि कृषि के मजदूरों के लिये विशेष रूप से कानून बनाया जाय ताकि उनका स्तर ऊंचा हो सके और उनकी जीविका के लिये कोई सामान दिया जा सके। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी तो बात कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, कौंसिल से पास होकर आया है, इसलिये मालूम पड़ता है कोई सुनवाई होने वाली नहीं है।

श्री बनारसीदास--

मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से आप इंडस्ट्रियल लेबर के लिये कानून बना रहे हैं, उसी प्रकार से आप संविधान की मंशा के अनुसार कृषि मजदूरों के लिये भी कानून बनायें। इस बिल में नहीं तो कोई दूसरा बिल ले आयें, मुझे कोई ऐतराज न होगा।

श्री बनारसीदास--

माननीय कमला सिंह जी कानून के पंडित हैं और इस तरह का वह संशोधन रख रहे हैं। खेतिहर मजदूरों के लिये केवल मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू होता है। और वह भी उन काश्तकारों के सम्बन्ध में है जिनकी जमीन ३० एकड़ से ज्यादा है, उनके तो रजिस्टर आदि हैं। यह तो केवल निधि बन रही है मजदूरों की उस धनराशि से जो कि उनकी किसी तरह से भी बाकी है। खेतिहर मजदूरों का पैसा बाकी है या नहीं उसके लिये न हमारे पास कोई व्यवस्था है और फिर

[श्री बनारसीदास]

१ लाख से ज्यादा हमारे गांव हैं और उनमें हम श्रम कल्याण केन्द्र अभी नहीं बना सकते और ऐसी स्थिति आज नहीं है, तो खेतिहर मजदूरों को इसमें शामिल करना बिल के नक्शे के बाहर है और उससे कोई हित भी नहीं होगा। आप के गाजीपुर के गांवों में कितना किसका पैसा होगा लेकिन कानपुर में पैसा ज्यादा होगा, वहां लेबर संगठनों को बनाना होगा। अगर माननीय कमला सिंह जी के दिमाग में दूसरी कोई परिस्थिति हो तो वह उसके अनुसार कोई अलग से बिल पेश कर सकते हैं परन्तु इस विधेयक के द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को वह वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव--

संविधान को बनाने में श्रीमन्, बड़े विद्वान लोगों का हाथ रहा है, उसमें यह दिया गया है है और उसमें दो चीजें आई हैं। औद्योगिक मजदूरों के लिये आप तैयार हैं। लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिये मैं नहीं कहता कि आप यहीं इस बिल में ही जोड़ दीजिये बल्कि आप अपने अधिकारियों द्वारा जांच करा लें और जैसे भी सम्भव हो इन खेतिहर मजदूरों के लिये भी कोई उपाय करें। मैं जानता हूं कि यह कौंसिल से पास होकर आया है, आप इसमें कोई संशोधन नहीं मानेंगे लेकिन मजदूरों की दशा को देख कर कोई न कोई उपाय आप को अवश्य करना चाहिये। मंत्री जी कहते हैं कि यह असम्भव है, लेकिन आप इसको सम्भव कीजिये। संविधान में वह बेवकूफ नहीं थे जो उन्होंने इसको भी रखा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आज नहीं तो कल वह स्थिति पैदा हो सकती है। वह असम्भव को बहुत आसानी से सम्भव बना सकते हैं, उनके बायें हाथ का खेल है।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि वह कहते हैं कि खेतिहर मजदूर की खेती ढाई तीन एकड़ की है और उसके कल्याण की व्यवस्था है ही नहीं। वह किया भी जाय तो कम्युनिटी के लिहाज से गांवों में होना चाहिये और उसका ढांचा ही भिन्न है इसलिये इस बिल का उससे सम्बन्ध नहीं है। मैं सहमत हूं कि ऐसा कानून उन खेतिहर मजदूरों के लिये आये क्योंकि उनकी हालत इन मजदूरों से बेहतर नहीं है, ढाई तीन एकड़ के किसान भी क्या सेवायोजक हैं? उसकी व्यवस्था के लिये अलग से कोई योजना या बिल आ सकता है तो उस पर विचार किया जाय, उससे मैं सहमत हूं लेकिन इसमें वह शामिल नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि श्री कमला सिंह जी इस को वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव--

आप आश्वासन देते हैं तो हम वापस लेते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में "मजदूरी" के बाद "चार सौ" के स्थान पर "तीन सौ" रख दिया जाय।

श्रीमन्, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में 'वेजेज" की परिभाषा साफ तरीके से की गयी है और उसमें ४०० से ५०० रु० पाने वाले लोग आ जाते हैं। लेकिन एक शंका उत्पन्न हो सकती है। बहुत से यूनियन्स ऐसी हैं, जो बोर्ड्स बने हैं या परिषदें बनी हैं उनमें बहुत से ऐसे यूनियन्स के रिप्रेजेन्टेटिव आ सकते हैं जो परिषद् में जाकर एक विशेष मिल मालिक की पुष्टि कर सकते हैं तो जो वेलफेयर का काम होगा, उसमें कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिनसे रुकावट हो। इसी के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे और अगर इसके लिये कोई उपबन्ध उचित समझते हैं तो उसे भी कर लें।

श्री बनारसीदास--

इसमें पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट का जो रजिस्टर रखा जाता है उन तमाम कर्मचारियों का रखा जाता है जिनको ४०० रुपये मिलते हैं। ऐक्ट में ५०० पाने वाले कर्मचारी जो हैं, वे डिस्प्यूट पैदा कर सकते हैं। अगर ३०० को रख दिया है तो जिनको ४०० और ३०० के बीच में वेतन मिलता है वे इससे भी वंचित होंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय पांडेय जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

जिन भावनाओं को माननीय मंत्री जी ने व्यक्त किया है उन्हें देखते हुये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में "व्यक्ति" के बाद "या सरकार" जोड़ दिया जाय।

श्रीमन्, यदि आप देखेंगे तो आप पायेंगे कि 'सेवा योजक' की जो परिभाषा है उसका तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो अपनी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अधिष्ठान में एक या अधिक कर्मचारियों की सेवायोजित करता हो, और बाद में इस को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है सैक्शन (क), (ख) और (ग) में लेकिन अगर ये शब्द रख दिये जायं तो कम से कम सेवायोजक या एम्प्लायर की जो परिभाषा है वह स्पष्ट हो जायगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है और इसके रखने से "सरकार" शब्द लग जाने से, सरकार का भी स्थान आ जायगा।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी का क्या विचार होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि "अधिष्ठान" की अगर परिभाषा देख ली जाय तो इसमें साफ दिया हुआ है कि अधिष्ठान का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिष्ठान से भिन्न। उसमें सरकार शब्द नहीं है। इस विधेयक में अगर "सरकार" शब्द जोड़ देते हैं तो सेवायोजक सरकार कैसे हो जायगी। यह तो ऐसी चीज है जो इसमें जुड़ ही नहीं सकती है। अगर माननीय पांडेय जी ने पहले ही मंत्री से समझौता कर लिया होता तो भी वे उसे वापिस ले लेते।

श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, उसकी व्याख्या (ख) में रखी गयी है। उसमें दिया हुआ है कि "सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा इसके अधीन चलाये जाने वाले किसी अधिष्ठान में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो तो, सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष"। तो यह ऐसे विस्तृत रूप में रखा गया है। उसमें झगड़े पैदा हो सकते हैं। हमने रखा है कि पर्यवेक्षक हो, विभागाध्यक्ष हो और इस तरह से पांडेय जी का जो मतलब है वह 'ख' के अन्दर तफसील के साथ शामिल कर लिया गया है। इसलिये यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रक्षपाल सिंह के कुछ संशोधन कल ५ बजे के बाद मेरे पास आये हैं। माननीय मंत्री जी स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री बनारसीदास--

एक तो बाद में ये आये हैं, दूसरे इनमें ऐसे कोई संशोधन हैं नहीं जो आवश्यक हों। इस लिये इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस बिल की सूचना दिये हुये एक हफ्ते के करीब हो गयी लेकिन कोई संशोधन नहीं दिये गये। दो दिन से यह डिसकस भी हो रहा है और ये संशोधन एजेंडे पर आ गये होते, वह भी नहीं किया गया।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनमें एक, दो मौलिक संशोधन हैं। अभी समय है। थोड़ा समय लेकर मैं उन पर अपने विचार व्यक्त कर दूंगा।

श्री बनारसीदास--

मैंने अनुभव किया कि उनमें कोई मंजूर करने लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो ये संशोधन रूल आउट होते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

एक प्रार्थना है कि जब कोई विधेयक टेबिल पर रखा जाता है तो उसका पता माननीय सदस्यों को होना चाहिये। कौंसिल से पास होकर यह आया उसके बाद का समय देखा जाय कि कब यह टेबिल पर रखा जाय। ३६ घंटे हमको मिलने चाहिये था। वह नहीं मिले और दो दिन के अन्दर इसे माननीय मंत्री जी पास भी करा लेना चाहते हैं और अपोजीशन से कोई संशोधन आता है तो माननीय मंत्री उसमें बाधा डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इन संशोधन का विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसको खत्म कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (४) की द्वितीय पंक्ति के शब्द "किसी" और "कारखाने" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"कृषि व्यवसाय तथा"

इसमें "अधिष्ठान" के तात्पर्य की व्याख्या की गयी है जिसका अर्थ यह निकलता है कि फैक्टरी से उसका सम्बन्ध न हो। माननीय मंत्री जी को ऐसी परिस्थिति में खेतिहर मजदूरों को भी इस विधेयक के अन्दर शामिल करना चाहिये था। इसलिये कि कृषि भी एक व्यवसाय है जिसको भी टाला नहीं जा सकता है। मैंने संविधान भी पढ़ दिया, अनुच्छेद ४३ में दिया गया है कि इंडस्ट्री जिस तरह से व्यवसाय है, उसी तरह से कृषि भी व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपया माननीय मंत्री जी कृषि पर खर्च करने जा रहे हैं, इस लिये यदि यह भी शामिल हो सकते तो यह बहुत ही अच्छा हो सकता था। कृषि वाले तो इससे फायदा उठाते ही, खेतिहर, मजदूर भी इसमें यदि ले आयेंगे तो वह भी फायदा उठायेंगे।

श्री बनारसीदास--

माननीय कमला सिंह जी बड़े दूरदर्शी हैं कि उन्होंने कृषि को व्यवसाय बताया। किन्तु कहां पर श्रमकल्याण केन्द्र बनेगा ? जहां पर ढाई एकड़ का काश्तकार होगा वह कहां उनके लिये केन्द्र बनाना चाहता है और कैसे बनायेगा ? इस लिये यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जब कमलासिंह जी कोई नान आफिशियल बिल पेश करेंगे और उसमें कोई ऐसी नीति होगी तो मैं जरूर संशोधन ले आऊंगा, लेकिन इस वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस समय वह तो ऐसा ही है कि पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हार्स, और वही बात माननीय कमला सिंह जी कह रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

अच्छा, मंत्री जी जब मैं ऐसा बिल ले आऊंगा तो आप हमें सपोर्ट करेंगे ? क्या आप हमारे नान आफिशियल बिल को सपोर्ट करेंगे ?

श्री बनारसी दास--

पहले अपनी पार्टी के लोगों को तैयार कर लें उसके समर्थन के लिये, फिर मुझसे कहियेगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उपखण्ड (१२) की द्वितीय पंक्ति में "कर्मचारियों" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये--

"पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू होने के बाद से"

श्रीमन्, यह अनपेड एकमुलेशन का प्रश्न है। उसके बाद से सारे फण्ड का जो बाकी है, उसके बारे में देने का इसमें प्राविधान किया गया है। मैं समझता हूं पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट लागू होने के बाद से यह लागू हुआ है, इसे भी जोड़ दिया जाये तो इसकी परिभाषा और साफ हो जायगी।

श्री बनारसीदास--

इस अधिनियम के लागू होने से हमारी कठिनाई यह है कि इसमें से ३ साल पूर्व और ३ साल बाद वाली बात है। इसके अलावा इसे अमल में लाने में भी कठिनाई होगी और इस कानून की वैधता के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये यह हितकर नहीं मालूम पड़ता है, नहीं तो मैं इसे अवश्य मान लेता।

श्री नरसिंहनारायण पांण्डेय--

मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ को इस विधेयक का अंग माना जाये।

*श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। खण्ड २ के अन्दर जो इसकी परिभाषा रखी गयी है, यदि इसे इसी तरह से रखा जाता है तो इससे एक छोटे वर्ग का ही लाभ होने वाला है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

इसकी परिधि से एक बहुत बड़े वर्ग का हित निकल जायगा। श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि अपने प्रदेश के अन्दर रोडवेज, पी० डब्ल्यू० डी० और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि के भी संगठन हैं, जिनमें श्रमिक हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस इत्यादि कन्सर्न भी हैं। उनके अन्दर कर्मचारी हैं, उनकी भी बहुत असुविधायें और परेशानी हैं, किन्तु उनकी दिक्कतें और परेशानियों का इस बिल के द्वारा कोई परिमार्जन नहीं होगा। क्योंकि अधिष्ठान की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है "अधिष्ठान" का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान (जो कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से है। इसलिये यह एक सीमित वर्ग और छोटे वर्ग के लिये ही लाया गया है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ को इस विधेयक का अंग माना जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि की स्थापना।

३--(१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि कहलायेगी।

(२) निधि में निम्नलिखित होंगे :--

(क) कर्मचारियों से वसूल किए गए अथवा उनके द्वारा देय सभी अर्थ-दण्ड ;

(ख) धारा ६ के अधीन निधि को संक्रमित अदत्त संचय ;

(ग) उपधारा (३) के अधीन निधि को संक्रमित कोई धनराशि ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान ;

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अंशदान ;

(च) धारा १४ के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि ; और

(छ) कोई अन्य धनराशि जो निधि को भुगतान की गयी हो अथवा भुगतान योग्य हो।

(३) यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि अलग रक्खी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह, सेवायोजक के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, निधि को संक्रमित की जा सकती है।

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसी रीति से जमा की जायगी जो नियत की जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति में "कर्मचारियों" के पहले "सेवा योजकों या" जोड़ दिया जाय।

इसमें शब्द है "कर्मचारियों से वसूल किए गए अथवा उनके द्वारा दिए गए देय सभी सर्थदण्ड" निधि में होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सेवायोजकों द्वारा दिए गए देय भी इसमें शामिल

हो जायं। कभी-कभी सेवायोजक कानूनों का हनन करते हैं जिसमें सरकार को अधिकार है कि वह उनको फाइन कर सकती है या उनका प्रासीक्यूशन कर सकती है। तो अगर सेवायोजक इसमें आ जायेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें हो जायगा और निधि के स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

श्री बनारसीदास--

जो संशोधन पांडेय जी का है वह इस विधेयक की परिधि से बाहर है। इसमें जो देय रकम मजदूरों की तनख्वाह के रूप में, बोनस, ग्रैचुइटी या हाउस एलाउन्स के रूप में होते हैं वही आते हैं। मिल मालिकों से तो ज्यादातर फाइंस वसूल होते हैं और ऐसे फाइन्स जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं वह सब राज्यकोष में उसके अंग होते हैं। अगर राज्य चाहे तो वह उसमें दे ही सकती है। इसलिए वह इसमें नहीं आ सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के मत को देखते हुए मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) को हटाकर निम्नांकित जोड़ दिया जाय--

"किसी अधिष्ठान के सेवायोजक कर्मचारियों के कल्याण संबंधी किसी प्रकार का धन निधि के रूप में स्थापित नहीं करेंगे।"

इसमें सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यह एक कारपोरेट बाडी बनेगी और वह धन का संचय करेगी। यहां यह किया गया है कि एम्प्लायर्स भी धन इकट्ठा कर सकते हैं सरकार के साथ-साथ अलग से और व्यय भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि एम्प्लायर्स को यह हक नहीं मिलना चाहिए। यह व्यवस्था मुनासिब नहीं है। यही इस विधेयक की सब से बड़ी कमी है। मैं चाहूंगा कि जिस स्वस्थ भावना से यह विधेयक लाया गया है उस भावना से मेरा संशोधन मंत्री जी स्वीकार कर लें। इससे जो आपका समाजवादी लक्ष्य है उसमे सहायता मिलेगी।

*श्री ऊदल--

मान्यवर, जो संशोधन माननीय नरसिंह नारायण जी ने रखा है मैंने इस क्लाज को पढ़ा। इसमें खंड ३ का उपखंड (३) इस प्रकार है :--

"यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि अलग रखी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह सेवायोजक के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, निधि को संक्रमित की जा सकती है।"

यह ऐसा क्लाज है जिससे भ्रम पैदा होता है। अगर इस तरह की छूट दी जायगी तो मिला मालिक स्वयं मजदूरों से पैसा काटकर इस तरह की निधि स्थापित कर देंगे जोकि मै समझता हूं कि ठीक नहीं है। उन सेवायोजकों के कहने पर इसको संक्रमित किया जा सकता है। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से उनको छूट नहीं होनी चाहिए। अगर उनका अपना पैसा है और उससे वह निधि स्थापित करना चाहते हैं तब तो ठीक है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। सेवायोजक अपने पैसे को अगर इस तरह के फंड में रखे तब तो ठीक है लेकिन मजदूरों से हर महीने लेकर पैसा जमा करने लग जायं तो मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

यह मजदूरों के साथ ज्यादती होगी और सरकार को भी दिक्कत होगी। माननीय मंत्री जी हमारी भावना को समझ गये होंगे। वह अपने पैसे को फंड में रखें इस पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन अगर मजदूरों का पैसा रखते हैं तो यह ठीक नहीं है।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैंने धारा ३ की उपधारा (३) की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि यह एक तरीके पर पूंजीपतियों के पक्षपात वाली मनोवृत्ति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस धारा के अन्तर्गत अगर कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि अलग रखी जाय, अगर कोई धन हजार, दो हजार या लाख रुपया मिल मालिक अलग रखता है कर्मचारियों के कल्याण के लिए, तो जब हम यह निधि बनाने जा रहे हैं सब से पहला कर्त्तव्य यही है कि उस अदत्त धन-राशि को चाहे वह जुर्माने की वसूल की हुई धनराशि हो, उसको इस निधि के अन्दर आना चाहिए। यह खुशी की बात है कि कोष स्थापित हो रहा है लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय मंत्री जी मिल मालिकों को छूट क्यों देना चाहते हैं जबकि वह धन कर्मचारियों के कल्याण के लिए है। यह निधि जो आप बनाने जा रहे हैं यह कर्मचारियों के फायदे के लिए है। अगर उनके फायदे के लिए कोई निधि बनती है तो जिस रोज यह निधि बने उसी रोज हर प्रकार का जो इस तरह का धन है वह इसके अन्दर आना चाहिए। अगर वह अलग इस प्रकार का धन रख सकता है तो यह आप उसको एक छूट देने जा रहे हैं कि अगर वह चाहे और रिक्वेस्ट करे तो वह निधि में ट्रांसफर हो जायगा। अगर वह खुद रिक्वेस्ट नहीं करता है तो उसको अपने पास रख सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि सारा रुपया उनकी जेब में पड़ा रह जायगा। अगर वह पैसा कल्याणकारी काम के लिए है और कर्मचारियों के लिए है तो वह इस निधि के अन्दर आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कल्याणकारी काम के लिए लोग पैसा अपने पास जमा करते हैं लेकिन वह उस परपज के लिए नहीं लगता है। वह दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूं यह आप मिलमालिक को मौका देने जा रहे हैं कि जब वह रिक्वेस्ट करेगा तब उसको ट्रांस्फर किया जायगा। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जिस दिन यह निधि स्थापित हो जाय तो जितना भी अदत्त रुपया हो, कितनी भी वह धनराशि हो वह इसके अन्दर शामिल होना चाहिए। इसके अन्दर इस तरह का क्लाज आना चाहिए कि जिस दिन निधि की स्थापना का डिक्लेरेशन हो तो उसी दिन जितना रुपया उनके पास अलग रखा हुआ हो वह इसमें ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसी धारा होनी चाहिए कि वह मजबूर होकर ट्रांसफर करें। यह जो धारा है इसमें यह दिया है कि "यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो धनराशि अलग रखी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह सेवा नियोजन के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से निधि को संक्रमित की जा सकती है।" तो इसका अर्थ "मे" में आता है और यह उन के डिस्क्रिशन पर है। अगर वह चाहें तो ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरह पर हम एक ऐसा पाकेट बनाना चाहते हैं जिसमें करोड़ों रुपया मिल मालिक रख कर निजी फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम ऐसा सुवाक्य इसमें न रहने दें जिससे मिल-मालिक नाजायज फायदा उठा लें, क्योंकि जब से आप ने अपने को समाजवादी डिक्लेयर किया है, कांग्रेस के लोगों ने, तो उस समय से उनका पहला कर्त्तव्य यह हो जाता है जैसा कि पूज्य जवाहर लाल जी ने कहा था, समाजवादी राज्य में हम को देखना पड़ेगा कि जो रुपया सरकार दे रही है वह किसी निजी पाकेट में जा कर तो नहीं रह जाता। जब तक आप का ध्यान निजी पाकेट की ओर नहीं जाता, और जब तक आप यह नहीं देखते कि किसी खास आदमी को इससे फायदा हो रहा है या नहीं तब तक आप इस रुपये का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। यह जो विचारधारा विधेयक के खंड ३ में है, इसके अनुसार जो मिल मालिक को फायदा हो रहा है, वह उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसलिए इसमें इस तरह के वाक्य न रखिए जिससे कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाजायज फायदा उठाया जा सके। जो मजदूर हैं, जिनके लिए यह विधेयक है, आपको चाहिए कि कल्याणकारी कार्यों के लिए जितना भी धन है, जो अलग रखा गया है, या कहीं भी रखा गया हो, उस सब के इस्तेमाल करने के लिए आपको कानून बनाना चाहिए। अगर इस तरह के आप के अलग पाकेट्स होंगे तो नतीजा क्या होगा ? सही माने में जो धन है उनके कल्याण के लिए उस का आप पता भी नहीं चला सकेंगे और नाजायज लोग उससे फायदा उठायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो डिस्क्रिशनरी क्लाज आप ने रखा है कि वह निधि संक्रमित की जा सकती है उसमें आप नियमों में ऐसा प्राविधान कर दीजिए। यदि यहां कठिनाई हो तो आप नियमों में कर सकते हैं कि जहां शब्द "मे" (may) है उसके स्थान पर शब्द "शैल" (shall) रख दिया जाय। जिस रोज निधि की स्थापना हो उस दिन जो रुपया है वह उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपकी निधि की स्थापना के साथ ही साथ ऐसी चीज, जोकि अलग पाकेट कायम करने की है, उसके रहने से वह रुपया उनकी जेब में चला जायगा और कर्मचारियों के फायदे के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकेगा। डिस्क्रिशन भी आपने दे रखा है, लेकिन इसके रहने से लोग नाजायज फायदा उठायेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे विधेयक में न रखें तो इसे कहीं न कहीं रूल्स में अवश्य प्रोवाइड कर दें कि जो रुपया कल्याणकारी कार्य के लिए रखा गया है वह आप की निधि में आ जाय और इसे अलग पाकेट्स में रख कर उस से कोई निजी फायदा न उठा सके। इसलिए मैं इस क्लाज का विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस क्लाज को डिलीट कर दिया जाय तो यह स्वयं श्रमिकों के लिए अहितकर होगा। अगर माननीय कमलासिंह जी अपने घर में १० आदमियों को खाना खिलायें तो उस पर मैं अथवा क्या कोई दूसरा प्रतिबंध लगा सकता है ? कोई आदमी कोई चैरिटी फंड क्रिएट करे तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर इस क्लाज को डिलीट भी कर दें और सेवा योजक कोई फंड इस प्रकार का क्रियेट करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं उन पर ? सेवा योजक धर्मशाला बनवाना चाहते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं तो उनको चैरिटी के काम में कैसे रोका जा सकता है ? इसमें तो केवल यह लिखा गया है कि किन-किन चीजों से यह बनेगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

मैं जानना चाहता हूं कि निधि की जो राशि है वह उनको रखने की इजाजत दी जा रही है या वैसे ही वह उसको अपने पास रखेंगे ?

श्री बनारसीदास---

जैसा कि मान्यवर, ऊदल (शायद श्री सन्तसिंह यूसुफ) जी ने कहा, किसी एम्प्लायर को इस विधेयक के द्वारा श्रम कल्याण निधि के लिए किसी तरह का सेस, कोई कंट्रीब्यूशन, किसी भी प्रकार का कर लगाने का अधिकार न होगा। लेकिन इसमें लिखा है कि यदि कोई अपने पास से इसमें निधि कायम करेगा तो इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जो मजदूरों को देय पैसा है वह तो इसी के अन्दर आयेगा और अगर श्रम-कल्याण के लिए कोई सेवायोजक यह कहे कि हम भी आपकी निधि में देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसको ऐक्सेप्ट कर लेगी। जैसा कि यूसुफ साहब ने भी कहा कि हम इसमें कोई अनिवार्य क्लाज रखें कि सेवायोजकों का भी कोई कांट्रिब्यूशन हो तो ऐसा कोई प्राविधान इसके अन्दर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने अभी सीमाओं को जान करके इसमें इनेबिलिंग क्लाज लिख दिया कि यदि कोई सेवायोजक हमको देना चाहे तो हम ले लेंगे। साथ ही हम किसी सेवायोजक पर प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते कि अपनी संपत्ति को दान न करे। उनको अधिकार है चैरिटी करने का। तो सेवायोजकों के हित में तो यह है ही नहीं, न हम उसे इजाजत दे रहे हैं कि लाजिमी तौर से ऐसा करें। अपने मुनाफे में से अगर कोई देता है ...

श्री ऊदल--

अगर इस तरह की व्याख्या रूल्स में कर दें कि वे अपने पैसे को इस तरह की निधि में खर्च कर सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना वह तो वही करेंगे कि उस रुपए को अपने फायदे के लिए खर्च करेंगे ।

श्री बनारसीदास--

कानून में सब लिखने की जरूरत नहीं है । संविधान भी अगर इसमें लिख दें, इसकी आवश्यकता नहीं है, जनरल क्लाजेज ऐक्ट की जरूरत नहीं है । यह तो इसके अन्दर निहित है, माना हुआ है । तो ऊदल जी जो कहते हैं उसकी पहले हमने देखभाल कर ली है । इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं पांडेय जी से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

मेरा इसमें निवेदन यह है माननीय मंत्री जी से कि यह जो धन इकट्ठा किया जायगा सेवायोजकों द्वारा, उसके ट्रांसफर की बात है । मैं समझता हूं कि अगर मूल अधिनियम को और इस विधेयक को पढ़ लें तो स्पष्ट है कि सरकार महसूस करती थी कि सेवायोजक विभिन्न तरीके से फंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तब सरकार ने इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया । मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से खुली छूट दे दी गयी तो वह इस फंड को अपने उद्योग के लिए इस्तेमाल करेंगे । जब हड़ताल होती है तो सेवायोजक वेलफेयर फंड में से रुपया लेकर उस हड़ताल को तोड़ने के इस्तेमाल में लाते हैं । तो अब भी वही परिणाम होगा यदि कोई उचित प्रतिबंध नहीं लगायेंगे । यही मेरी आशंका है । आप चाहें तो इसके नियमों में परिवर्तन कर लें या इसको दूसरे शब्दों में रखना चाहें तो रख लें । मैं समझता हूं कि यह विधेयक की परिधि के बाहर चला जाता है, लेकिन मंत्री जी जहां उचित हो सके वहां ऐसा प्राविधान कर दें। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी की विचारधारा के अनुसार मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

परिषद् का संघटन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और अर्हताएं

४--(१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् , यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा परिषद् की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् कहलायेगी ।

(२) परिषद् उपर्युक्त नाम से सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, उसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन करने तथा बेंचने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(३) परिषद में निम्नलिखित होंगे--

(क) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ख) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के बराबर-बराबर संख्या में उतने प्रतिनिधि जो नियत किए जायें, और जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी

रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) महिला सदस्यों को मिला कर उतनी संख्या में जो नियत की जाय स्वतंत्र सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(घ) परिषद् के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए श्रम कल्याण आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी ।

(४) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपधारा (३) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए होगा जो गजट में निर्देशन के विज्ञापित किए जाने के दिनांक से प्रारंभ होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, उस सदस्य के शेष कार्य काल के लिए होगी, जिसकी रिक्ति में वह नामनिर्दिष्ट किया जाय ।

(५) कोई सदस्य , राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, और उक्त त्याग-पत्र के स्वीकार हो जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(६) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो, वही होगा जो नियत किया जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "बराबर-बराबर संख्या" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"१ : ३ के अनुपात"

श्रीमन्, जो धन इस निधि के अन्तर्गत आयेगा उसमें अधिकतर वह धन आयेगा जो जुर्माने के रूप में कर्मचारियों से वसूल होगा । यह जो संचय निधि होगी उसमें से रकम आयेगी । कुछ और तरह से भी आयेगी । स्वेच्छा से दी गयी धनराशि भी इसमें आयेगी । यह खंड ३ में व्यवस्था है । स्वेच्छा से कोई भी मिल मालिक धन देने वाला है नहीं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । ऐसी हालत में अगर हम परिषद् में, खंड ४(३) (ख) के अनुसार बराबर-बराबर संख्या सेवायोजकों तथा कर्मचारियों की रखेंगे तो यह चीज ठीक नहीं होगी, इससे खतरा हो सकता है । मिल मालिक तो एक होगा, या दो-चार हो सकते हैं, कर्मचारियों की संख्या लाखों में होती है तो लिमिटेड संख्या के मुकाबले अनलिमिटेड संख्या का बराबर अनुपात रखना बड़ा ही घातक होगा । इसमें मैजारिटी मिलमालिकों की हो सकती है और वे कुछ आदमियों को खरीद भी सकते हैं । इस तरह वे जो चाहेंगे करेंगे । मुझे, श्रीमन्, प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस तो नहीं है, माननीय यूसुफ साहब बता रहे थे, जब कभी माननीया मुख्य मंत्री जी वहां जाती थीं, वहां पर नाच गाना तथा अन्य प्रमोद की चीजें होती थीं । कहा तो यह जाता था कि जितने कर्मचारी हैं वे ही यह सब कर रहे हैं, परन्तु हजारों रुपया खर्च करके बाहर के लोगों को, नर्तकी व गायकों आदि को, बुलाया जाता था और इस प्रकार हजारों रुपया वेस्ट किया जाता रहा है । अगर वही रुपया श्रमिकों के ऊपर खर्च किया जाता तो उनका बहुत लाभ हो सकता था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरी चीज यह है कि कालोनीज जो बनी हैं, वहां पर रहने वालों को देखकर ही उनके रहन-सहन का अन्दाजा लगाया जाता है। वहां पर जो बड़े-बड़े लोगों के लड़के रहते हैं, वे ही अच्छी तरह से रहते हैं और साफ-सुथरे नजर आते हैं। जब भी कोई जाता है तो उन्हीं बड़े-बड़े आदमियों के लड़कों को बुला लिया जाता है मौके पर और इस तरह से, श्रीमन्, वास्तविकता का पता नहीं चल पाता। इस निधि का मतलब केवल यही है कि जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी लोग हैं, उससे उनके बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाय। उनके रहन-सहन या उनके जीवनस्वर को ऊंचा किया जाय। इस तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बराबर का हिस्सा रखेंगे, या कर्मचारी कम अनुपात में रहेंगे तो परिषद् बड़े लोगों के हाथ में चली जावेगी और इसका नतीजा यह होगा कि जो अपीलें मिल मालिक किया करते थे वे आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे और सही माने में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब आप उनसे डायरेक्ट पैसा इस निधि में नहीं ले रहे हैं तो श्रमिकों के पैसे को देखते हुए इसमें अधिक से अधिक उनको रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए। अगर आप एक और तीन का अनुपात भी देते हैं तो भी संतोष की बात हो जाती है। अगर बराबर अनुपात रहा तो मिल मालिक जिस तरीके से चाहेंगे, इसमें खर्च किया करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना कि वे इसमें इस बात को अवश्य रखें ताकि भविष्य में ऐसा खतरा पैदा न हो।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी हम कह चुके थे कि जहां ऐसा अनुपात रखा गया है उसमें शंका है कि श्रमिकों को इस अनुपात से लाभ हो सके या नहीं। बराबर के अनुपात के रहने पर जो लाभ श्रमिकों को हो सकता है वह नहीं हो पावेगा। अनुपात यहां बराबर का है और अनुपात बराबर होने पर उनका यानी मिल मालिकों का प्रभाव ज्यादा रहेगा ही और जो भी विचार श्रमिक लोग रखेंगे वे उनको दबाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी विचार रखा जाता है वह किसी सिद्धांत पर रखा जाता है। यहां बराबर का अनुपात किसी भी सिद्धांत पर नहीं रखा गया मालूम होता है। जो यह निधि इकट्ठी हो रही है वह श्रमिकों के लाभ के लिए एकत्र हो रही है। श्रमिक चाहेंगे कि लाभ के लिए हो, परन्तु अनुपात बराबर होने के कारण लाभ नहीं हो सकेगा। इसका अनुपात चाहे एक दो या एक तिहाई कर दें, जो भी मुनासिब मंत्री महोदय समझें तो ही श्रमिकों का लाभ हो सकेगा। मिल मालिक खेलने का मैदान बनावेंगे तो अपने ही लिए बनावेंगे और ऐसी जगह बनावेंगे जहां मजदूर लोग या उनके बच्चे पहुंच ही न पायें। इससे श्रमिकों को लाभ होने वाला नहीं है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और मेरे विरोध का कारण है। उन्होंने खंड ४ के उपखंड (३) के भाग (ख) बराबर की संख्या के स्थान पर एक तिहाई के अनुपात की बात कही है। श्रीमन्, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस पूरे अधिनियम को समझा जाय कि कोई बहुत बड़ा क्रान्तिकारी अधिनियम यह नहीं है कि वह पूंजी के साधनों पर कब्जा करने वाला है या मजदूरों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला है या मिल मालिकों को मजदूरों पर काबिज करने वाला यह अधिनियम है। इस अधिनियम की रचना तो एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की रचना के मातहत है जो कि संविधान के अन्दर दिया हुआ है, लेबर वेल वेफयर, चाइल्ड वेलफेयर आदि के बारे में संविधान का डाइ-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेक्टिव है, उसी के सम्बन्ध में यह एक कड़ी है और वह यह है कि अभी तक जो प्राप्तियां, जो साधन जो धनराशि निष्प्रयोजन पड़ी रहा करती थी, लिटिगेशन के द्वारा, वादों के द्वारा जो कभी तय नहीं होती थी, मजदूरों को नहीं मिलती थी, उस धनराशि को सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और वह चाहती है कि उसका मजदूरों के हितों में उपयोग हो। तो साफ बात है कि यह अधिनियम मजदूरों के सम्बन्ध में एक कल्याणकारी कदम है और उसमें केवल मजदूरों का एकाधिकार हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें पूंजीपतियों के सद्भाव का भी सवाल है, आप इसको केवल मजदूरों की बाडी नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो भी मजदूरों से सम्बन्धित कार्य में लगे हुये हैं, कार्यकर्त्ता हैं या संस्थायें हैं और सामाजिक कार्य-कर्त्ता हैं उन सभी को इसमें सन्निहित करने का प्रयत्न किया गया है।

बराबर-बराबर रखने की जो बात है उसमें यह है कि सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रखा है कि महिलाओं को और स्वतंत्र सदस्यों को भी वह इसमें रखेंगी जिससे कि बहुमत भी बना रह सकता है। फिर यह जो धन आने वाला है उसमें बहुत हद तक उन उद्योगपतियों के सद्भाव की भी आवश्यकता होगी। जितनी भी कार्यवाही कानूनी या सरकारी करेंगे वह तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जब तक वह उद्योगपति भी सहयोग नहीं देंगे, सद्भाव नहीं रखेंगे तब तक यह कार्य सुचारु रूप से चलने वाला नहीं है। इसलिये जो बराबर-बराबर रखा गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें मजदूर भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे और तमाम वह व्यक्ति भी होंगे जो कि मजदूरों के हित में रुचि रखते हैं। जब कोई बहुत बड़ा क्रान्तिकारी प्रस्ताव आप लायें तो उस समय यह लम्बी चौड़ी बातें अगर कहें या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आये तो उस पर यह बातें कह सकते हैं। इस बिल का स्कोप, इसकी व्याप्ति तो बहुत ही सीमित है। इस सीमित व्याप्ति को नजर में रखकर आप इस पर विचार कर लीजिये क्योंकि इसमें अगर उद्योगपतियों का कांट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, उनकी सेवाओं का उपयोग आप नहीं करेंगे तो आपकी परिषद् निष्क्रिय हो जायगी। इसलिये यह संशोधन निरर्थक है और मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री ऊदल--

जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी माननीय बेचनराम जी संशोधन के खिलाफ तर्क दे रहे थे कि जब तक उद्योगपतियों का समर्थन और उनका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होगा तब तक हम मजदूरों की भलाई नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक को माननीय बेचन राम जी को पढ़ना चाहिये था। यह पैसा जो आयेगा वह मजदूरों का पैसा आयेगा। जो मजदूर क्लेम नहीं करते, छोड़ कर चले जाते हैं या बुढ़ापे में मर जाते हैं और उनका पैसा मिल मालिकों के पास रह जाता है, जो क्लेम नहीं किया जाता, उसी पैसे को इस विधेयक के द्वारा इस निधि में इकट्ठा किया जायगा। अब उसको खर्च करने का सवाल है। माननीय बेचन राम जी उस में मिल मालिकों को बराबर-बराबर रखने की बात करते हैं उस पैसे में जो कि मजदूरों का पैसा है। तो मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को। मैं इस संशोधन के पक्ष में हूं कि जो बराबर-बराबर का हिसाब रखा गया है वह मुनासिब नहीं है। इसलिये नहीं है कि पैसा मजदूरों का है। अभी पहले जो बात आयी थी, जब संशोधन पेश था माननीय कमलासिंह जी का कि अपने यहां भी इस तरह की व्यवस्था सेवायोजक करते हैं और वह श्रम कल्याण के लिये कोई फंड इकट्ठा करते हैं तो उसको सरकार ले ले, वह अलग से इकट्ठा न कर पावें या अगर करते हैं तो सरकार इस अधिनियम में या नियमों में ऐसी व्यवस्था करे कि उसका भी रुपया श्रम कल्याण निधि में आ जाय, जो उस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि उससे मजदूरों का अहित होगा, लेकिन जहां मजदूरों का पैसा इकट्ठा होगा, श्रम कल्याण निधि जो बनेगी उसमें मिल मालिकों को बराबर-बराबर रखेंगे तो मैं समझता हूं इससे और भी ज्यादा अहित होगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

उस पैसे का दुरुपयोग होगा, मनमाना ढंग से अपनी मर्जी के मुताबिक वह इसे खर्च करेंगे और बोर्ड की जो अहमियत है, वह भी खत्म हो जायगी । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि मिल मालिकों के इस प्रतिनिधित्व के अनुपात को घटाना चाहिये और इसलिये घटाना चाहिये क्योंकि इस निधि में उनका कोई पैसा नहीं है, यह सारा पैसा मजदूरों का ही है । अतः उन्हीं का बहुमत होना चाहिये या मान्यता प्राप्त मजदूरों के संगठनों का होना चाहिये और जो बराबर प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, यह नहीं होनी चाहिये । मुझे आशा है कि इस संशोधन को मानकर आप एक और तीन का अनुपात रखेंगे ।

*श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं माननीय कमला सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं । जो कानून लाया गया है, यह श्रमिकों के फायदे के लिये है । इसमें जितना पैसा इकट्ठा होगा, वह श्रमिकों का है । सेवा योजकों का कोई भाग इसमें नहीं है । वह अगर कुछ भी करेंगे, तो जैसा नरसिंह नारायण जी ने संशोधन रखा था, उनके लिये सरकार ने धारा ३ की उपधारा (३) में अलग व्यवस्था कर दी है । उसमें उनका पूरा बहुमत रहेगा, जिस तरह से चाहेंगे खर्च करेंगे । लेकिन जो परिषद् निधि के बारे में निर्णय लेगी, तो ऐसी निधि में जिसमें सरकार और मजदूरों का पैसा है, उसमें मजदूरों का बहुमत रहना चाहिये । मैं तो चाहूंगा कि उनका सेंट परसेंट प्रतिनिधित्व होना चाहिये । परन्तु अगर कहा जाय कि ६ (१) के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ सकती है, कि कौन साधन ऐसा है जो अनरिलीज्ड पड़ा हुआ है, तो उसको तय करने के लिये मिल से संबंधित कोई प्रतिनिधि वहां रहें । इसलिये ऐसी व्यवस्था होना चाहिये थी कि केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, सरकारी कर्मचारी कुछ होते तो ठीक था, लेकिन इसमें मजदूर ही डामिनेट करें । और सरकारी कर्मचारी को अगर सेवायोजक ने मिला लिया, तो श्रमिक का कल्याण एक किनारे रह जायगा । इसलिये एक और तीन का अनुपात बहुत सुन्दर है । मैंने संशोधन का नोटिस भी दिया था, परन्तु मंत्री जी ने अनुमति नहीं दी । श्रमिकों के प्रतिनिधि होने की व्यवस्था है । मैंने नोटिस दिया था कि जितने और मजदूरों के रजिस्टर्ड संघ हैं उन सब का एक-एक प्रतिनिधि होता तो अच्छा रहता । माननीय राजाराम शास्त्री और यूसुफ साहब तो आ जायेंगे । परन्तु प्रदेश में और भी महासंघ हैं, उनके भी प्रतिनिधि पदेन भेजने की व्यवस्था होती, तो अच्छा रहता । एक और ३ का रेशियो रखने से अच्छा काम चल सकेगा और मजदूरों के हित का संरक्षण होगा । मिल मालिकों की जो भावना है कि श्रमिकों के हितों के विरुद्ध काम करते रहते हैं, इसके लिये भी उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिये मैं माननीय कमला सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, श्रमिक और सेवायोजक के संबंध बड़े मधुर होना जरूरी हैं और आई० एल० ओ०, आदि में इस प्रकार की परम्परा है, कि प्रायः दोनों के प्रतिनिधि बराबर होते हैं और यह इसलिये भी रखा गया है कि हम चाहते हैं कि सेवायोजकों का कंट्रीब्यूशन इसके लिये हो । हम यदि इस अधिनियम के द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो दिक्कत हो सकती है । उनको हम समझा-बुझा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वह हमारी बात न मानें । अभी कुछ समय हुआ हमने सेवा योजकों को तैयार किया है कि हरद्वार के अन्दर यदि श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई विश्राम गृह बनें तो उसकेलिये यह तैयार हो गये, जिसमें हमारा चेयरमैन होगा, एक महिला होगी । तो मैंने तो अपने अनुभव से यही देखा कि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पर कोई मत विभाजन नहीं होता है । सरकार ने इस बात की पावर्स ली हैं कि यदि फंड का दुरुपयोग करता है, तो तमाम मैनेजमेंट को भंग किया जा सकता है । इसलिये जिस मकसद के लिये श्रम कल्याण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केन्द्र कायम किया गया है, यह भावना बड़ी अनुचित मालूम पड़ती है । हम यह सोचकर चलें कि सेवा योजक और श्रमिकों के बीच में कटु संबंध रहेगा । अच्छे सेवा योजक को मजदूरों के कल्याण के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये क्योंकि उसी के ऊपर उसका उत्पादन निर्भर करता है। जैसे ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस है या बोनस कमेटी बन गई है, तो मिल मालिक और मजदूरों का साथ रहना आवश्यक है । सेवा योजक की दिलचस्पी श्रमिक कल्याण के अन्दर होनी चाहिये । हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रेम बना रहे और धारा ३ (३) में जैसा मैंने रखा है कि मिल मालिक इस प्रकार की निधि अगर अपने पैसे से अलग बनायें तो उसको भी उनकी सहमति से ले सकते हैं । इसलिये बराबर का प्रतिनिधित्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो यह सोचा जाय कि यहां पर कोई अधिकार की बात हो या श्रमिकों का हित खतरे में हो । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, श्रम मंत्री जी की बात सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई । क्योंकि हम उम्मीद करते थे, कि जो मंत्री मजदूरों के हित को सेफगार्ड करते हैं, उनसे ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी। माननीय बेचनराम की की बात को सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई । मैं चाहता हूं कि वह परिषद् या निधि जो मजदूरों के कल्याण के लिये बनाई जा रही है, उस पर मजदूरों का ही पूर्ण अधिकार होना चाहिये । अगर सेवायोजकों का कोई भी प्रतिनिधि न रहे, तो मुझे जरा भी हिचक न होगी यह कहने में कि ऐसी परिषद् की अवश्य स्थापना होनी चाहिये । मंत्री जी ने बताया कि हम परसुएड करेंगे जैसा धारा ३ (३) में दिया हुआ है कि वह कल्याणकारी कार्यों के लिये अधिक से अधिक रुपया निकालें, और उसके बाद उनकी स्वीट विल से हम इस निधि में रुपया ट्रान्सफर कर सकें । यह तो, श्रीमन्, टट्टी की आड़ में शिकार करने की बात कही गई है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं अगर आप वाकई किसी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहते हैं, तो खंड २ के (ङ) में यह दिया हुआ है कि अनुदान के रूप में या किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अंशदान, तो मिल मालिक भी दान दे सकता है और बाहर का कोई आदमी भी दान दे सकता है । इसलिये अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा कर सकते हैं । लेकिन इस नाम पर कि मिल मालिक जो करोड़ों रुपया गलत तरीके से खा रहा हो, उसे हम परसुएड करें कि वह सौ, दो सौ, चार सौ रुपया इस निधि में ला दें और इससे उनको परिषद् के रिप्रेजेन्टेशन में अधिक से अधिक हिस्सा देकर उनकी मोनोपोली करने जा रहे हैं, यह उचित न होगा।इसमें सबसे बड़ा खतरा है, वह इसलिये है कि इसी विधेयक में एक धारा है जिसमें मनोरंजन के कार्यों पर भी रुपया खर्च करने के बारे में दिया हुआ है । जिन १४ प्रकार के कार्यों पर वह रुपया खर्च होगा उनमें से एक कार्य यह है और वह परिषद् के प्रस्ताव से होगा । इसलिये अगर उसमें लेबरर्स की मेजारिटी होगी तो वे अपने लाभ के कामों में उस रुपये को लगा सकेंगे और अगर मिल मालिकों की मैजारिटी हो गयी तो सारा रुपया वे मनोरंजन में खर्च कर देंगे । जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम होगा, कानपुर में आमोद-प्रमोद के ऊपर बहुत सा रुपया खर्च किया गया है ।

श्री बनारसीदास--

माननीय कमलासिंह जी किस बात का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव--

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा प्रबंध करें जिससे यह रुपया अधिक से अधिक अच्छे कामों में लगाया जाय । इस परिषद् में जिसकी मेजारिटी होगी, उसके कहने के अनुसार ही इस धन को खर्च किया जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें मजदूरों की संख्या अधिक हो जिससे वे अपने कल्याणकारी कामों में उस रुपये को खर्च कर सकें । अगर माननीय मंत्री जी इसके विपरीत सोचेंगे तो ठीक न होगा । अगर इसमें कोई गड़बड़ होने की संभावना है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

उसको आप नियमों में ला दें । मैंने इसको धोखे की टट्टी इसलिये कहा कि इसमें चुनाव का कहीं सवाल ही नहीं है । यह तो सरकार के हाथ की चीज है । सरकार ही इसमें नामिनेशन करेगी । फिर उसको किस बात का खतरा मालूम पड़ता है । इसका माननीय मंत्रीजी के पास कोई जवाब नहीं है । जब सरकार मजदूरों और मिल मालिकों दोनों के नाम स्वयं ही रखेगी तो फिर खतरा किस बात का है । सरकार कर्मठ श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में रख सकती है । एक ओर माननीय बेचन राम जी कहते हैं कि हम लेबरर्स की एक क्लास बनाना चाहते हैं । लेकिन जब माननीय मंत्री जी स्वयं ही नामिनेशन करेंगे तो फिर क्या खतरा उनको मालूम पड़ता है । इसलिये कल्याणकारी भावना का सही स्टेप यही है कि इस कमेटी में अधिक से अधिक मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो । अगर इस तरह से रखा गया तो मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य के लिये यह बिल लाया गया है, वह उससे अवश्य पूरा हो जायगा । लेकिन अगर आप दूसरी भावना पैदा करना चाहते हैं जैसा कि इसमें दिया है तो मैं समझता हूं वह भावनायें सफल न होंगी और जिस उद्देश्य से यह बिल आया है वह भी पूरा न होगा ।

श्री बनारसीदास--

मुझे श्रीमन्, अब क्या कहना है । जो उन्होंने पहले कहा था वही अब फिर कह दिया । उन्हें श्रमिकों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है । कभी ऐसी चीजें नहीं होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "बराबर-बराबर संख्या" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१:३ के अनुपात" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५ तथा ६

अनर्हताएं तथा निष्कासन

५--(१) कोई भी व्यक्ति, परिषद् के सदस्य के रूप में न तो नाम निर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा, यदि वह --

(क) परिषद् का वैतनिक अधिकारिक हो; या

(ख) किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो; या

(घ) नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो ।

(२) राज्य सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है--

(क) जिसमें उपधारा (१) में उल्लिखित कोई अनर्हता हो अथवा हो गयी हो; या

(ख) जो परिषद् की लगातार तीन से अधिक बैठकों में परिषद् की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा हो; या

(ग) जो धारा (४) की उपधारा (३) के खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्य होने की दशा में, अपने नाम निर्देशन की शर्तों को अब पूरा न करता हो ।

अदत्त संचय और उनके सम्बन्ध में दावा

६--(१) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि या किसी संविदा या संलेख में किसी बात के होते हुये भी, परिषद् को समस्त अदत्त संचयों का भुगतान किया जायेगा जो उसके लिये तब तक एक पृथक लेखा रखेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में दावों का इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन निर्णय न हो जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् को भुगतान किये गये अदत्त संचय से सेवायोजक, उसके सम्बन्ध में केवल उतनी धनराशि की सीमा तक जितनी धनराशि का भुगतान इस प्रकार परिषद् को किया जाय, दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा और कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उपर्युक्त सीमा तक भुगतान करने का दायित्व इस धारा के अनुवर्ती उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद् को संक्रमित किया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन परिषद् को किन्हीं अदत्त संचयों का भुगतान होने के पश्चात् यथा शक्ति शीघ्र परिषद् नोटिस द्वारा, जिसमें नियत रीति से सभी ब्योरे होंगे और जो उपधारा (४) में निर्धारित रीति से प्रकाशित किया जायगा और जो, यथा स्थिति, कर्मचारिवर्ग या उनके विधिक प्रतिनिधियों से कोई ऐसा भुगतान करने के लिये दावे आमंत्रित करेगी जो परिषद् को इस प्रकार भुगतान किये गये अदत्त संचय में से उनको देय हो।

(४) परिषद् द्वारा अदत्त संचयों की प्राप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष जून तथा दिसम्बर के महीनों में कम से कम एक बार उपधारा (३) के अधीन नोटिस--

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायगा;

(ख) गजट में प्रकाशित किया जायेगा;

(ग) किन्ही दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा; और

(घ) ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित किया जायेगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

(५) यदि यह प्रश्न उठे कि उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस, उपधारा (४) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था अथवा नहीं तो परिषद् का यह प्रमाण-पत्र कि वह इस प्रकार प्रकाशित किया गया था, निश्चायक होगा।

ऐक्ट संख्या ४, १९३६

(६) यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में नोटिस के गजट में प्रथम, प्रकाशन से चार वर्ष के भीतर अदत्त संचय की किसी धनराशि के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त हो तो वह दावा परिषद् द्वारा पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा १५ के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, संक्रमित कर दिया जायगा, और वह दावे की सुनवाई करेगा और उसे अवधारित करेगा।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(७) उपधारा (६) के अधीन प्रस्तुत किसी दावे की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को वही अधिकार होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हों; अर्थात्--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिय बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायं ।

(८) यदि उपर्युक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अदत्त संचय में से किसी धनराशि के सम्बन्ध में दावा वैध हो तो वह यह आदेश देगा कि ऐसी धनराशि का भुगतान परिषद् द्वारा ऐसे आदेश में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों को कर दिया जाय और तदुपरान्त परिषद् तदनुसार भुगतान करेगी । प्राधिकारी का निर्णय, उपधारा (९) के अन्तर्गत किसी अपील के यदि कोई हो, निर्णय के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।

(९) यदि अदत्त संचय में से भुगतान करने का दावा अस्वीकार कर दिया जाय तो दावेदार को उस जिले के, जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से ६० दिन के भीतर की जा सकेगी । ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा ।

(१०) अदत्त संचय में से, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (३) के अधीन दावे आमंत्रित किये गये हों, वह धनराशि, जिसके लिये उपधारा (६) क अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा न किया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त रीति से प्रस्तुत दावों को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और वह स्वामीहीनत्व (bona vacantia) के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और उसे निधि में संक्रमित तथा उसका भाग समझा जायगा ।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "परिषद् के" और "सदस्य" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय--

"अध्यक्ष अथवा"

इसमें "अध्यक्ष अथवा" जोड़ देने से यह खंड इस प्रकार पढ़ा जायगा कि "कोई भी व्यक्ति, परिषद् के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में न तो नाम निर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा, यदि वह परिषद् की वैतनिक आधिकारिक हो ।" यहीं तक मैं पढ़ता हूं । मंत्री जी के दिल में जो धारणा थी कि सदस्य हो सके तो उस पर यह डिसक्वालिफिकेशन लागू होगी लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि क्या उन को अधिकारियों ने पढ़ा दिया होगा और उन्होंने मान लिया । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से किसी संसद सदस्य या यहां के सदस्य के लिये हैं कि किसी भी कन्डीडेट की नामिनेशन से पहले अगर अनर्हता हो, तो वह नहीं हो सकता, लेकिन अध्यक्ष के लिये नहीं रखा गया है कि अगर अनर्हता है तो उस का भी सदस्य की तरह नामिनेशन नहीं हो सकेगा । यह गलत बात होगी । आप नामनिर्देशन करेंगे लेकिन कोई अनर्हता उसके लिये नहीं रखी तो इस तरह से कोई भी आदमी अध्यक्ष हो सकता है । इसलिये जैसे कि और जगह दूसरे कानूनों में भी रखा है और सिद्धान्त को माना है तो यहां भी यह अनर्हता की बात सदस्य के साथ-साथ अध्यक्ष के लिये भी रखी जाय । मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य जो होगा वह कोई नौकर नहीं होगा और इसलिये आप उस को नान-आफिशियल मेम्बर में लेने जा रहे हैं और उस वक्त सवाल यह होगा कि कौन सी अनर्हता अध्यक्ष पद के लिए और सदस्य पद के लिये हों । जब तक यह निर्णय न हो जाय कि अनर्हता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्या होगी उस वक्त तक अगर किसी का नामांकन करते हैं और उसके बाद अनर्हता मालूम हुई तो बाद में क्या होगा। वह बिलकुल फार्स होगा। इसलिये 'अध्यक्ष' जोड़ने से अनर्हता की बात सदस्य और अध्यक्ष दोनों पर लागू हो सकेगी। नामनिर्देशन तो आप के ही हाथ में है, कोई झगड़ा उसमें नहीं। केवल अध्यक्ष की अनर्हता जो नहीं रखी गई है उस को रखने की बात है। इस तरह से तो आप एक पागल को, एक दिवालिया को या सरकारी मुलाजिम को, किसी को भी नामिनेट कर सकते हैं और वह बिना अनर्हता के ही अध्यक्ष हो जायगा। इससे लाभ न होगा। कानून खत्म होना चाहिये, नामिनेशन हमारी चीज नहीं है, आज किसी को रखते हैं कल को दूसरे को रखना पड़ेगा। हम यहां पर कानून बनाने बैठे हैं तो जो गडबड़ियां हैं अगर उन सब को आप दूर कर दें तो अच्छा है। इस ओर आप को पूरा ध्यान देना चाहिए। नाम निर्देशन आप के हाथ में है। आप की बात को अगर मान लिया जाय तो कल फिर ऐसा होगा कि छोटी सी बात के लिए फिर संशोधन लायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन मान लिया जाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह साफ साफ विचार व्यक्त किया है कि जितनी सदस्य के लिए अनर्हताए हैं, वे ही अध्यक्ष पर लागू होती हैं। जो हम लोगों का संशोधन है उसकी भावना को आप स्वीकार करते हैं। आपका यह कहना है कि जो सदस्य पर लागू होता है वह ही अध्यक्ष पर भी लागू होगा। इस पर माननीय कमलासिंह जी ने प्रकाश डाला है। तो अगर माननीय मंत्री जी इसी समय स्वीकार कर लें तो बाद में कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। इसे अगर स्वीकार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बेचनराम---

श्रीमन्, जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि यह नियम है कि किसी भी संस्था में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है वह उस संस्था का सदस्य भी होता है। पंचायत राज अधिनियम में लिखा हुआ है कि गांव पंचायत का प्रधान गांव पंचायत का सदस्य भी होगा। अगर कोई सदस्य का नाम निर्देशन करे और सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन हो तो वे अध्यक्ष के लिए भी लागू होंगी क्योंकि बुन्यादी मेम्बरशिप है। उस मेम्बर को वोट देने का अधिकार है। तो वे ही अधिकार अध्यक्ष को हैं। इसलिए शब्द "अध्यक्ष अथवा" रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सदस्य का निर्देशन रहता है तो वह अध्यक्ष के लिए भी काफी है।

श्री बनारसीदास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी। जब गवर्नमेंट किसी भी अध्यक्ष को मनोनीत करेगी तो वह सही दिमाग़ के आदमी को ही करेगी और यह भी सही बात है कि अगर वह अध्यक्ष बन गया तो वह सदस्य भी है। अगर उसके अन्दर अपने आप ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जायगी तो वह हट जायगा। इसलिए भी मैं समझता हूं कि किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय मंत्री जी शायद सोच रहे हैं कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो जितना विश्वास उन पर रखता हूं उतना किसी पर नहीं रखता हूं। पर यहां हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसमें न तो आप का और न हमारा कोई लिहाज होगा। जब कोई इन्टरप्रिटेशन होगी तो वह लिटरल मीनिंग ही होगी। तो मैं २ बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी प्रथम पंक्ति में यह है कि: "कोई भी व्यक्ति, परिषद्

[श्री कमलासिंह यादव]

के सदस्य के रूप में न तो नाम निर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा।" माननीय मंत्री जी का मतलब सिर्फ २ से है। पहले नाम निर्दिष्ट होता है चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो, उसके बाद नामिनेशन हो जायगा। तो सवाल यह उठेगा कि वह सदस्य बना रहे या नहीं। मैंने सूक्ष्म में बात कह दी कि गलत आदमी का नाम निर्देशन आप के द्वारा न हो। मैं माननीय मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद् की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिस विधेयक को इस सदन ने पास किया है। उसमें भी परिषद् की स्थापना हुई है और यह दिया हुआ है "अध्यक्ष या सदस्य; आदि होने के लिये अनर्हताएं ––कोई भी व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह..." ये सब डिस्क्वालिफिकेशंस उसमें भी हैं लेकिन अध्यक्ष और सदस्य दोनों उसमें आ गये हैं। मैं यह बात देख रहा था कि सदस्य के लिये हो सकता है, नामिनेशन के पहले आप इस बात का खयाल रखेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन के अन्तर्गत वह आता है या नहीं, लेकिन अध्यक्ष का नाम न रहने से वह उस पर एप्लाई नहीं करेगा जब तक वह उसका सदस्य डिक्लेयर न किया जाय। लिहाजा मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक चीज का रेपीटीशन बराबर अच्छा नहीं है, इसलिए पुनः वह उस पर विचार कर लें। सदस्य के लिये तो मैं एग्री करता हूं कि वह ठीक है लेकिन जहां तक अध्यक्ष की बात है वह नाम निर्देशन के पहले ही होनी चाहिये ताकि गलत आदमी का नाम निर्देशन न हो सके। कानून अपनी जगह पर ठोस होना चाहिये ताकि कोई सुराख न मिले। मेरी तरफ से यह आया है इसलिये मंत्री जी इसे मंजूर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से उसे पेश कर दें ताकि यह मंजूर हो सके।

श्री बनारसीदास––

मैं कह चुका हूं कि इससे कोई खतरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "परिषद् के" और "सदस्य" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय––

"अध्यक्ष अथवा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

"(क) परिषद् के किसी लाभप्रद पद पर हो।"

खंड ५ के उपखंड १ (क) के अनुसार परिषद् का वैतनिक अधिकारी उसका सदस्य नहीं हो सकता, इतना ही काफी नहीं है बल्कि यह भी रखना चाहिए कि जो कोई भी आदमी लाभप्रद पद पर हो, उस को भी इस परिषद् का सदस्य नहीं होना चाहिये। लाभ तो आफिस आफ प्राफिट है। आफ़िस आफ प्राफिट के बारे में बहुत सी चीजें हैं। डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट हर आदमी के इन्ट्रेस्ट होते हैं। परिषद् के किसी कार्य में कोई कान्ट्रक्टर भी हो सकता है या किसी का लड़का भी हो सकता है, तो ऐसे परिषद् के कार्य से इन लोगों की इनडाइरेक्ट रिलेशनशिप हो सकती है और इन्ट्रेस्ट भी हो सकता है। इसलिये "लाभप्रद कोई भी पद" यदि इसमें रख दिया जाता है तो ऐसे लोग जिनका कोई भी डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट सम्बन्ध परिषद् के कार्यों से होगा, तो वह लोग परिषद् की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैंने इसे रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार से प्राविजन और भी बहुत से विधेयकों में रखा गया है, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं। इसलिये यहां पर यह होना चाहिये। किसी लाभप्रद पद पर हो, तो इसका मतलब यह है कि आफिस आफ प्राफिट, परिषद् के जितने कार्य होंगे, उसमें इन्ट्रेस्ट रखने वाला हर आदमी उसकी सदस्यता से वंचित रहेगा। ऐसे लोग जो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार हम वंचित कर सकेंगे और परिषद् में ईमानदार और योग्य आदमी ही आ सकेंगे और गवर्नमेंट को भी इससे सहूलियत मिल सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, यदि इस अमेंडमेंट को मान लिया जाय, तो इससे एक विवाद और पैदा होगा कि लाभप्रद पद क्या ह और अलाभप्रद पद क्या है। इसमें तो साफ स्पष्ट कर दिया गया है, "परिषद् का वैतनिक आधिकारिक हो, किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया हो, बिकृत चित्त का हो, या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो।" तो अनर्हताएं जो रखी गयी हैं वह बहुत काफी हैं और इसका मतलब यह है कि उसका कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट इसमें न हो। इसके रखने के बाद एक विवाद पैदा हो जाता है, जैसे एलेक्शन पिटीशन में कानून के बाल की खाल निकाली जाती है, वही दशा इसमें भी होगी। इसलिये इसको मानने में मैं असमर्थ हूं, किन्तु इतना माननीय सदस्य से कहता हूं कि जब नामिनेशन किया जाएगा तो इन बातों की ओर ध्यान रखा जाएगा।

श्री कमलासिंह यादव--

यहां पर एलेक्शन का सवाल नहीं है, जो मंत्री जी डर रहे हैं। उन्हें ही नामिनेट करना है, इसलिये उन्हें ईमानदार आदमी को ही नामिनेट करना चाहिये और यह चीज अवश्य इसमें रखनी चाहिये। इसके न रखने से हम गलत और स्वार्थी, बेईमान आदमियों को परिषद् के कार्यों में भाग लेने से रोक नहीं सकते हैं। जो वैतनिक कर्मचारी हैं, केवल ऐसा रखने से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क जो लोग हैं, जो एन्टी इन्ट्रस्टेड हैं, उन लोगों को भी इसमें घुसने का मौका मिल जाएगा तथा सदस्यता ग्रहण करने का मौका मिलेगा। इसलिये इसमें डरन की चीज नहीं है, आफिस आफ प्राफिट ऐसी चीज है जो सभी लोग जानते हैं और दूसरे लोगों को जानने की भी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी जानते हैं और उन्हें ही नामिनेट करना है। यदि इसमें चुनाव की बात होती तो मैं इसे मान सकता था कि आफिस आफ प्राफिट की बात खड़ी होगी। हमारे यहां एक आफिस आफ प्राफिट की कमेटी भी बनी हुई है। इसमें आफिस आफ प्राफिट के चैलेंज होने का कोई सवाल नहीं है। यदि इस संशोधन के अनुसार इसे रखा जाये तो एक विस्तृत शर्त होगी और इसके अनुसार इसके अन्दर कान्ट्रेक्टर, वैतनिक कर्मचारी और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के सभी लोग इसमें आ जाएंगे और इस तरीके पर जो हमारी सदस्यता होगी वह पाक-साफ होगी।

श्री बनारसीदास--

मनोनीत करते वक्त पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस सम्बन्ध में गाइडेन्स के लिए हम ऐसे नियम भी बनायेंगे कि कोई भी ऐसा गलत आदमी मनोनीत न हो, जिसका उसमें कोई स्वार्थ हो। तो इसलिये मुझे आशा है माननीय कमलासिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

"(क) परिषद् के किसी लाभप्रद पद पर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) के अन्त में "हो" के बाद और "सेमीकोलन" के पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो"

श्रीमन्, इस संशोधन के बाद उपखंड का यह भाग इस तरह से पढ़ा जायगा "विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो, या।" श्रीमन्, अगर कोई व्यक्ति परिषद् में सदस्य होने वाला हो या हो जाने के बाद पागल हो गया हो तो हमारे सामने एक दिक्कत आयेगी कि कोई भी पागल कहा जा सकता है और वह हटा दिया जायगा। इसको घोषित करने से पहले एक्सपर्ट की राय से न्यायालय से घोषित हो जाय कि वह पागल है तब उसको हटाया जाना चाहिये। दूसरे ऐक्टों में भी इसी तरह का क्लाज़ है कि पागल अगर घोषित हो गया हो न्यायालय से एक्सपर्ट की राय पर। अभी हमने इस सदन में एक विधेयक पास किया है उसमें भी हमने इसी तरह पर रखा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को अवश्य मान लें।

श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की इस वक्त तो आवश्यकता नहीं है। पागल को कैसे पागल घोषित किया जायगा इसके लिये सब जगह, कोई इसी विधेयक में नहीं, कुछ मान्य सिद्धान्त हैं। माननीय कमलासिंह जी कुछ ज्यादा सतर्क हैं और वे विधेयक के अन्दर प्रत्येक बात ले आना चाहते हैं। जो सभी जगह होता है वह यहां भी मान्य है और जरूरत हुई तो नियमों में व्यवस्था कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (ग) के अन्त में "हो" के बाद और "सेमीकोलन" के पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के अन्त में (ङ) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"(ङ) स्वयं या किसी साझेदार सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या सेवा योजन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो।"

यह सिम्पिल सी चीज है। मैं पहले कह चुका हूं कि कोई भी ऐसा आदमी चाहे सेवायोजक हो, चाहे कर्मचारी हो जिन्हें किसी किस्म का इन्टरेस्ट हो वह इस परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। इसलिये यह चीज रखी गयी है ताकि इसके बारे में कोई गड़बड़ न हो सके।

श्री बनारसीदास--

मैं तो पहले ही इसके बारे में कह चुका हूं। पहले भी इन्होंने लाभप्रद बात रखी थी। अब उसी को दूसरे रूप में रख रहे हैं। मुझे यह स्वीकार नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के अन्त में (ङ) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"(ङ) स्वयं या किसी साझेदार सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ उसके द्वारा या उस की ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७--१६

वे प्रयोजन जिनके लिए निधि का प्रयोग किया जा सकेगा

७--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये निधि, परिषद् में निहित और उसी के द्वारा धृत होगी तथा प्रयुक्त की जायगी।

(२) उपधारा (१) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नलिखित पर व्यय करने के लिये निधि की धनराशि का उपयोग कर सकती है, अर्थात्--

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिसके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी हैं;

(ख) सार्वजनिक स्नान-गृह तथा धुलाई स्थल;

(ग) चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्यलाभ-गृह;

(घ) महिलाओं तथा बालकों के लिए शैक्षिक सुविधायें और प्रौढ़शिक्षा;

(ङ) खेल-कूद;

(च) विहार, पर्यटन तथा अवकाश-गृह;

(छ) मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के विनोद;

(ज) महिलाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक धंधे;

(झ) परिषद् के सदस्यों के भत्ते तथा परिषद् के अधिकारियों और अन्य सेवकों के वेतन तथा भत्ते;

(ञ) ऋणदान, उपभोक्ता और बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों की स्थापना;

(ट) सामाजिक प्रकार के संगठित कार्य-कलाप;

(ठ) खाद्य-पदार्थों को तैयार तथा प्रक्रिया करने के लिए सुविधायें;

(ड) आवास की सुविधाओं और उस के सुधार की व्यवस्था;

(ढ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे परिषद् की राय में, श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार हो:

प्रतिबन्ध यह है कि निधि का उपयोग किसी ऐसे कार्य में धन लगाने के लिए न किया जायगा जिसे किसी सेवायोजन का तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कार्यान्वित करना अपेक्षित हो।

(३) परिषद् राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी सेवायोजक, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को श्रम कल्याण के किसी ऐसे कार्य की सहायता के निमित्त, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुमोदित हो, निधि में स अनुदान दे सकती है।

(४) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विशिष्ट व्यय निधि के नाम लिखने योग्य है अथवा नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(५) परिषद् के लिए यह वैध होगा कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिए सेवायोजक द्वारा अलग रक्खी गयी किसी धनराशि से अथवा उसक द्वारा स्थापित किसी निधि से वित्तपोषित किसी कार्य को, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, जारी रक्खे, यदि ऐसी धनराशि या निधि धारा ३ की उपधारा (३) क अधीन परिषद् को संक्रमित कर दी जाय।

श्रम कल्याण आयुक्त तथा अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त की नियुक्ति और अधिकार।

८--(१) श्रम कल्याण आयुक्त, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) श्रम कल्याण आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध यथाविधि कार्यान्वित किये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए उसे इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों उपबन्धों स सुसंगत, ऐसे आदेश जारी करन का अधिकार होगा, जिन्ह वह उचित समझे। इसके अन्तर्गत इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन परिषद् द्वारा लिये गये किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश भी है।

(३) राज्य सरकार श्रम विभाग के एक या अधिक अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पदेन या पूर्णकालिक अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त नियुक्त कर सकती है। ऐसे अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेंगे जो परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। परिषद् ऐसी स्थानीय सीमायें भी निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर ऐसा कोई अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस प्रकार निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा।

निरीक्षकों की नियुक्ति

९--(१) राज्य सरकार, निधि में दिये गये अथवा देय धन के सम्बन्ध में अभिलखों का निरीक्षण करने के लिए सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं।

(२) निरीक्षक--

(क) ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, किसी उचित समय पर निरीक्षण के लिए किसी अधिष्ठान के किसी भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है; और

(ख) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो नियत किये जायें।

१०--ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो तदर्थ नियत किये जायें, परिषद् ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिए आवश्यक समझे। अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

११--परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा की शर्तें जिसके अन्तर्गत वेतन-क्रम भी हैं-- कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

(क) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्तों और निरीक्षकों के सम्बन्ध में वही होंगी जो नियत की जायें, और

(ख) धारा १० के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में वही होंगी जो विनियम द्वारा अवधारित की जायें।

१२--निधि का प्रबन्ध तथा प्रशासन ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय। निधि का प्रशासन तथा प्रबन्ध

ऐक्ट संख्या २, १८८२

१३--यदि निधि के धन को अधिनियम के प्रयोजनार्थ शीघ्र लगाना अपेक्षित न हो तो, परिषद् उस इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खण्ड (ए) से (डी) और (एफ) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों म विनियोजित कर सकती है। निधि का विनियोजन

१४--परिषद्, समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाय गये नियमों के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाये, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई ऋण ले सकती है। परिषद का ऋण लेने का अधिकार

१५--(१) परिषद् निधि के सम्बन्ध में ऐसे लेखा बही तथा अन्य अभिलेखों को रखवायेगी जो नियत किये जायं। लेखे तथा लेखा परीक्षा

(२) परिषद अपने वार्षिक लेखा बन्दी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति स तयार करेगी जो नियत की जायं।

(३) निधि, किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी लेखा-परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षक, उत्तर प्रदश द्वारा की जायगी। परिषद्, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगी।

१६--राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में अथवा तत्पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध परिषद् क लखों का एक विवरण-पत्र और उसके कार्यों का एक प्रतिवेदन गजट में प्रकाशित करेगी। लेखों तथा व्यय का प्रकाशन

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

खण्ड ७ में मेरा जो संशोधन है, उसको मैं पेश करना नहीं चाहता हूं। सरकार ने पहले जो मैंने पेश किया था उसको ही स्वीकार नहीं किया था। तो इसको भी मैं उचित नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ से लेकर १६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७ व १८

निधि में देय धन-राशियों की वसूली की रीति

१७—इस अधिनियम के अधीन निधि में देय कोई धनराशि, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की ओर से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

राज्य सरकार द्वारा परिषद् को निर्देश

१८—(१) राज्य सरकार, समय-समय पर, परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों।

(२) परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करे।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड १७—क निम्न-रूप से रख दिया जाय—

"१७ क—(१) धारा ६ के अधीन समस्त अदत्त संयमों का भुगतान न करने अथवा उसके दुर्वियोग करने अथवा गलत लेख्य प्रस्तुत करन पर सेवायोजक को अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और यदि भुगतान का उल्लंघन निरन्तर जारी रह तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये २५ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

(२) उपधारा १ के अधीन दिया गया अर्थ दंड मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जायगी।"

श्रीमन्, यह विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जिसमें कोई पैनल क्लाज नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो चीज आप परिषद् के द्वारा पालन कराना चाहते है अगर उन चीजों के पालन करने में कोई गड़बड़ हो जाय या अगर पालन करने में कोई सेवायोजक या कर्मचारी इन्कार कर दें तब क्या पोजीशन होगी। उसका नतीजा यह होगा कि पेनल क्लाज न रहने से यह सारा विधेयक चौपट हो जायगा। सिर्फ यह कहना कि मालगुजारी की बकाया के रूप में हम इसको वसूल करेंगे यह कोई चीज नहीं है। यह देखा गया है कि आज १२, १४ करोड़ रुपया इस सरकार का मिल-मालिकों पर बकाया है सेल्सटैक्स का या अन्य तरीके से, यह सरकार आज तक उसको मालगुजारी के रूप में वसूल करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रही है लेकिन आज तक वह दे नहीं पाये जिससे हम यह जान सकते कि यह सरकार उस रुपये को वसूल कर चुकी है। दूसरी तरफ हम यह देखते है कि काश्तकारों के ऊपर यदि एक रुपया भी मालगुजारी का बाकी रह जाता है तो वह मालगुजारी के रूप में उनसे वसूल कर लिया जाता है। उनको तरह-तरह की यातनायें दी जाती हैं। अगर मालगुजारी बाकी रह जाती है तो अब उसके साथ इन्टरेस्ट भी हो गया है जो खर्चे के तौर पर वसूल किया जाता है। इस तरीके की ज्यादती हम किसानों क ऊपर करते ह और हमारी हमदर्दी मिल-मालिकों या बड़े लोग जो धनवान हैं उनसे इतनी है कि उनके लिये पैनल क्लाज रखन के लिये हमार पास उपाय नहीं है। हम खुशामद करने के लिये इस विधेयक को बना रहे हैं और माननीय मंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हम तो उनको खुश करके उनसे रुपया लेना चाहते हैं ताकि निधि अधिक से अधिक हो जाय और इसके साथ ही जब हम ने माननीय मंत्री जी को यह बताया कि इस तरह का रुपया जो और लोग डोनेट करते हैं अगर उसको भी इसमें रखने का प्राविजन हो जाय तो जरूर कोई बात सोचने की होती, लेकिन सिर्फ मिल-मालिक से इतना प्रेम क्यों है यह बात सदन में कई बार कही जा चुकी है। कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा प्राफिट होता है वह मिल-मालिक से होता है, चन्दा भी उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसकी आड़ में इस तरह से उनको पेनल क्लाज से रहित रखा जाना उचित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं धारा ६ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें यह दिया हुआ है कि जो रिकार्ड में होगा किसी मजदूर का रुपया वह निधि में जायगा, जो पेड नहीं होगा, जिस का कोई रेकार्ड नहीं होगा, अगर वह लेबरर को मालूम न हो, या उसके घरवालों को मालूम न हो और मिल-मालिक उसे बताना नहीं चाहता तो उसकी पोजीशन क्या होगी ? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चहता हूं कि इसमें प्राविधान होना चाहिये कि मिल-मालिक सही रेकार्ड रखें। इसमें दो तरह की निधियां हैं। एक तो जुर्माने आदि का रुपया आता है, लेकिन दूसरी तरह का रुपया जो लेबरर का जमा होता है कटौती आदि से, उसके लिये लेबरर को मौका है कि वह उसके लिये दावा कर सके। अगर उसने दावा किया और वह साबित हो गया तब भी मिल-मालिक का उससे कुछ नहीं होगा, वह उससे बरी हो जायंगे इसलिये इसमें उनके लिये कोई पैनल क्लाज नहीं है। वह उस रुपये का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यह इस तरह से रखना उचित न होगा। इसीलिये पैनल क्लाज की व्यवस्था की गयी है। अगर उनके पास नाजायज रुपया पाया जाय तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ताकि कोई दूसरा उसे रिपीट न कर सके। इसे इसमें जरूर रहना चाहिये ताकि हम उन्हें सजा दे सकें और यदि कोई भी आदमी इस तरह की गड़बड़ करता है या रुपया छिपाने की कोशिश करता है तो उसे सजा मिल सके। इसीलिये यह पैनल क्लाज रखा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे ताकि कोई ऐसा करने का साहस न कर सके। माननीय मंत्री जी उद्योगपतियों के ही साथी नहीं हैं यह बात सब जान सकें बल्कि यह कह दें कि लेबरर के इंटरेस्ट को भी उसी निगाह से देखते हैं जैसे कि उद्योगपतियों के इन्टरेस्ट को।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ--

मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर पेनल क्लाज इसमें नहीं होगी तो मुझको इसका पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत अड़चनें पैदा होंगी। मैं अपने अनुभव की बुनियाद पर कहता हूं कि हम लोग रोज इस झगड़े में फंसे रहते हैं। सम्पूर्णानन्द ऐवार्ड के मुताबिक ९० दिन के अन्दर ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिये, मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं--असेम्बली में, मिनिस्टर साहब से भी कि नहीं मिलती है, कोई वसूली नहीं कर रहे हैं। लेबर कमिश्नर चिट्ठी लिखते हैं, मालिक उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो जो ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देते, प्राविडेंट फंड डेढ़ महीने में मिलना चाहिये वह साल साल भर तक नहीं देते, नोटिस की, झगड़ा हुआ। ग्रेच्युटी और प्राविडेंट फंड को छोड़िये, वह तो सरकारी टैक्स नहीं देते। १० करोड़ रुपया बाकी है मिल-मालिकों पर टैक्स का। जो अनक्लेम्ड पैसा होगा उसको वह बतायेंगे नहीं। पहले उसकी जानकारी कीजिये, फिर आपको मालूम होगा तो देंगे नहीं। मैं भाई कमला सिंह से ऐग्री नहीं करता कि लैन्ड रेवेन्यू के एरियर की तरह से वसूली हो, मैं उसके खिलाफ हूं क्योंकि उसके मातहत २-३ साल तक लिटीगेशन कर सकते हैं। कौन इन्तजार करेगा २ साल के लिये ? सीधे सीधे मिनिस्टर साहब को मालूम होना चाहिये कि वह मजदूर का रुपया है, वह अनक्लेम्ड मनी ह मजदूर का, इसकी मालिक सरकार है। अगर वह नहीं देते हैं तो यह मिसए-प्रोप्रिएशन आफ मनी है। बिना भय के काम चलने वाला नहीं है। जब तक उनको भय नहीं होगा कि सरकार जेल भेज सकती है तब तक कोई वसूली नहीं होगी। आप खाली उनके आगे हाथ जोड़ते रहेंगे, जिन्दगी भर। इसलिये पेनल क्लाज के मानने में जो आपत्ति है वह मेरी समझ में नहीं आती है। हम यह नहीं कहते कि झगड़ा करो। तुम को यह सोचना है कि अगर नहीं देता तो क्या करोगे ? ऐसा कोई क्लाज इसमें रखो कि अगर कोई मालिक पैसा नहीं बतायेगा और मालूम हो जायगा, या देगा नहीं अनक्लेम्ड वेजेज को तो उसके खिलाफ मिस-ऐप्रोप्रिएशन का केस चलेगा जिसमें उसको जुर्माना और जेल दोनों हो सकते है। यह बात कीजिये तो आपको सुविधा होगी और पैसा वसूली में आसानी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

अगर मजदूर से किराया लेना है सरकारी क्वार्टर का तो तीन महीने के बाद उसका सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है और पुलिस आकर उसको निकाल बाहर करती है, तो किसान के लिये दूसरा कानून, मजदूर के लिये दूसरा और पूंजीपति के लिये अलग कानून, यह कैसा समाजवाद है ? ऐसा करेंगे तो आपके कानून बने के बने रहेंगे, किताब पर कहने के लिये रहेंगे, दूसरे देशों में प्रचार करने के लिये रहेंगे, लेकिन अमल में कुछ नहीं रहेगा। मंत्री जी अगर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो उनको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं, जो पेनल क्लाज है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बनारसीदास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सन्तसिंह यूसुफ जी समान व्यवहार सब के साथ चाहते हैं और उसको ही दृष्टि से रख कर यह क्लाज रखा गया है। जिस तरह से किसान से वसूली सरकार करती है उसी तरह से उनसे भी की जायेगी। मालगुजारी के रूप में वसूल करने का प्राविधान इसमें रखा गया है। तो मालगुजारी के रूप में तो वसूल करेंगे, किन्तु साथ ही और तरीके भी हैं जिनके द्वारा उनसे धनराशि वसूल की जा सकेगी। सवाल यह है कि उस रकम को लेने के लिये एक पेनल क्लाज और जोड़ा जाय, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे और ऐक्ट है पैमेंट आफ वेजेज वगैरह के लिये, उसी के मातहत जो फाइन होगा वह भी लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जायेगा। केवल इस दृष्टि से ही कि हम प्रोग्रेसिव हैं, कोई ऐसा क्लाज रख देने से कानून नहीं बनता। मतलब यह है कि रुपया वसूल होना चाहिये। जो प्राविधान है विधेयक में, वह काफी है। उसके द्वारा पूरा रुपया वसूल किया जा सकता है। इसलिये इस संशोधन की जरूरत नहीं है, मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ तो गया, मेरी बातों की ओर नहीं गया। दो चीजें इसमें हैं---एक तो वह रुपया है जो आपको मालूम है कि कितना श्रमिकों का बाकी है, उसको तो आप लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल कर लेंगे, दूसरा रुपया वह होगा जिसका हिसाब किताब आपको वे नहीं देंगे। जब दावा होगा और डिग्री हो जायेगी, तब आपको उसका पता चलेगा। तो उसके लिये कोई पनिश्मेंट तो होना चाहिये ताकि मिल-मालिक ऐसा न कर सकें और उस रुपये का दुरुपयोग न कर सकें। जब साबित हो जाय कि इतना रुपया वाजिब है, तो उसके लिये जरूर कोई पेनल क्लाज होना चाहिये क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो उनको गलत प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये मैंने यह चीज रखी है। माननीय मंत्री जी इतने उदार तो नहीं हैं कि उसे स्वीकार कर लें, किन्तु मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करने की कृपा करें। यूसुफ साहब ने बताया कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड के अनुसार ९० दिन के अन्दर रुपये का भुगतान हो जाना चाहिये, मगर वह भी नहीं होता। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो गलत हिसाब रखें, मजदूरों का पैसा खाने की कोशिश करें, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिये। मुझे आशा है मंत्री जी जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास---

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १७ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड १७-क निम्न रूप से रख दिया जाय :

"१७ क---(१) धारा ६ के अधीन समस्त अदत्त संयमों का भुगतान न करने अथवा उसके दुर्वियोग करने अथवा गलत लेख्य प्रस्तुत करने पर सेवायोजक को अर्थ दंड दिया जायेगा

जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और यदि भुगतान का उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये २५ रुपये तक जुर्माना हो सकता है ।

(२) उपधारा १ के अधीन दिया गया अर्थ दंड मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १७ और १८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १९---२०

कतिपय दशाओं में परिषद् का अतिक्रमण

१९--(१) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् का अतिक्रमण कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(२) अतिक्रमण हो जाने के पश्चात् जब तक कि परिषद् नियत रीति से पुनःसंगठित न हो जाय, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा किया जायगा जो उक्त प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें ।

परिषद् के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी तथा सेवक लोक सेवक होंगे

ऐक्ट संख्या ४५ १८६०

२०--परिषद् के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी और सेवक, इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझें जायेंगे ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् खड़ी पाई के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय--

"और पुनः एक मौका अपने निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये देगी ।"

श्रीमन्, धारा १९ इस प्रकार है--

१९--(१) "यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् का अतिक्रमण कर सकती है :

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमला सिंह यादव]

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

इसके बाद इतना और जोड़ने के लिये मैंने यह संशोधन रक्खा है--

"और पुनः एक मौका अपने निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये देगी।"

श्रीमन्, इसमें यह देखा जा रहा है कि जहां किसी इन्टेरेस्टेड पार्टी ने सरकार से क्लैश किया तो फौरन एटम बम सरकार का छूट जाता है और उसे सस्पेंन्ड करने की कोशिश सरकार करती है। नतीजा यह होता है कि अच्छा आदमी जो इसमें जाता है वह सुचारुरूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है कि विचार करने का या एक्स्पेलेनेशन लेने का मौका तो है ही लेकिन एक मौका तो उन्हें अवश्य देना चाहिये कि जो निदेश सरकार का हो अगर उचित हो तो इसका अवश्य पालन करे। परिषद् को अगर मालूम हो जाय तो उन्हें मौका अवश्य मिलना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे इस पर गौर करके विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इसका प्रतिबन्ध इतना साफ है कि--

"प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।" साफ जाहिर है कि अगर उसका स्पष्टीकरण है तो विचार करने के बाद उसे वापिस ले लेगी। यदि दोष है तो उसका अतिक्रमण कर देंगी। तो फिर मौका देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् खड़ी पाई के पहले निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :--

"और पुनः एक मौका अपने निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

२१--कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा तद्धीन दिये गये अथवा दिये गये समझे गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ को हटा कर निम्नांकित रख दिया जाय :--

"कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध दोषी सिद्ध होने पर नियमों में दी हुई कार्यपद्धति के अनुसार की जायगी, परन्तु धन के दुरुपयोग तथा गबन में शामिल व्यक्ति या कर्मचारी को तत्काल एक माह की नोटिस व तनख्वाह के साथ देकर अलग किया जायगा ।"

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि अगर कोई वाद सदभावना से इस परिषद् में की गई और मान लिया कि परिषद् में १० लाख रुपया जमा हुआ और बोर्ड के सारे मेम्बरान ने प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष महोदय की राय से गुड फेथ में मैनेजमेंट के किसी भी कर्मचारी को जो हमेशा इसका पोषक है उसको दे दिया और उसका दुरुपयोग हुआ, परन्तु चूंकि परिषद् का प्रस्ताव है सद्-भावना का, तो उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं कि इस आशंका का समाधान हो जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने धन का दुरुपयोग किया है तो उसे तत्काल एक माह की नोटिस देकर व तनख्वाह देकर नौकरी से अलग किया जायगा वरना बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जो सचमुच गुड फेथ में न होकर धन का अपव्यय और दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करें और मेरी तरमीम को स्वीकार करें ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

अगर वह पैसे का गलत इस्तेमाल करे और बोर्ड तय करे कि जानबूझ कर ऐसा किया गया है तो उसके खिलाफ केस चलेगा और उसे जेल भेजा जाना चाहिये । पब्लिक मनी में गड़बड़ करने वाले को सख्त सजा होनी चाहिये, एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से अलहदा करना काफी नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में तो इसमें कोई प्राविधान है नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन उन्हें नियुक्त करेगा और कौन डिसमिस कर सकेगा । लेकिन हम यह मान लें कि परिषद् या लेबर कमिश्नर नियुक्ति करेंगे तो कर्मचारियों के ऊपर कोई अंकुश अवश्य होना चाहिये । उनके सामने बहुत बड़ी रकम का सवाल हो सकता है । कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उद्योगपति हो, वह दान भी दे सकता है । तो ऐसे रुपये का अगर किसी तरीके से मिसएप्रोप्रियेशन हो जाय या सरकारी कर्मचारी उसे ठीक से जमा न करे तो यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि ऐसे आदमी का हमें क्या इलाज करना चाहिये । सद्भावना के लिये तो कोई भी कह सकता है कि हम इस रुपये को खजान्ची के पास जमा करने के लिये ले गये थे, उन्होंने कह दिया कि अपने पास ही अभी रखो, या वह नहीं मिले, या कह दिया कि बाद में दे देना, तो इस तरह की सद्भावना की बात तो बहुत तरह से हो सकती है । लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचमुच दोषी पाया जाय तो उसके लिये कोई भी पेनल क्लाज इसमें नहीं है जिससे हम उस कर्मचारी को सजा दे सकें । इसलिये यह सुझाव बिलकुल सही है, हालांकि सजा और अधिक होनी चाहिये । लेकिन जितना यह संशोधन है अगर मंत्रीजी उसी पर राजी हो जावें तो भी मैं समझता हूं कि काफी होगा । मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, शायद कमलासिंह जी कोई भी कानून ऐसा नहीं बता पावेंगे जिसमें ऐसा क्लाज न हो जैसा कि हमने रखा है । पुलिस ऐक्ट को ही देखिये, या और कानूनों को लीजिये प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिये ऐसा इंडेमिनिटी का क्लाज होता है कि अगर वह अच्छी भावना से काम करे तो कोई वाद इत्यादि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न हो । अगर कोई सब-इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के डिसचार्ज में किसी को मार भी देता है तो उसे इम्यूनीटी है । लेकिन फिर भी अगर

[श्री बनारसीदास]

अदालत के सामने यह सिद्ध हो जाय कि उसने माला-फाइडी मारा, तो उसे सजा हो सकती है । ऐसा क्लाज किसी आदमी के स्वतंत्रतापूर्वक और विश्वास के साथ काम करने के लिये रखा जाता है जैसा कि इस विधेयक में है । यह तो एक परम्परागत प्रोटेक्शन का क्लाज है । बोर्ड अपने कर्मचारियों के लिये नियम बनावेगा । तमाम सरकारी नौकर हैं, उनके लिये आचरण की नियमावलियां बनती हैं, कोड आफ कंडक्ट बनते हैं अगर कोई आदमी दुरुपयोग करता है । तो दूसरे कानून उसके लिये हैं, इंडियन पेनल कोड है जिनके मातहत उन पर मुकदमा चल सकता है । इस धारा को रखने का मतलब केवल यह है कि लोग गुड फेथ में काम करें । यहां भाषण की स्वतंत्रता है । ऐसा हमारा सदन का नियम है । अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति से काम लें तो हमारे नियमों में यह होता है कि बशर्ते आप अपना भाषण लोकहित के लिये करें, जिसको कि हाई कोर्ट तय करेगा ।

इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और आशा करता हूं कि नरसिंह-नारायणजी इसे वापिस ले लेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

माननीय मंत्रीजी ने अगर-मगर की बात कही । हम लोग तो अगर हैं और उधर वाले मगर हैं ।

(हंसी)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

अगर मंत्री जी इन गुड फेथ रखते हैं तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २२, २३ तथा २४

परिषद् के कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता

२२---परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में कोई दोष था या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था ।

अधिनियम संख्या ४, १९३६ की धारा ८ का संशोधन

२३---उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा ८ की उपधारा (८) में, स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कारखाने अथवा अधिष्ठान की दशा में जिस पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ लागू होता हो, ऐसी समस्त वसूलियां उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित निधि में जमा की जायेंगी ।"

राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी का अभिलेख आदि मंगाने का अधिकार

२४--राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, परिषद् की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिये परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उनका निरीक्षण कर सकता है और परिषद् को ऐसे आदेश दे सकता है जो वह इष्टकर समझे।

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"२२--परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में कोई दोष था अथवा कुछ अनियमिततायें बरती गयीं।"

अब जिस रूप में इस विधेयक में खंड २२ रखा गया है उसे आप देखें वह बहुत ही हंसी की चीज है। वह इस प्रकार है--

"परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में कोई दोष था या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था।"

मैं तो समझता हूं कि इससे बढ़कर गलत कोई कानून बनाया नहीं जा सकता है और किस डिपार्टमेंट से यह बना है, मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है। यह विधेयक जिस वक्त इस सदन से पास होकर निकलेगा सब लोग यहीं कहेंगे कि माननीय बनारसी दास जी के समय म इस तरह का विधेयक पास हो, यह बड़ा ही खेदजनक है। इसका ऊपर का हिस्सा तो बिलकुल सही है लेकिन जो नीचे दिया है कि "या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था" यह तो मालूम होता है कि कांग्रेस का जो आजकल चुनाव चल रहा है उसी के चक्कर में थे माननीय बनारसीदास जी। रात में उन्होंने कोई स्वप्न देखा और उसी के आधार पर अपने अधिकारियों से कह दिया कि ऐसा कानून बना दो क्योंकि उनके यहां तो यह भी होता है कि एक ही आदमी के हाथ के अंगूठे, पैर के अंगूठे सबका निशान बना बनाकर मेम्बर बनाये जाते हैं.... (व्यवधान) जी हां, मेरा भी तजुर्बा है थोड़े दिनों का लेकिन आप तो बहुत ही तजुबकार हैं, इसलिये इशारा ही काफी है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि जहां पर पैर के अंगूठे और अंगुलियों के तथा हाथ के अंगूठे के सबके निशान बना बनाकर लोग मेम्बर बनाते हैं वहां कहीं ऐसा न हो कि परिषद् में ऐसे ही मनमाने ढंग से आदमी इकट्ठा करके कोई चीज पास करा लें। इससे बढ़कर खतरनाक और गलत कानून कोई बनाया नहीं जा सकता। अगर कोई सही मेम्बर वहां रहे परिषद् के अन्दर और उससे कोई इर्रेगुलेरिटी हो जाय तो वह तो क्षम्य है श्रीमन्, कि परिषद् के लोगों ने ही इस कार्य को किया है, लेकिन कोई भी आउटसाइडर आ जाय जो कि उसका सदस्य न हो, वह उसमें भाग ले और वोट भी दे और उसके बाद वह चीज पास हो जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर गलत कानून हो नहीं सकता और माननीय मंत्री जी को उस अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये कि जिसने ऐसा ड्राफ्ट बनाया क्योंकि भाग लेने और मत देने का अधिकार किसी भी बाहरी आदमी को दिया जाय यह बहुत ही गलत चीज होगी। नतीजा इसका यही होगा कि मिल-मालिक अधिक से अधिक संख्या में अपने कुछ खरीदे हुए आदमियों को बुला लेंगे और जो चाहेंगे वह पास करा लेंगे, क्योंकि इस कानून के मुताबिक तो जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

सदस्य नहीं है वह भी भाग ले सकेगा और वोट भी दे सकेगा। इस तरीके पर मन चाहे ढंग पर अनर्थ वह करेंगे। अभी मैंने कहा बनारसीदास जी से कि ७ (२) में जो अभिप्राय जाहिर किया गया है कि कौन-कौन से काम में इस मद का रुपया इस्तेमाल होगा तो यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अगर यह पास हो गया तो अभी तो बराबर-बराबर का ही सवाल था। मैंने कहा था कि उद्योगपतियों को बराबर-बराबर नहीं होना चाहिये, लेबरर्स की संख्या और उनकी संख्या ३ और एक की होनी चाहिये लेकिन वह उन्होंने बराबर-बराबर ही रखा, और यह उसके ऊपर और सबसे बड़ा खतरा रख दिया कि किसी आदमी को बुलाकर परिषद् में वोट दिला दें और जो चाहे पास करा लें,। ऐसा अगर कोई कानून बन रहा है तो मैं तो समझता हूं कि अपोजीशन ऐसे मामले में पड़ेगा नहीं। मंत्री जी बहुत बड़ी पार्टी के सदस्य हैं और मंत्री भी हैं तथा लेबर की जिम्मेदारी भी है। अगर वह चाहते हैं कि ऐसा कानून पास हो तो हमें कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हम इनका ध्यान आकर्षित करने के लिये यहां हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई रद्दोबदल होने वाला नहीं है। लेकिन यह हंसी की चीज होगी। इसलिये इसका सुधार अवश्य करें।

अंतिम जो लाइन है उसमें यह दिया हुआ है कि "या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था।" तो जहां इस प्रकार का दुरुपयोग हो, वह क्षम्य नहीं है और कानन में ऐसा लूपहोल नहीं होना चाहिये, जिससे कोई अनर्थ हो सके। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और गल्तियों के निवारण की कोशिश करेंगे।

श्री बनारसीदास—

माननीय कमला सिंह जी ने धारा ५ के संबंध में बड़ी दिलचस्पी ली थी। इसमें यह लिखा है कि कोई भी सदस्य परिषद् के सदस्य के रूप में न तो नाम निर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा। यदि वह परिषद् का वैतनिक अधिकारी हो, किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया होगा, विकृत चित्त का हो या नैतिक पतन संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो। तो यह प्रिकाशन इसलिये लिया कि मान लीजिये किसी सदस्य ने मीटिंग में भाग लिया और मीटिंग से एक रोज पहले दिवालिया हो गया या पागल हो गया या सिद्ध दोष हो गया और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगा और मीटिंग के बाद में यदि यह आपत्ति की जाय कि वह धारा ५ के अन्दर डिस्क्वालीफाइड था, इसलिये इस आधार पर यह मीटिंग खारिज की जानी चाहिये और सारी प्रोसीडिंग भंग हो गई, तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण न तो आपत्ति की जायगी, न अवैध की जायगी कि कोई गलती थी, या संगठन में कोई दोष था अथवा कुछ अनियमितताएं बर्ती गई। तो माननीय कमला सिंह जी मानते हैं कि अनियमितता, दोष हो सकता है, वैकन्सी हो सकती है और वह नहीं चाहते हैं कि इस तरह की प्रोसीडिंग पर कोई आपत्ति की जा सके। तो वह कंसीडर करने के लिये तैयार हैं। इसलिये हमने सफाई कर दी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो यह उसकी मंशा है। बहरहाल जो धारा हमने रखी है, उसकी कुछ पृष्ठिभूमि हमारे सामने थी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके अन्दर कोई आशंका की बात नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

कानून की जादूगरी माननीय कमला सिंह दिखा रहे हैं और राजनीति की जादूगरी माननीय मंत्री जी दिखा रहे हैं। मान लीजिये परिषद् के सारे सदस्य मीटिंग से एक दिन पहले पागल हो गये, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसको आप कहते हैं कि वैध माना जाय। क्या मंशा है ?

श्री बनारसीदास--

वह तो हमें धारा १९ में अधिकार है कि अतिक्रमण कर देंगे । चेयरमैन हमारा होगा, लेबर कमिश्नर, चीफ एग्जीक्युटिव आफिसर होगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

मंत्री जी ने जो अभी बात कही श्रीमन्, वह और भी भूल है । इसलिये कि लेबर कमिश्नर जो होगा, वह परिषद् का वैतनिक अधिकारी होगा और परिषद् द्वारा उसको रुपया दिया जायगा ।

श्री बनारसीदास--

यह तो गलत है । परिषद् का कर्मचारी अलग होगा । हमारी मंशा इसमें यह है कि चूंकि इसमें रकम कम होगी, लेबर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको हम इसमें, जैसा आप देखेंगे उसके संगठन के बारे में, लेबर कमिश्नर चीफ एग्जीक्युटिव अफसर होगा । सरकार उसको पे देती है, और वह उस निधि का नौकर नहीं होगा, उससे कोई उसको पैसा नहीं मिलेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

मंत्री जी ने कहा कोई आदमी पागल हो जाय और उसने हिस्सा लिया हो, तो कार्यवाही अवैधानिक करार न दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनका मतलब यह है कि टेक्निकल बात है । कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी । यहां पर असेम्बली में भी गलती से कोई बात हो जाय तो वह वैधानिक रहेगी । यही बात उसमें रखना चाहते हैं ।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, खंड १२ की ओर मंत्री जी का ध्यान इसलिये आकर्षित किया था कि पागल जब तक अदालत द्वारा घोषित न कर दिया जाय तब तक पागल न माना जाय । तो कोई आदमी अगर पागल हो जाता है और अदालत द्वारा घोषित नहीं किया जाता है, इसलिये इनकी कार्यवाही नियमित समझी जाती है । इसीलिये मैं इन्हीं के इन्टरस्ट को सेफगार्ड कर रहा था, लेकिन उस समय मंत्री जी जिद पर थे । आप जरा शब्दावली को देखें "परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी ।" यानी स्थान या रिक्ति हो, तो ठीक है, "अथवा उसके संगठन में कोई दोष था" इसको भी मैं मान गया । लेकिन बाद में यह दिया गया है कि "या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति" अगर यह कहते कि कोई सदस्य तब तो मैं मान लेता इनकी बात कि उनका कदम सही है । लेकिन इसमें दिया है कि अगर बाद में यह पता चले कि "कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया, या अन्य प्रकार से भाग लिया था ।" तो व्यक्ति सदस्य के लिये नहीं आ सकता । कोई भी आउट-साइडर हो सकता है, जो सदस्य न हो । तो यहां तो परिषद् की बात हम कर रहे हैं । कार्य अथवा कार्यवाही के बारे में सेफगार्ड करना चाहते हैं । तो वह अवैधानिक न समझी जाय । सिर्फ हमारा इतना इन्टरेस्ट है । इससे तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि "कोई भी व्यक्ति" जो है, यह गलत है । जैसा मैंने कहा, सदस्य और अध्यक्ष की बात थी, तो आपके सदस्य होने के बाद अनर्हता उस पर लागू हो जायगी, लेकिन अब यहां पर मामला दूसरा हो गया । यहां 'कोई व्यक्ति' रख दिया, जिसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

मतलब यह है कि कोई भी आउटसाइडर जो चाहे, वह आवे और जैसा मैंने कहा वहां आ करके भाग लें, वोट भी दे। बाहरी आदमी जो सदस्य न हो वह आकर वोट करे, अपनी उपस्थिति दिखाये, और कार्यवाही में भाग ले और गलत कार्यवाही हो जाय, मैं समझता हूं यह बहुत ही दोषपूर्ण बात है। इसलिये अगर "व्यक्ति" के स्थान पर माननीय मंत्रीजी "सदस्य" शब्द को रख दें तो करीब-करीब ठीक हो जायगा। अगर माननीय मंत्रीजी सचिव को भी यह ठीक करने का अधिकार दे दें तो वह कमी पूरी हो जायगी। यह शाब्दिक हेर-फेर हो सकता है।

श्री बनारसीदास--

इससे मेरा मतलब सदस्य से ही है। वह इसलिये रखा गया है कि वहां ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि एक व्यक्ति मीटिंग में भाग ले और आप कह दें कि हमने संशोधन इसलिये रखा था कि पूरे बोर्ड का फैसला हो। किसी आदमी का कनविक्शन हो जाता है और उसने भाग ले लिया। तो मेरा मतलब "व्यक्ति" से "सदस्य" का ही है। अगर बाद में कोई दिक्कत भी आती है तो फिर भी संशोधन हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"२२--परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी, अथवा उसके संगठन में कोई दोष था अथवा कुछ अनियमिततायें बरती गयीं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नरसिंह नारायण का अगला संशोधन उसी प्रकार का है जैसा कि श्री कमलासिंह का रिजेक्ट हो चुका है। इसलिये वह भी गिर गया।

प्रश्न यह है कि खंड २२, २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५-२७

नियम बनाने का अधिकार

२५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और पूर्व प्रकाशन के शर्तों के अधीन रहते हुए, नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) धारा ३ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट धनराशियां जमा करने की रीति;

(ख) परिषद् में सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या और उनके नाम-निर्देशन की रीति तथा शर्तें;

(ग) परिषद् में स्वतंत्र परिषद् सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत महिला सदस्य भी हैं, संख्या;

(घ) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ते ;

(ङ) अदत्त संचय संबंधी दावों की जांच में धारा ६ में उल्लिखित प्राधिकारी के अधिकारों से संबद्ध विषय ;

(च) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप-श्रम कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें ;

(छ) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, परिषद् के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किये जाये ;

(ज) निधि का प्रबन्ध करने के लिये किये गये व्यय का भुगतान करने की प्रक्रिया ;

(झ) निरीक्षकों के कर्त्तव्य तथा अधिकार ;

(ञ) परिषद् के अधिकारों तथा कृत्यों का श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधान तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन रहते हुए, उनके द्वारा अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों का सम्पादन किया जा सके ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन रक्खे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख ;

(ठ) वार्षिक लेखा विवरण-पत्र और निधि से वित्तपोषित कार्यों के प्रतिवेदन का प्रकाशन ;

(ड) कोई अन्य विषय जिसे अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जाय ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन केसमक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों में पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

२६—(१) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है । विनियम ।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है—

(क) परिषद् के कार्य संचालन से संबद्ध प्रक्रिया ;

(ख) अदत्त संचयों के संबंध में दावे आमंत्रित करने के लिये नोटिसें प्रकाशित करने की रीति ;

(ग) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त तथा निरीक्षकों को छोड़कर, परिषद् के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा शर्तें ; और

(घ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियम द्वारा की जानी हो अथवा की जा सकती हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या ३७, १९५६ का निरसन।

२७--उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ निरस्त किया जाता है।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है--

" खंड २५ के उपखंड (३) की तृतीय पंक्ति में "सत्रों" में और "चौदह" के बीच 'कुल' के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाय--

" कम से कम"

श्रीमन्, मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी का मेम्बर हूं। जितने भी नियम होते हैं, उन सब की काफी छानबीन करने के बाद यह रिकमेंडेशन की गयी कि जितने रूल्स बनें उनको कम से कम१४ दिन तक सदन के सामने रखा जाय। सरकार ने भी इसका आश्वासन दिया था लेकिन मालूम होता है ड्राफ्ट्समैन का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया गया था। इसलिये नियम १४ दिन तक सदन के सामने रहने चाहिये। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारी डेलिगेटेड लेजिस्लेशन की जो रिकमेंडेशन हैं और जिसको सरकार ने भी माना है कि जितने भी विधेयक है उनके लिये १४ दिन रखा जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। अगर मेरे कहने का विश्वास न करते हों तो वे माननीय बृज भूषण शरण जो डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लें कि इस तरह की सिफारिश को सरकार ने माना है या नहीं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें " कुल"के स्थान पर " कम से कम" रख दिया जाय ताकि इसे माननीय सदस्य पढ़ सकें और अगर चाहें तो कोई संशोधन पेश कर सकें।

श्री बनारसीदास--

इसमें कुल १४ दिन दिया गया है। माननीय सदस्य इसका अर्थ यह लगाते हैं कि यह २ सत्रों में कुल १४ दिन रखा जायगा। जो आश्वासन सरकार ने दिया है वह अवश्य पूरा किया जायगा। शब्द " कम से कम" लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसमें संशोधन करें और फिर यह परिषद् में जाय, मेरी समझ में यह उचित नहीं है। जो भी इसके मातहत नियम बनेंगे उनमें हम १४ दिन रखेंगे। यह पुराने तरीके पर ही बना है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप (माननीय कमलासिंह यादव) वापस ले लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह कहा गया कि पुराने तरीके पर यह बनाया गया है। आपको इसे माडर्न ढंग से बनाना चाहिये और इसमें, "कम से कम" शब्द अवश्य रखने चाहिये। मैं अधिक तर्क में तो नहीं जाना चाहता हूं कि "कुल" शब्द क्यों न रखा जाय और "कम से कम" शब्द क्यों रखा जाय लेकिन इतना मैं अवश्य चाहता हूं कि जो डेलिगेटेड लैजिस्लेशन कमेटी की सिफारिश है और जिसको सरकार ने माना है, जो एक रिटिन चीज है उसको ध्यान में रखते हुए, इसे मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (३) की तृतीय पंक्ति में "सत्रों में" और "चौदह" के बीच "कुल" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"कम से कम"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २५, २६ और २७ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक,

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश, में श्रम कल्याण की प्रोन्नति करने के लिये एक निधि की स्थापना करने तथा उसे व्यवहृत करने से संबद्ध विधि को संहत तथा संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ-

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। इस विधेयक के खंड ३ में दिया है कि यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि जैसे ही गवर्नर के दस्तखत इस पर हो जांय, यह लागू हो जाय। और अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास--

यह मैं कह चुका हूं कि इसे बहुत जल्दी हम लागू कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, जसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता अगर उन्होंने श्रमिकों के हित में कार्य किया होता । शुरू से आखिर तक यह देखा गया कि जहां तक मिल मालिकों का संबंध है यह सरकार उनकी पोषक है । अगर उन पर बकाया पैसा है तो उनसे वसूल नहीं करना चाहती । दूसरी तरफ किसान पर टैक्सेशन अधिक से अधिक यह सरकार करती है । एक पैसा भी अगर लगान का बकाया रह जाता है तो डंडे के बल पर वसूल करती है और हर तरह का उसको दंड देती है ।

इस विधेयक में भी यह देखा जा रहा है कि जो रुपया श्रमिकों का है उसका मिल मालिक दुरुपयोग कर रहा है तो उसे सजा देने के लिये कोई व्यवस्था विधेयक में नहीं नहीं गयी है । इस विधेयक में शुरू से आखिर तक कोई पेनाल्टी क्लाज नहीं रखा गया कि कोई मिल मालिक अथवा कोई कर्मचारी किसी नियम का उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसे सजा दी जाय ।

परिषद् का गठन भी जिस तरह से किया गया है उसमें भी सरकार अपना पूरा हाथ रखना चाहती है और नामांकनमें पक्षपात भी इस ढंग पर किया जा रहा है कि मिल मालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी ही रखी है जितनी कि मजदूरों के प्रतिनिधियों की, जब कि निधि मजदूरों की है और उसमें मिल मालिक एक पैसा भी नहीं दे रहा है । ऐसी हालत में मिल मालिक के हाथ में उस परिषद् को छोड़ना बड़े अनर्थ की बात होगी । मैं चाहूंगा कि जिनकी वह निधि है और जिनके उपयोग के लिये वह खर्च होगी उनका प्रतिनिधित्व अधिक होना चाहिये लेकिन सरकार पूंजीपतियों के साथ पक्षपात कर रही है और श्रमिकों के साथ विश्वासघात कर रही है । पूंजीपति मजदूरों की निधि को अपनी मर्जी से खर्च करें यह भी एक चिन्ता की बात ही नहीं, बल्कि निराशा की बात है ।

मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि जो इंडिपेंडेंट मेम्बर्स होंगे उनमें श्रमिकों की अधिक से अधिक संख्या यह सरकार करेगी तो मुमकिन है कि कुछ बैलेंस हो सके कि जितने श्रमिक हैं या लेबर हैं जब उनकी तादाद अधिक होगी तो उनका इन्टेरेस्ट क्लैश नहीं करेगा । जिस काम के लिये जितना खर्च होगा वह सही ढंग से खर्च हो सकेगा और श्रमिकों का वाकई में कल्याण हो सकेगा । इसके साथ-साथ एक चीज है जिसे मैं आखिर में और कहना चाहता हूं कि व्यक्ति और परसन की जो बात है, उसको फिर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । सरकार इस विधेयक को पास कर रही है अपने बहुमत के बल पर लेकिन हम उसके पक्ष में कदापि नहीं है । हम जानते हैं कि सरकार गलत से गलत कानून भी पास करा सकती है । मैंने दिखा भी दिया है और माननीय मंत्री जी ने उसे माना है । इसलिये मेरा कहना है कि मंत्री जी अपने ड्राफ्टसमैन से भी कहें कि भविष्य में ऐसे गलत ढंग से कानून न बनायें जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बड़ी परेशानी हो रही है, किन्तु मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। म केवल इतना कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के हित में जो चीजें बहुत ही जरूरी थीं, मुझे बहुत अफसोस है मंत्री जी ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से सुधारने की कोशिश की लेकिन उन्हें मंजूर नहीं हुआ। मुझको बहुत दुःख है कि एक बात भी मेरी नहीं मानी गयी है। मैंने कहा था कि अनक्लेम्ड वेजेज का जो लेबर वेलफेयर फण्ड होगा, उसमें मिलमालिकों के प्राफिट का एक हिस्सा अवश्य रखा जाये चाहे वह एक परसेन्ट हो या दो परसेन्ट, कितना भी हो, लेकिन यह होना अवश्य चाहिये था। दुनिया के जितने भी देशों में इस प्रकार के वेलफेयर फण्ड स्थापित हैं सबमें मालिकों से प्राफिट का कुछ हिस्सा भी जरूरी रूप से लिया जाता है। लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि उसका वसूल होना मुश्किल है वह कैसे लिया जायगा? मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं करते हैं? आप कानून बना दीजिये। देखें कैसे नहीं आयेगा? जो भी मैंने विधेयक को सुधारने के लिये बात कहीं, वह नहीं मंजूर की गयी, इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, इसका विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास---

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बिल की तीसरी रीडिंग का समय था। तीसरी रीडिंग का मतलब तो यह होता है कि पहली दूसरी रीडिंग में हम जिन सिद्धान्तों को और बातों को मान चुके हैं उन पर अब कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। कमला सिंह जी काफी अच्छे वकील हैं और वह सही माने में इस बिल का विरोध करके सेवायोजकों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन वह दिखा रहे थे कि वह मजदूरों के हित में हैं और उनके लाभ के लिये वकालत कर रहे हैं, क्योंकि यदि उनकी बात मान ली जाये और इस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाये तो उन मजदूरों के हित की कोई बात नहीं होने पायेगी। जो भी किया जा रहा है उनके हित में वह समाप्त हो जायगा।

माननीय यूसुफ जी का जहां तक सवाल है, वह मजदूरों के हित में असेम्बली में और बाहर भी बहुत लम्बी चौड़ी बातें करते हैं, किन्तु वह तो मिल मालिकों के साथ बैठ कर बड़ी संजीदगी से बात करते हैं। तो वह स्वयं क्यों नहीं उन मालिकों से कहते हैं कि वह उनकी निधि में पैसा दें। उनकी बात करके मैं इस विधेयक को तो अवैध नहीं करा सकता। ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है जिसका उत्तर दिया जाय। सदन ने इसको स्वीकार किया है, लिहाजा इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा टाउन एरिया के चेयरमैन को थाने में बन्द करके पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, ...

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

इसके पहले कि इसको लिया जाय, मैं सदन को और आपको, श्रीमन्, एक सूचना देना चाहता हूं कि यह सारा मामला न्यायालय में है और उसके समक्ष यह सब तथ्य जायेंगे कि क्या हुआ,

[श्री हरगोविन्दसिंह]
कैसे घटना हुई। चेयरमैन ने भी मुकदमा दायर कर रखा है और पुलिस ने भी उसका चालान कर रखा है। तो ऐसी अवस्था में इस पर चर्चा इस भवन में होनी ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

विकल जी, क्या आप भी मानते हैं कि यह अदालत में हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल--

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी कहते हैं तो यह जानकारी ठीक है।

श्री रामचन्द्र विकल--

नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से रिपोर्ट क्या हुई ? मुकदमे में कौन से फरीक हैं और क्या मुकदमा है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जब मेरिट्स पर जायेंगे तो सबजुडिस होगा, लेकिन केवल फैक्ट्स के नैरेशन होने पर कैसे सबजुडिस हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, त्रिपाठी जी, अदालत के सामने बात जो है और जो बात यहां कही जायगी उसमें तो सब-जुडिस हो ही जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तथ्य के बारे में सबजुडिस नहीं हो सकता, उसके मेरिट्स पर जाने में हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, तथ्य में वही बातें आवेंगी जो कोर्ट में इस वक्त हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सिर्फ फैक्ट्स के नैरेशन से कैसे सबजुडिस होगा ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान लीजिये, हम पूछते हैं कि चेयरमैन साहब ने और दूसरी तरफ से भी क्या रिपोर्ट लिखाई तो क्या यह सबजुडिस होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इतना आप पूछते हैं तो नहीं होगा लेकिन उससे आपकी मंशा तो पूरी नहीं होगी, मंशा तो तभी पूरी होगी जब सभी बातें आ जावें। और उनका असर अदालत पर जरूर पड़ेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले आपके सदन में कई बार उठ चुके है और वहां अनुज्ञा हो चुकी है, प्रतिबन्ध लगाकर और इसी तरह से आप भी प्रतिबन्ध लगाकर प्रश्न करा सकते हैं। ऐसा रूल्स में मौजूद है और यह आपके स्वविवेक पर है कि आप प्रतिबन्ध लगा दें कि इससे आगे नहीं चलने देंगे लेकिन जब आपने एलाउ कर दिया है तो आप इसको चलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अलाऊ तो किया है लेकिन तब यह मालूम न था कि यह केस अदालत के सामने विचाराधीन है ।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैंने सवाल किया था कि वहां पर थाने में चेयरमैन को बुलाकर बन्द रखा गया और पीटा गया और दूसरा तथ्य यह है कि उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ? मैजिस्ट्रेट की जांच हुई तो क्या हुआ ? किस तरह से आगे केस दायर किया गया ? इस पर मैंने विवाद मांगा था कि यह सारी कार्यवाही कैसे हुई ? मुझे तो यह सब जाली मामला मालूम होता है । मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल यह था कि चेयरमैन को थाने में बुलाकर पीटा गया या नहीं । और अगर पीटा गया तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हुई, सिर्फ इतना सा सवाल है । गवर्नर साहब के सामने प्रदर्शन हुआ और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था । उनके पास हजारों आदमी गये। इस घटना से उस सारे इलाके में असन्तोष व्याप्त है । माननीय मंत्री जी जो इस तरह का जबाव दे रहे हैं उससे और असन्तोष बढ़ेगा कि पुलिस कोई और फर्जी केस बना कर इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने यह नहीं बतलाया । मैंने यह बतलाया कि चेयरमैन साहब, जिनकी बाबत विकल जी कह रहे हैं, उन्होंने खुद एक केस अदालत में दायर किया है जो इस वक्त सब जुडिस है । और पुलिस ने भी एक मुकदमा १०७ और ११७ में चलाया है । इस विषय में जो भी तथ्य हैं वे सब इस समय अदालत के सामने हैं । इस वजह से आपकी नियमावली के अनुकूल उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो चीज इस समय अदालत के जेरेगौर है वह चीज अगर सब-जुडिस नहीं है तो क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

१०७ का जो केस होगा तो जिस जगह पर अथारिटीज वहीं पर दोनों तरफ की .....

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि १०७ का मामला भी चल रहा है तो जिस मैजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है उसके जजमेंट के लिये जायेगा कि इनका दोष है या नहीं । तो इस वजह से यह सब-जुडिस है ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

जिस चेयरमैन के विषय में कहते हैं कि पुलिस ने मारा तो उन्होंने भी केस दायर कर दिया पुलिस ने भी ११७ का केस चलाया है । चेयरमैन ने भी एक इस्तगासा २१, २२ आदमियों के विरुद्ध दायर किया है जो जेरे तजवीज है ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जहां तक १०७, ११० का सवाल है, ये ऐसे केसेज है जिनमें इन्क्वायरी होती है । जुडीशल इन्क्वायरी नहीं होती । जिस इस्तगासे की बात कही जाती है, अगर उस इस्तगासे के खिलाफ कोई चीज होती है, कोई मारपीट की जाती है, आइ० पी० सी० के आफेन्स की बात होती है तो उसमें जुडिशल इन्क्वायरी होती है । मजिस्ट्रेट जो जजमेंट देता है वह जुडिशल जजमेंट होता है लेकिन इन्क्वारी जो होती है वह १०७, १०९ और ११० में होती है । यह कोई ऐसी

[श्री कमलासिंह यादव]

बात नहीं है जिसको रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि बलदेव सिंह जी एम० एल० ए० मारे पीटे गये थे गोंडा में और केस भी अदालत में पैंडिंग था तो उस समय में अधिष्ठाता की कुर्सी पर था तो उस समय जब प्रश्न उठा तो मैंने इसको अलाउ किया था। अलीजहीर साहब और बनारसीदास जी जबाव दे रहे थे। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्लाइंट एट इशु जो कोर्ट में होता है उसको टच नहीं करते हैं। यह इन्क्वायरी की बात है इसको आप अलाउ कर दें। उस प्वाइन्ट एट इशु को टच नहीं किया जायगा। इसे आप अलाउ कर दें तो बेहतर होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा सुन लीजिये। एक कंप्लेन्ट तो म्युनिसिपल चेयरमैन की है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

वह तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया है, आप उनकी पैरवी न कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी की पैरवी नहीं करता। मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो सदन की नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदन में ऐसे केस पर वादविवाद नहीं होगा.... (व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

यह कौन सी व्यवस्था है? मैं भी तो व्यवस्था का प्रश्न उठाये हुये था।

श्री कृष्णानन्द राय--

इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह तो व्यवस्था का प्रश्न है। जो बात नियमावली के विरुद्ध हो उसके लिये व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। गृह मंत्री जी की बात से स्पष्ट हो गया है कि इस विषय में दो क्रास केस चल रहे हैं। एक चेयरमैन ने दायर किया है पुलिस पर और पुलिस ने भी उन पर केस दायर किया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

पुलिस पर नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय--

है। यह कठिनाई है कि आदरणीय सदस्य असली घटना सुनना नहीं चाहते। यह बात सदन के सम्मुख स्पष्ट हो गयी है कि चेयरमैन ने पुलिस के विरुद्ध इस्तगासा दाखिल कर दिया है और पुलिस ने एक केस उनके खिलाफ दायर कर दिया है। तो जैसे ही सदन को पता चल जाता है कि दोनों पार्टियों के विरुद्ध केस दाखिल है, उस विषय पर सदन में वादविवाद नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गृह मंत्री जी तथा सदस्यों को अपने वक्तव्य देने होंगे और जब केस सबजुडिस है तो उस पर उनका असर पड़ेगा, इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस मामले को खत्म कर दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मेरा निवेदन है कि यह सवाल २२ अप्रैल, १९६५ का है

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

व्यवस्था के प्रश्न पर आप को रूलिंग देनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मुझे पूरी तरह याद है कि २२ अप्रैल को यह केस अदालत में नहीं था। उस दिन गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि यह अदालत में नहीं है। उस समय वि.ल जी ने आपके कार्यालय में नोटिस दिया इस पर विवाद के लिये और वह कब दिया और वह कब स्वीकार हुआ ? (व्यवधान) अगर आप हल्ला मचावेंगे तो हम भी हल्ला मचा सकते हैं। नियम की बात आपको करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी, आप बोलिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं जानना चाहता हूं कि जब यह २२ अप्रैल को सबजुडिस नहीं था, फिर बहस के लिये नोटिस दिया गया, आपने गृह मंत्री जी को नोटिस दिया, उस वक्त सबजुडिस नहीं था, जब यह एजेन्डा छपा, कल अथवा परसों तब सबजुडिस नहीं था तो यह कब सबजुडिस हो गया ? इसमें धोखा-धड़ी की बात है। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि किस तारीख को....

श्री बैजनाथसिंह—

इन्होंने 'धोखा-धड़ी' शब्द का प्रयोग किया है जो संसदीय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

जी नहीं। मैं कहता हूं कि 'धोखाधड़ी' असंसदीय नहीं है। मैं बिलकुल ठीक कहता हूं। गृह मंत्री को स्पष्ट कहना चाहिये कि किस तारीख को यह अदालत में केस आया ?

दूसरी बात, क्या इस्तगासा पड़ा है उस पर बहस नहीं है। बहस इस बात पर है कि पुलिस ने जो चेयरमैन को मारा उस पर बहस है। केस २२ तारीख को नहीं गया है और आज सवेरे तक नहीं गया है और इस वक्त माननीय मंत्री जी की नजर में गया हुआ है। मैं समझता हूं कि आज बहस हो सकती है और चूंकि सदन ने उस प्रश्न को स्वीकार किया, इसलिये बहस हो सकती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अभी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि कोर्ट्स में केसेज चल रहे हैं। आप वकील रह चुके हैं। एक तो उधर का आरोप है कि एक घटना घटित हुई। माननीय मंत्री जी ने इन्कार किया कि ऐसी घटना घटित नहीं हुई। यह मुमकिन है कि दोनों ने केस दायर किया हो। जहां तक १०७–११७ का संबंध है, वह कोर्ट सब्सटेंटिव आफेंस में नहीं है। इस्तगासा इंडियन पीनल कोड में है, वह दूसरे तथ्यों पर है। दोनों तथ्य भी अलग हो गये। मिनिस्टर महोदय उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करते तो कोर्ट केसेज कैसे हुए ? इसलिये आप उन तथ्यों का वर्णन कर लेने दें। हम कोई सवाल नहीं करेंगे। वह तो फैक्ट डिनाई करते हैं तो उनके हिसाब से कैसे विवाद में आयेगा ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि नियम ५० एक विशेष प्रकार की अपनी प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम विषय को उठाते हैं और संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। उसमें दिया हुआ है कि सदन के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होगा। दरअस्ल उसमें सदन के सामने तथ्य रखे जायेंगे, जैसे कि प्रश्नों के रूप में रखे जाते हैं। माननीय सदस्य जो उनके अपने महत्वपर्ण सुझाव है वह संक्षेप में रखेंगे और माननीय मंत्री जी रखेंगे।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

फिर प्रश्न पूछने पर तथ्य सामने आयेंगे। तो यह आज तक हमेशा चलता रहा है। सदन में चर्चा होना दूसरी बात है, लेकिन तथ्यों के बारे में हमेशा मुकदमा चलेगा, फिर भी यहां प्रश्न पूछे जायंगे, उनको कभी मिलाया नहीं गया है। इसलिए लोक महत्व के अन्तर्गत जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन पर अनुपूरक प्रश्नों की सफाई के लिये यह नियम बना है। न यह कोई प्रस्ताव है, न चर्चा का विषय है। केवल सत्य है और सत्य मंत्री जी बता देंगे। कोर्ट इंटरफियरेंस की कोई बात नहीं है। सवाल आप रिजर्व कर दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, १५ मिनट तो चर्चा हो ही गयी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें, तब व्यवस्था दें। माननीय कृष्णानन्द ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह ठीक है, लेकिन उस नियम का वह दुरुपयोग करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि उस मामले के औचित्य पर कोई विवाद करें। उस नियम के द्वारा इतना ही वर्जित है। लेकिन नियम ५० के अन्दर जब आपने इसे स्वीकार किया है तो हम सूचना ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी के पास जो सूचना है वह दे सकते हैं कि उस पर मामले में क्या रिपोर्ट है, दूसरे में क्या रिपोर्ट है, कहां तक कार्यवाही हुई है। मामले से संबंधित जो प्रश्न हो उसके बारे में वह उत्तर दे सकते हैं। तो सूचना देने में क्या कठिनाई है?

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हम पर इतना नियंत्रण रखें कि उसके औचित्य पर हम विवाद न करें, लेकिन सूचना लेने का हमें हक है, नियम में वह वर्जित नहीं है। इसलिये मेरी राय में आप हमको सूचना दिलवायें, प्रश्नों के द्वारा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

प्रश्न इस वक्त यह है कि जो जवाब उस दिन दिया गया था वह सही था या नहीं? हम इस पर बहस करना चाहते हैं। मुकदमे से हमें कोई वास्ता नहीं.... (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

आप व्यवस्था दीजिये, नहीं तो समय निकल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

"सबजूडिस" के मानी यह हैं कि मामला अदालत के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह--

हम केस पर बहस नहीं करना चाहते....

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, जल्दबाजी में व्यवस्था न दें। माननीय गृह मंत्री सदन में न रहें, तब कल व्यवस्था दे दें, उनको देख कर आप उलझन में पड़ जाते हैं.... (व्यवधान) उनके रहते हुये आपको संकोच हो रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात कहना गलत है। हम लोग सद्भावना कायम रखना चाहते हैं।

श्री बैजनाथसिंह--

इन शब्दों को निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस दिन प्रश्न पूछा गया था उस दिन यह नहीं कहा गया था मामला सबजूडिस है। इसलिये प्रश्न वगैरह पूछे गये थे। आज स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जो चेयरमैन है उन्होंने एक इस्तगासा दायर किया है। जब इस्तगासा दायर हो गया तो यह मामला सबजूडिस हो गया। (व्यवधान) आप लोग सुनिये मेरी बात को, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आपको नही बोलना चाहिये और सुनना चाहिये।

एक शंका यह उठायी गई कि माननीय गृह मंत्री वैसे ही कह रहे हैं। अब अगर गृह मंत्री पर भी विश्वास न हो तो आप किस पर विश्वास करेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

इस्तगासा सुनावें कि क्या तथ्य हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है जितनी कार्यवाही है वह सब-जुडिस है। कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। इस विषय में नियम ५० की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
२९ अप्रैल, १९६५।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६४ पर]

तालिका

देवरिया उत्तर क्षेत्र की चीनी मिलों के सीजन १९६४–६५ में गन्ने की पेराई आदि की अप्रैल १५, १९६५ की स्थिति ।

क्रम-संख्या	चीनी मिल	सीजन के आरम्भ में गन्ना जो मिल को आफर किया गया (लाख क्विंटल में)	दिनांक १५ अप्रैल, १९६५ तक कुल पेराई की गई मात्रा (लाख क्विंटल में)	१५ अप्रैल, के बाद पेराई हेतु उपलब्ध गन्ने की अनुमानित मात्रा (लाख क्विंटल में)	चीनी मिल की दैनिक पेराई की औसत क्षमता (क्विंटल में)
१	२	३	४	५	६
१	छितौनी	१४.९३	११.०८	२.६०	७,०००
२	खड्डा	९.८९	८.८८	२.३५	५,०००
३	कप्तानगंज	१८.१९	१७.५४	०.८०	१०,०००
४	लक्ष्मीगंज	१०.८२	११.२१	२.४०	७,०००
५	रामकोला (प०)	२४.६३	२३.७५	५.४०	१६,०००
६	रामकोला (खे०)	१०.०८	१०.९२	१.८०	६,९००
७	पडरौना	२४.६३	१५.८७	३.०५	१०,०००
८	कठकुंइया	१४.९३	११.२५	२.१०	७,०००
९	सेवरही	२१.८३	१७.५९	२.७०	१०,५००

पेराई समाप्त करके बन्द करने की अनुमानित तिथि	डाइवर्ट किए गए गन्ने का विवरण			
	गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल में)	किस तारीख	किस मिल को	किस मिल से
७	८	९	१०	११
मई के तीसरे सप्ताह में	०.७५	७–४–६५	रामकोला (प०)	छितौनी मिल से
मई के चौथे सप्ताह में	२.६०	२१–११–६४	तदैव	खड्डा मिल से
अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ।	०.७५	१५–३–६५	तदैव	पडरौना मिल से
मई के तीसरे सप्ताह में	०.९४	२०–३–६५	लक्ष्मीगंज	खड्डा से
तदैव	०.३७	१४–४–६५	कप्तानगंज	तदैव
तदैव	०.७५	२८–३–६५	रामकोला (खे०)	पडरौना से
तदैव	०.०९	..	सरदारनगर	तदैव
तदैव	०.०७	..	देवरिया मिल	सेवरही से
मई के दूसरे सप्ताह में	०.११	..	बेतालपुर	तदैव

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६७ पर]

घटना का विवरण

दिनांक १४ मार्च, १९६५ को चेक पोस्ट आफिसर, गौरीफांटा को एक नेपाली गौरीफांटा के जंगली क्षेत्र में निरुद्देश्य घूमता हुआ दिखाई पड़ा। पूछतांछ से चेक पोस्ट आफिसर को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम गोपाल बहादुर है किन्तु उसका व्यवहार कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। अतः उस पर नजर रखी गई और दिनांक १८ मार्च, १९६५ को आगे पूछतांछ के लिए थाना पलिया लाया गया। वहां पर यह मालूम हुआ कि गोपाल बहादुर एक जर्मन नागरिक, श्री के० एल० हाकी का रसोइया था। इसी बीच नेपाल से एक खोज पार्टी गोपाल बहादुर को ढूंढने थाना पलिया आई जिसके मुखिया मोहनद राम, सेक्सन आफिसर नेपाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन थे। उन्होंने थाना धनगढ़ी में दिनांक १४ मार्च, १९६५ को दर्ज एक रिपोर्ट की प्रति दाखिल की जिसमें गोपाल बहादुर के खो जाने और श्री के०एल० हाकी का रसोइया होने का उल्लेख था। खोज पार्टी से यह मालूम हुआ कि गोपाल बहादुर श्री हाकी और उनकी सर्वे पार्टी के साथ १३ मार्च, १९६५ को काठमाडूं से धनगढ़ी आया था। यह पार्टी प्लाई वुड फैक्ट्री की स्थापना के लिए सर्वे करने आई थी। उनसे यह भी पता चला कि गोपाल बहादुर का दिमाग खराब है। गोपाल बहादुर की डाक्टरी जांच भी करायी गई जिससे उसका दिमाग खराब होने की पुष्टि हुई।

गोपाल बहादुर के पास से एक कुतुबनुमा, एक हेडलाइट, एक नेपाल का नक्शा तथा कुछ अन्य वस्तुयें पाई गईं। इनमें से कुतुबनुमा और हेडलाइट खराब हालत में थे। कुतुबनुमा व नक्शे को सर्वे पार्टी ने, जिसके साथ गोपाल बहादुर आया था, फेंक देने के लिए रख छोड़ा था। नेपाल का नक्शा बहुत पुराना और छोटे पैमाने पर था जैसा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अतः इन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं समझा गया। अन्य वस्तुयें भी महत्वपूर्ण नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि गोपाल बहादुर ने उन्हें अपनी विक्षिप्त अवस्था में बटोर लिया था।

चूंकि गोपाल बहादुर के दिमाग खराब होने की पुष्टि डाक्टरी जांच से हो चुकी थी और उसके पास पायी गई वस्तुयें कोई महत्वपूर्ण नहीं थीं अतएव उसे खोज पार्टी के साथ नेपाल जाने दिया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७० पर)

थाना जरीफ नगर, बदायूं में सन् १९६४ व ६५ में हुई डकैती, कत्ल, चोरी व जुआ की घटनाओं का विवरण पत्र ।

वर्ष	डकैती	कत्ल	चोरी	पकड़े गए जुवे की संख्या व धन जो बरामद हुआ
१९६४ ..	३	१	३३	२ क्रमशः २८.३५ पैसे व २७.८० पैसे ।
१९६५ (१४ मार्च, १९६५ तक)	..	..	..	३ क्रमशः १३.९० पैसे ६४.१० पैसे एवं ८२.३५ पैसे ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८१ पर)

जिलेवार प्रार्थना-पत्रों की सूची

मेरठ डिवीजन—	
देहरादून	२८
सहारनपुर	४८
मेरठ	७८
बुलन्दशहर	२७
मुजफ्फरनगर	३८
आगरा डिवीजन—	
अलीगढ़	५६
मथुरा	२७
आगरा	५७
मैनपुरी	१४
एटा	१०
रुहेलखंड डिवीजन—	
बरेली	३९
बिजनौर	१८
बदायूं	२८
मुरादाबाद	५५
रामपुर	२८
शाहजहांपुर	१०
पीलीभीत	११
इलाहाबाद डिवीजन—	
फर्रुखाबाद	२७
इटावा	१२
कानपुर	८७
फतेहपुर	८
इलाहाबाद	९२
झांसी डिवीजन—	
झांसी	१३
जालौन	१४
हमीरपुर	१
बांदा	८
वाराणसी डिवीजन—	
वाराणसी	७५
मिर्जापुर	२०
जौनपुर	३३
गाजीपुर	२८
बलिया	१५

संसद्यात संग्रहालय पुस्तकालय

गोरखपुर डिवीजन—	
गोरखपुर	३६
देवरिया	२७
बस्ती	१८
आजमगढ़	२३
कुमाऊं डिवीजन—	
नैनीताल	२३
अल्मोड़ा	२४
गढ़वाल	७
टेहरी गढ़वाल	६
उत्तराखंड डिवीजन—	
पिथौरागढ़	४
चमौली	१३
उत्तरकाशी	९
लखनऊ डिवीजन—	
लखनऊ	२२६
उन्नाव	२०
रायबरेली	१३
सीतापुर	२५
हरदोई	१८
खीरी	१२
फैजाबाद डिवीजन—	
फैजाबाद	२६
गोंडा	१२
बहराइच	१५
सुल्तानपुर	१८
प्रतापगढ़	१४
बाराबंकी	१३
योग ..	१,६०७

इन १६०७ प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त २१० प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुए थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० ७, तारीख २०–१२–६४, समय १५ बजे, चौकी जौलजीवी।

श्रीमान् सी० पी० ओ०, साहब, इन्चार्ज चौकी जौलजीवी, श्रीमान् जी निवेदन है कि मैं दिनांक १८–१२–६४ को डाक जरूरी लेकर पुलिस आफिस पिथौरागढ़ गया था आज तारीख २०–१२–६४ वक्त करीब २ बजे दिन पिठौरागढ़ से बबजह रुकने गेट के अस्कोट से पैदल चल कर अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरे मकान के किवाड़े खुले हुये हैं और अन्दर जाकर देखा कि गृहस्थी का सामान तितर बितर पड़ा मिला। मैंने अपनी पत्नी शकुन्तलादेवी को घर में नहीं पाया पास पड़ोस में पूछा तो किसी ने संतोषजनक बात नहीं बताई। इसके बाद मुझे खयाल हुआ कि शायद टट्टी गई हो जिधर वो टट्टी जाया करती थी तलाश किया नहीं मिली। मैं पूछताछ करने मोटर स्टैंड पर पहुंचा तो कानि० १०६ स० पी० हीरालाल मिश्रा को ये किस्सा सुनाया उसने मेरी पत्नी शकुन्तला देवी की हाथ की लिखी तहरीर जिसकी नकल नीचे दर्ज है देते हुए बताया कि ये तहरीर मुझे तुम्हारी पत्नी ने तारीख १९–१२–६४ को देते हुए कहा था कि इसको अपनी चौकी पर मत देना जब मेरे पति आयेंगे तब देना। नकल तहरीर––श्रीमान् दरोगा जी चौकी जौलजीवी निवेदन है कि प्रार्थी के पति सरकारी काम से पिठौरागढ़ गये हैं जो कि अभी तक वापस नहीं आये आज तारीख १९–१२–६४ समय ७ बजे के करीब प्रधान जिनका नाम मैं नहीं जानती हूं व मास्टर जिनका नाम मैं नहीं जानती हूं जौलजीवी के बासिन्दा हैं ये दोनों आकर प्रार्थी के घर पर प्रार्थी को बुरी-बुरी गालियां दीं। और परेशान करने लगे मारपीट व धमकी नाक काटने की देने लगे प्रार्थी निकल कर टट्टी चली गई ये दोनों व्यक्ति अमीन के घर पर दोनों मौजूद थे वापस आई तब दरवाजा खुला था ये दोनों व्यक्ति वहीं थे देखा १०५ रु० के नोट जिसमें एक सौ का था एक पांच का था सिरहाने से गायब थे डन्डा व करौली भी गायब थी। तहरीर लिखकर दे रही हूं उचित कार्यवाही की जाय और मेरे पति के आने तक जान व माल की रक्षा की जाय। शकुन्तला देवी तारीख १९–१२–६४। असल तहरीर मेरे पास है जो सही मेरी पत्नी की राइटिंग है मेरी भुवनचन्द, अध्यापक प्राइमरी स्कूल जौलजीवी से रंजिस उसकी औरतों की बोलचाल मेरे पत्नी से चली आ रही है। इनके मेलीयान ग्राम सेवक जिनको पन्त कहते हैं वह मवेशी डाक्टर शेरसिंह जौलजीवी है। हो सकता है कि मास्टर साहब व उनके मेलायान में मेरी अदम मौजूदगी में मेरी पत्नी को मार दिया या गायब कर दिया हो और मेरे सिरहाने में रखे रुपये व सामान ले गये हों। इन्हीं की वजह से मैंने अपना मकान पहले वाला आज करीब पांच छः महीने हुए बदल दिया था जो इनके मकान के सामने था मेरी रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात कर दी जावे। प्रार्थी कानि० जुगुलकिशोर अवस्थी ८० सी० पी० पुलिस चौकी, जौलजीवी। २०–१२–६४।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८३ पर)

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति

हमार नाव लालती बाप का नाव सुरेन्द्र राव क्षत्री हवे । हमार छपरा शहर में घर बाय । हमार महतारी बाप जब हम चार साल के रहली छोड़ कर मर गइलन तब से हम अपनी चाची-चाचा के पास रहे लगली हमके चाचा व चाची लोग बहुत लकलीफ देवे लगले । एक बामन जवन छपरा शहर में ब्लाक में काम करत रहल । हमरा घर आवत जात रहले व आपन घर गोरखपुर बतावत रहले । हमको वहका फुसला के विवाह करे के बहाने हमरे घर से परसों सांझ के भगा के लिया अइलन । तमकुही में दस रुपया व हमार अन्टी लेके सामान खरीदे के बहाने गइलन । उ लवट के ना अइलन जब देर भइल न आइलन तब हम फाजिल नगर तक पैदल अइली । फाजिल नगर से फिर कसया रिक्शा पर बइठके अइली । वही रिक्शा पर एक आदमी और बैठल जवन हमके अपने घर लिया गइल । बतवलस की हम कसयां ब्लाक में काम करीला । रात के हमके अपने वहां रखले फिर सबेरे हमके घर से हटाकर बस स्टेशन पर कइके अपने चल गइलें । हम थाना पूंछत आइली है । हमार रपट लिखकर हमरे घरे भिजवा दिहल जाय । जबन लिखवली तबन लिखल गइल पढ़ेके सुनावल गइल ठीक बाय । निशाना अंगूठा बनवली । निशान अंगूठा कुमारी लालती लेखक बशिष्ट सिंह हे० का० थाना कसया ता० ३-२-६५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८४ पर)

संयुक्त जांच समिति द्वारा देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर के विकास के लिए संस्तुत धनराशियां।

(लाख रु० में)

वर्ष		देवरिया	आजमगढ़	जौनपुर	गाजीपुर
१९६३–६४	..	२७५.०३२	१४४.८०८	११८.०९७	१६५.८१२
१९६४–६५	..	३९३.४३६	२३१.२४१	१८२.७९६	२४९.३९७
१९६५–६६	..	६०७.५३३	२७२.४५१	२०३.७५४	३११.६८२
चौथी पंचवर्षीय योजना	..	२३६९.८९८	२०२६.९४४	१४३.५२४	१६३६.९८४

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९४ पर)

जिला का नाम			धन	सीमा (ग्रामों)
देहरादून	..	..	९,२२,०१७.९३	४९०६.७७७
सहारनपुर	..	..	१९,९०,२४९.९३	२३२७.९००
मुजफ्फरनगर	..	..	२६,६८,७५६.७७	२५४७.३५०
मेरठ	..	..	३०,८६,५८०.०३	१३३८५.५७२
बुलन्दशहर	..	..	१९,३६,८३०.७३	२४०१.६६४
अलीगढ़	..	..	१३,८२,२५९.३३	९४०.४०५
मथुरा	..	..	६,५८,७४३.७२	३९३.६२५
आगरा	..	..	१४,३७,११२.८९	२३१५.०००
मैनपुरी	..	..	३,९२,४८७.९८	३५५.८२०
एटा	..	..	७,४०,८९५.६०	३४९.६९०
बरेली	..	..	१८,५१,२३९.९४	१०६८.०००
बिजनौर	..	..	१४,६९,३८९.२०	११०२.८५०
बदायूं	..	..	१६,०२,०५०.७६	१६६३.६९०
मुरादाबाद	..	..	२२,८८,९११.२९	१९०४.१००
रामपुर	..	..	७,५४,९५८.६३	१३९.५००
शाहजहांपुर	..	..	१७,९३,७५५.९७	५६८.४००
पीलीभीत	..	..	६,२२,८३८.३७	१२७६.१३५
फर्रूखाबाद	..	..	११,८५,१२६.७९	६४२.७७०
इटावा	..	..	७,५१,७०९.६४	१८३७.२९०
कानपुर	..	..	५१,९३,९०९.६१	२८१४.०००
फतेहपुर	..	..	४,२२,३४०.४६	४४१.११०
इलाहाबाद	..	..	२४,५१,४६०.३२	६३७६.६५३
झांसी	..	..	९,७५,७८३.९१	२६०५.२५०
जालौन	..	..	४,४६,९७२.७५	९८२.५१४
हमीरपुर	..	..	५,३१,५५२.११	३९१२.६००
बांदा	..	..	७,२१,७१०.३५	७३२.२५०
वाराणसी	..	..	१३,२६,९०६.७६	२२१६.०००
मिर्जापुर	..	..	१७,०६,२३१.२४	१६४७.८७३
जौनपुर	..	..	७,४८,७६६.५६	५१०.९०४
गाजीपुर	..	..	५,८८,८६८.९८	९०४.५००

जिला का नाम			धन	सीमा (ग्राम)
बलिया	..	..	४,८७,४८७.३२	८८५.४८०
गोरखपुर	..	..	२५,३६,५४७.७५	१४७०.०००
देवरिया	..	..	१४,६२,१७७.८४	७६००९.५००
बस्ती	..	..	११,२१,३०९.६९	१०१२.३५५
आजमगढ़	..	..	१५,५६,४५९.४०	१६८१.०२५
नैनीताल	..	..	५,५५,९९०.७२	३४३.३६५
अल्मोड़ा	..	..	३,७२,४८२.९०	१४४३.७७०
गढ़वाल	..	..	५,५४,४९०.५२	६२७.०९८
टिहरी–गढ़वाल	..	..	२,२३,५३५.२४	१०००.५००
लखनऊ	..	..	७७,१४,५८१.१८	५२४१.८१६
उन्नाव	..	..	२,५२,०५९.००	६११.७००
राय बरेली	..	..	४,३२,४२२.५७	४९१.११०
सीतापुर	..	..	६,८०,८९२.७७	११४८.८०१
हरदोई	..	..	८,८४,७८०.३२	२६५.३२५
खीरी	..	..	९,४६,९८२.३३	८५७.४००
फैजाबाद	..	..	१०,९७,२८६.४८	४६३२.०००
गोंडा	..	..	९,३७,६०९.९७	२४१.०००
बहराइच	..	..	८,६१,३५५.७१	२९१.०५०
सुल्तानपुर	..	..	५,४३,६४९.५२	२३४.०००
प्रतापगढ़	..	..	५,२५,५४५.८६	२९३.६००
बाराबंकी	..	..	६,२८,८१५.५२	१५२.२००
पिथौरागढ़	..	..	२,५८,३५०.४०	११६८.१९२
चमोली	..	..	१,५४,०८८.५९	३६०.०००
उत्तरकाशी	..	..	१,५४,३१९.३५	७६०.०००
	योग	..	६,८३,९३,४४३.९३	१,६८,३२१.३७९
दूसरे खातों का गलत जमा होने से वापस किया गया			३,४४०.६७	ग्राम
	कुल	..	६,८३,९०,००३.२६	

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

घटना का विवरण

यह कहा जाता है कि दिनांक ५ मार्च सन् १९६५ को दिन में प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्य मार्ग के किनारे चार पहियों की ठेलियों पर घूम फिर कर सामान बेचनेवालों की ठेलियों से कुछ सामान लूट लिया। इसके उपरान्त आगे बढ़ने पर डी० आई० जी० कानपुर रेन्ज की स्टाफकार पर ईंट पत्थर मारे जिससे कि बैठे हुये कर्मचारियों को साधारण चोटें आईं और मोटर के सामने का शीशा तोड़ कर क्षति पहुंचाई। इस संबंध में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह और रायमान सिंह नामी २ छात्र गिरफ्तार किये गये।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९९ पर)

तालिका

—	पेराई की क्षमता	चीनी उत्पादन पर प्रति मैट्रिक टन व्यय
	टन गन्ना प्रतिदिन	रु०
(१) बाजपुर सहकारी चीनी मिल बाजपुर, जिला नैनीताल ।	१,२००	१०९७.५०
(२) बागपत सहकारी चीनी मिल बागपत, जिला मेरठ ।	१,२००	१३००.४८
(३) किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी सरसावा, जिला सहारनपुर ।	८००	१००७.००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे ९०० पृष्ठ पर)

वाराणसी जिले में जिन व्यक्तियों को सन् १९६४ में लघु उद्योगों के लिए ऋण वितरित किया गया उसका विवरण।

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	ऋण राशि
		रु०
१	श्री अमर नाथ, जे० १२/१५ एल–१, बोलिदा बाग, वाराणसी	५,०००
२	श्री अब्बुल रसीद अंसारी, स/श्री टारजेट एन्ड० कं०, लक्ष्मीनिवास	१५,०००
३	श्री गिरजाशंकर खन्देलवाल, स/श्री खन्देलवाल इंजीनि०, ३२/५१ भैरोनाथ।	५,०००
४	सर्वश्री लाइकला स० समिति लि० मंगारी, बड़ागांव ..	२,०००
५	श्री सत्य नारायण प्रसाद, सिकन्दरपुर	१,०००
६	श्री बिहारी लाल, जे० २८/११०, आगागंज	३,५००
७	श्रीमती लील शाही, ५२/५३, डिठौहरी महाल	५,०००
८	श्री पदम प्रकाश शर्मा, इन्डस्ट्रियल स्टेट	५,०००
९	श्री हरिहरनाथ श्रीवास्तव, आनन्दनगर	७,०००
१०	श्री रामनाथ मिश्रा, ग्राम—औराई	३,०००
११	श्री बांके विहारी लाल, बी० २/२२५, मदेंवीं	२,०००
१२	श्री गनेश प्रसाद, सी० के०–७/३१, सिद्धेश्वरी	१,०००
१३	श्री विजय कुमार जेतली, ए–२/२७/, कामेश्वर महादेव ..	५,०००
१४	श्री रामनरायन प्रसाद वेदरत्न, गौरी औषधालय, शिवपुर ..	८,०००
१५	श्री गंगा प्रसाद गुप्ता, के० ५७/१९, भवापुरा ..	२,०००
१६	सर्वश्री मोगल सराय उ० स० स० लि०, मूगलसरांय ..	९,०००
१७	श्री अम्बिका प्रसाद, सरांय शेवलाल, बड़ागांव	९,०००
१८	मे० सरांय गोवर्धन उ० प्र० समिति लि० सरांयगोवर्धन ..	९,०००
१९	श्री पन्ना लाल, महगांव	१,४००
२०	श्री अमूल्यकुमार भट्टाचार्य, बी० –५/३९, अवधमर्या ..	२,०००
२१	श्रीमती सुमित्रा देवी, ग्राम–करथना	२,०००
२२	श्री कलकत्ती राम, ग्राम करथना	२,०००
२३	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, के० ११८, दारानगर	८,०००
२४	श्री विश्वनाथ पांडेय, बी–१/९७, बस्ती	८,०००
२५	श्री बैकुन्ठ नाथ खन्डेलवाल, १५/१६, मानमन्दिर ..	८,०००
२६	श्री मंहतूराम, ग्राम–सरकरी, काशी विद्यापीठ ..	२,०००
२७	श्री अब्दुल रहीम, के० ५०/४२, इनकाक टोला	६,०००
२८	श्री लल्लन सिंह, ग्राम–रमदत्तपुर	२,०००
२९	श्री राम चन्द्र उपाध्याय बी–२/१०६, मदैनी	८,०००
३०	श्री रामाकान्त खन्डेलवाल, डी०–१५/१६—मानमन्दिर ..	८,०००
३१	श्री दयाशंकर मिश्र, लारजरस कोठी	८,०००
३२	श्री रास विहारी अग्रवाल, के० ३१/२७–कामेरी ..	२,०००
३३	श्री शीलभद्र शाह, नरायन पार्क, शिवपुर	६,०००
३४	श्रीमती राजदेई, डी–३८/८४, हौज कटारा	८,६००
३५	श्री दिलवर अली, बी–३/१९९, शिवाला	१,५००
३६	श्री मेवालाल, गनेशमेटल शिपुर बाजार	४,५००
३७	श्री दीपचन्द प्रसाद, ग्राम राजातालाब	४,७००

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	ऋण राशि
३८	श्री महंगूराम, ग्राम–महेशपुर	६,०००
३९	श्री शीतलासिंह, ग्राम–खालिसपुर	३,०००
४०	श्री मोहन लाल मिश्र, के–११/६, जतनवर	५,०००
४१	श्री फजलहुसैन, सी०–के, ४५/१५, नया चौक	१,८००
४२	श्री रामदास सिंह, जे० २४/२५, रब्बा जापुरा	५,०००
४३	श्री पारसनाथ पांडेय, ग्राम जफराबाद	५,०००
४४	श्री अरविन्द कुमार, बनर्जी–डी० ३५/२७९–जगंमदारी ..	२,०००
४५	श्री सत्य नारायणसिंह, के० ५७/४१, नवापुरा ..	५,०००
४६	श्री नरायन जी ठाकर के० ६२/१२ सप्तसागर ..	४,५००
४७	श्री जंग बहादुर सिंह, जे० ११/६५, नई बस्ती ..	२,०००
४८	श्री मोती चन्द, के० ६२/२१६ सप्तसागर	४,०००
४९	श्री दूधनाथ, सी ७२६/२१, आसगंज	७००
५०	श्री सुमेरनाथ विश्वकर्मा, प्रेमाशयपुर	२,५००
५१	श्रीमती अमीना बेगम, कल्याणपुर	१,०००
५२	श्री बेचनराम, मफिलेपुर	२,५००
५३	श्री राजमन विश्वकर्मा, कपसेठी	२,०००
५४	श्री रामेश्वर प्रसाद, करवगा	३,०००
५५	श्री राम अधार तिवारी, ग्राम खराघन	२,०००
५६	श्री उमेदी लाल, के० १/९ ए, श्यामसुन्दर रसायनशाला, गायघाट	५,०००
५७	श्री त्रिलोकी नाथ कपूर, सी के–५७/६६, रेशमकटरा ..	६,०००
५८	श्री बहादुर राम हरिजन, एस० १४/२५३, अकराकुल ..	४००
५९	श्री राज नरायन मिस्त्री, एस–१०/१५१, शुकलगंज ..	२,०००
६०	श्री गनेश प्रसाद, के० ५६/६४ ए, बासानगंज	२,०००
६१	श्री राम चन्दर राम, महासर	२,५००
६२	श्री रघुनाथ प्रसाद, तारनपुर	७००
६३	श्री जोखूदास, तारनपुर	२,०००
६४	श्री राम हसन, तारनपुर	१,०००
६५	श्री अब्दुल रहमान, सी० के०–४८/७२, सरायहड़हा ..	२,०००
६६	श्री दसन्त लाल शर्मा, मलोखर	२,५००
६७	श्री दूधनाथ शुकला, खमरिया	१,०००
६८	श्री श्याम नरायन, डी० ३८/८४, हौजकटोरा ..	६,०००
६९	श्री कन्हैयालाल, ग्राम–कचनार	३,०००
७०	श्री मिठाई लाल विश्वकर्मा, मोहनसरांय	२,०००
७१	श्री मुस्ताक अहमद, पिण्डरा	३,०००
७२	श्री लक्ष्मी नरायन, सी के–५९/२१, करनघण्टा ..	२,०००
७३	श्री बासुदेव, एस–१४/८०, अपरापुल	७००
७४	श्री राम चरित्र पांडय, ग्राम–रामनगर	५,०००
७५	श्री राम केदार दुबे, ग्राम जैरामपुर	१,५००
७६	श्री शंकर सिंह, ग्राम–डाकबंगला	१,४००
७७	श्री कान्ता विश्वकर्मा, कोड़रिया	२,०००
७८	श्री राम लखन मिस्त्री, ग्राम–लछिमनगढ़	१,०००
७९	श्री हीरामन, ग्राम–थानापुर	१,०००
८०	श्री शिवकुमार सिंह, जगदीशपुर	१,०००

८१	श्री रामसखी शर्मा, उकेनी	१,५००
८२	श्री छविनाथ मिस्त्री, लक्ष्मनगढ़	१,०००
८३	श्री रघुनाथ सिह, डाकबंगला	१,३००
८४	श्री विश्वनाथ सिह, ,, ...	१,३००
८५	श्री सुमेर राम शर्मा, बमनियाब रायपुर	७००
८६	श्री अब्दुल गफ्फार, जी० के०–४८/७२ए, सरायहड़हा ..	२,०००
८७	श्री श्यामराज सिह, कुरंटा राजपुर	५,०००
८८	श्री श्री गंगा मिल्स, ए ३/१४६, मुकीमगंज	१७,५००
८९	श्री सर्वश्री चन्द्रा शूगर फैक्टरी, ग्रा०–बेछारा, पो० कटरा ..	२०,०००

विधान सभा बुलेटिन

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२४ का उत्तर पीछे पष्ठ ९०१ पर)

जिला नैनीताल के लाइसेन्स ग्रहीताओं की सूची जिन्हें सन् १९६४ (१ अनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६४) में क्रशरों के नए लाइसेन्स दिए गए।

क्रम-संख्या	लाइसेंस ग्रहीता का नाम व पता
१	श्री अहमद हुसैन ग्राम कोंडारतन, पो० सितारगंज, जिला नैनीताल
२	श्री हजारा सिह ग्राम विजयपुर, पो० कालादुंगी, जिला नैनीताल
३	श्री हरी सिह ग्राम पतरामपुर, पो० रतनगढ़, जिला नैनीताल
४	सर्वश्री निशान सिह आलम सिह, ग्राम बगवांडा, त० किच्छा, जिला नैनीताल
५	श्री भगवती प्रसाद गोयल ग्राम मानपुर ईस्ट, पो० हलद्वानी, जिला नैनीताल
६	सर्वश्री उदयबीर सिह ग्राम फौजी, मटकोटा, पो० रुद्रपुर, जिला नैनीताल
७	श्री मदन लाल गुलाटी ग्राम दानपुर, पो० रुद्रपुर जिला नैनीताल
८	श्री भोपाल सिह खाती, शिव सदन बरेली रोड, हलद्वानी नैनीताल
९	सर्वश्री रनबीर सिह और साझीदार, ग्राम फौजी मटकोटा, पो० रुद्रपुर, जिला नैनीलाल
१०	श्री ओम प्रकाश, ८९ गंगापुर बरेली
११	सर्वश्री पंतनगर फार्म्स, पो० पंतनगर, नैनीताल
१२	मेसर्स एस्कोर्ट्स फार्म्स (रामगढ़) लिमिटड, पो० काशीपुर, जिला नैनीताल
१३	श्री नाथू सिह एवं साझीदार ग्राम फलचौर, पो० देवेले चोड़, जिला नैनीताल
१४	श्री नाथ सदर बाजार हलद्वानी, नैनीताल
१५	श्री कश्मीरी लाल ग्राम रहपुर सहजना, पो० दराऊ, जिला नैनीताल
१६	श्री संत लाल ग्राम चकपुर, पो० गदरपुर, जिला नैनीताल
१७	श्री विद्या भूषण चौ० ग्राम व पो० कालादुंगी, जिला नैनीताल
१८	सर्वश्री विजयकुमार प्रेम प्रकाश द्वारा श्री नंद राम वासदेव, सदरबाजार, हलद्वानी, नैनीताल ।
१९	श्री प्रेम बल्लभ कोठारी पियर्सनगर, पो० हलद्वानी, जिला नैनीताल
२०	श्री ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम व० पो० कुवरपर सिसैया, जिला नैनीताल
२१	सर्वश्री न्यू सरदार इंडस्ट्रीज ग्राम पंडरा रामदास पो० बारापुर, जिला पीलीभीत
२२	श्री महेन्द्र प्रसाद ग्राम जीतपुर नेगी, पो० देवलचौड़, नैनीताल
२३	लाला अर्जुन दास ग्राम विजयपुर पो० कालाढुंगी, जिला नैनीताल
२४	सर्वश्री औतार सिह संतोष सिह ग्राम चकोनी, पो० दराऊ, जिला नैनीताल
२५	सर्वश्री हरवंश लाल हंसराज ग्राम खमरिया, पो० किच्छा, जिला नैनीताल
२६	सर्वश्री हर सिह कश्मीर सिह ग्राम कनकपुर, पो० प्रतापपुर, जिला नैनीताल
२७	श्री सतनाम दास ग्राम कनकपुर, पो० प्रतापपुर, जिला नैनीताल
२८	श्री काशी राम ग्राम सिमला पिस्तौर, पो० नरायनपुर, जिला नैनीताल ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०४ पर)

जिला मैनपुरी के करहल तथा कुर्रा थानों के अन्तर्गत १९६४ तथा १९६५ (३१-३-६५ तक) में हुई डकैती, राहजनी तथा चोरी की घटनाओं का विवरण

अपराध	१९६४					
	डकैती		राहजनी		चोरी	
थाना	करहल	कुर्रा	करहल	कुर्रा	करहल	कुर्रा
संख्या	१	३	..	२	७५	५३
जिनमें जांच नहीं की गई	..	..	..	..	११	४
जिनमें जांच की गई	१	३	..	२	६४	४९
चालान	१	२	..	२	१८	४
सजा	१	..	..	..	५	२
रिहा	..	..	..	..	१	..
न्यायालय में विचाराधीन	..	२	..	२	१२	२
विवेचनाधीन	..	१	..	..	२	२
लापता रहे अन्तिम रिपोर्ट	...	..	..	..	४४	४३
सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	२	..	..	..	७	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	१९६५							
संख्या	..	..	१	१	१	२	१२	११
जिनमें जांच नहीं की गई ..	..	..	..	..	..	..	३	..
जिनमें जांच की गई ..	..	..	१	१	..	२	९	११
चालान ..	..	..	१	..	..	१	१	..
सजा .	..	..	..	..	..	..	..	..
रिहा ..	..	..	..	..	..	..	..	..
न्यायालय में विचारधीन	..	..	१	..	..	१	१	..
विवेचनाधीन ..	..	..	..	१	१	१	४	३
लापता रहे (अन्तिम रिपोर्ट लगी) ..	..	..	..	..	..	..	४	८
सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या ..	..	..	..	..	..	..	..	..

पी० एस्यू० पी०--ए० पी०--५० एल० ए०—१९६५--८६२ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा